

अनुसंधान विशिष्टाएं 2022-23



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

अनुसंधान विशिष्टताएं 2022-23



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030
www.nirdpr.org

अनुसंधान विशिष्टताएं 2022-23

लेखक: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय सदस्य

© राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, 2023

पहला संस्करण: नवंबर 2023

आईएसबीएन: 978-93-91412-98-2

कवर पेज डिज़ाइन: वी. जी भट्ट, कलाकार, एनआईआरडीपीआर

मुद्रक :

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030

वेबसाइट: www.nirdpr.org.in



सत्यमेव जयते

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आई ए एस
महानिदेशक

Dr. G. Narendra Kumar, IAS
Director General



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना राज्य, भारत.

NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(Ministry of Rural Development, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad- 500 030, Telangana State, India.

Tel (O) : 040-24008441, Fax : 040-24015277

E-mail : gnarendra.nird@gov.in




प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं, ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए देश भर में अनुसंधान अध्ययन करता है। ये अध्ययन ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, नीति निर्माण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शोध के निष्कर्ष जमीनी हकीकत की बेहतर समझ प्रदान करते हैं और मौजूदा स्थिति की स्पष्ट तस्वीर भी देते हैं।

अध्ययन के निष्कर्षों के व्यापक प्रसार की सुविधा के लिए एनआईआरडीपीआर अनुसंधान विशिष्टताओं के वार्षिक प्रकाशन को प्रकाशित कर रहा है। ये अध्ययन मुख्य रूप से पंचायती राज, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण आजीविका, सामाजिक विकास, सीएसआर पहल, शिक्षा, रोजगार, किसान उत्पादक संगठन (कृषि क्षेत्र), सुशासन, महात्मा गांधी एनआईडीपीआर, ग्रामीण श्रम का प्रवासन, एमकेएसपी, एनआरएलएम प्रशिक्षण, एनएसएपी, आदि से संबंधित हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के लिए जमीनी हकीकत को समझने में उपयोगी होंगे।

हैदराबाद
अगस्त, 2023


डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस
महानिदेशक,
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

विषयवस्तु

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	अध्ययन दल
1	भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण	डॉ. रत्ना भुइयां सुश्री प्रार्थना अरंधरा डॉ. आर. ए.ओ इंजीनियर पी. पी. भट्टाचार्य डॉ सुरजीत विक्रमन
2	सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का मूल्यांकन	डॉ. सी. धीरजा
3	सीमांत सामाजिक समूहों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंच	श्री राजेश रौशन डॉ. राजेंद्र पी. ममगई (एसआरएससी)
4	ग्रामीण और शहरी भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच	श्री खालिद खान डॉ. राजेंद्र पी. ममगई (एसआरएससी)
5	ग्रामीण श्रम बाजारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ: रोजगार, आय और समावेशन का एक अध्ययन	डॉ. निवेदिता शर्मा डॉ. अंकिता गोयल सुश्री जया लक्ष्मी नायर (एसआरएससी)
6	प्रवासन, कल्याण और कोविड-19 का प्रभाव: दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासियों का एक अध्ययन	डॉ बलवंत सिंह मेहता सुश्री प्रियांशी चौधरी श्री प्रेम कांत मिश्रा डॉ अलख नारायण शर्मा डॉ. राजेंद्र पी. ममगई (एसआरएससी)
7	कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सीएसआर पहलों पर (वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान) प्रभाव आकलन	डॉ. आर. मुरुगेसन
8	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना [एजीईवाई] का मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सीएच राधिका रानी डॉ. सुरजीत विक्रमन
9	भारतीय कृषि में समावेशी विकास: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की	डॉ. एम. श्रीकांत श्री अरशद कमाल सिद्दीकी

	आवश्यकता	डॉ. के. जयश्री
10	अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एवं राज्य-प्रायोजित योजनाएं और डीबीटी का विस्तार- 8 राज्यों का एक अध्ययन	डॉ. एस.एन. राव
11	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिलों में वाडी कार्यक्रम का एक अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी
12	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत चल रही परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन	डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सुरजीत विक्रमन डॉ. सीएच राधिका रानी
13	वाईएसआर पेंशन कानूना - आंध्र प्रदेश राज्य में सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय नीति की एक सामाजिक सुरक्षा योजना का आकलन	डॉ. के. प्रभाकर डॉ. एस.एन. राव राजेश्वर जी.
14	सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता (टीआईएसपीआरआई) द्वारा पंचायती राज संस्थानों के सुदृढीकरण के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया - चरण II (2020-2022)	डॉ. सी. कथिरेसन डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक डॉ. वानिश्री जोसेफ
15	एसएचजी मार्ग परियोजना	डॉ. एस.के. सत्यप्रभा
16	ग्रामीण सामुदायिक रेडियो की सफलता की कहानी का मानचित्रण: (आरसीआर) - एक मामला अध्ययन	डॉ. आकांक्षा शुक्ला
17	झारखंड में ई-पंचायत- चुनौतियाँ और प्रस्तावित समाधान	श्री अनिल कुमार यादव सुश्री मिनी रानी शर्मा

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण

डॉ. रत्ना भुइयां
सुश्री प्रार्थना अरंधरा
डॉ. आर. ए.ओ
इंजीनियर पी. पी. भट्टाचार्य
डॉ. सुरजीत विक्रमन

परिचय:

भारत में किसानों की आबादी 93 मिलियन है; उनमें से 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत धारक हैं, जो देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, देश की सतत कृषि वृद्धि और खाद्य सुरक्षा देश के छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण पर आधारित है। इन छोटे और सीमांत धारकों के कल्याण को बढ़ावा देकर कम से कम 11 एसडीजी का समर्थन किया जा सकता है जैसे एसडीजी 1 (कोई गरीबी नहीं), एसडीजी 2 (शून्य भूखमरी), एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), एसडीजी 5 (जेंडर समानता), एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) आदि जैसा कि कई हालिया अध्ययनों में चर्चा की गई है। भारत का कृषि क्षेत्र, जो सतत वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, हाल ही में किसानों को सदस्य-स्वामित्व वाले उत्पादक संगठनों में शामिल कर रहा है। ये उत्पादक संगठन, जो सदस्य उत्पादकों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, को बेहतर पारदर्शिता और इनपुट तथा आउटपुट बाजार संबंधों तक पहुंच के लिए लाया गया है। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के आठ राज्य छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उपज के लिए सुनिश्चित बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र में कई एफपीओ लेकर आए हैं। ये एफपीओ ज्यादातर एकल उत्पाद एफपीओ हैं जो आलू, लहसुन, कद्दू, टमाटर और नागा मिर्च जैसी सब्जियां, संतरे, अनानास और केला जैसे फल और गेंदा

जैसे फूल का उत्पादन करते हैं। एकल उत्पाद एफपीओ के विपरीत, कुछ अन्य एफपीओ एक से अधिक सब्जियों या मसालों में हैं या शहद जैसे अन्य उत्पादों के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडी) जैसी योजनाओं के तहत एसएफएसी और नाबार्ड जैसे संगठनों, बागवानी विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग जैसे विभागों द्वारा प्रचारित एफपीओ, जो ज्यादातर वित्त वर्ष 2015-16 में पंजीकृत हैं, 500 से अधिक से लेकर 1000 से अधिक किसानों तक की शेयरधारक सदस्यता के साथ अपने संचालन के शुरुआती चरण में हैं। एफपीओ राज्यों के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं (नाबार्ड, 2018)। विशिष्ट विशेषताओं के साथ, क्षेत्र में एफपीओ चुनौतियों से भी भरे हुए हैं। हालाँकि ये एफपीओ व्यवसाय संचालन कर रहे हैं, यह पाया गया है कि उन्हें अपने व्यवसाय संचालन को बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता और बाजार संपर्क सहित पर्याप्त पूंजी और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा, क्षेत्र में एफपीओ के प्रदर्शन का मात्रात्मक मूल्यांकन करने के प्रयास अभी भी किए जाने बाकी हैं। चूंकि एफपीओ की स्थिरता विशेष रूप से बाजार ताकतों के समग्र एकीकरण के लिए किसानों के सशक्तिकरण की कुंजी है, एफपीओ के प्रदर्शन को समझने से एफपीओ को अधिक केंद्रित तरीके से बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है। एक हालिया पहल होने के नाते, एनईआर में एफपीओ पर उपलब्ध साहित्य की खोज से यह बात सामने आती है कि क्षेत्र में एफपीओ के पारिस्थितिकी तंत्र को चित्रित करने या उसका विश्लेषण करने के संबंध में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इसके अलावा, क्षेत्र में एफपीओ के प्रदर्शन के मात्रात्मक मूल्यांकन के प्रयासों का भी अभाव है। चूंकि क्षेत्र में उन्हें नियंत्रित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में एफपीओ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट उपकरण और संकेतक नहीं हैं, वर्तमान अध्ययन इन अंतरालों को संबोधित करने का प्रयास करता है।

उद्देश्य:

यह अध्ययन इन उद्देश्यों के साथ किया गया है - (क) एनईआर के आठ राज्यों में उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में एफपीओ की कार्यप्रणाली को देखना और उसका आकलन करना, (ख) क्षेत्र में एफपीओ की चुनौतियों का पता लगाना, (ग) क्षेत्र में एफपीओ के प्रदर्शन का विश्लेषण करना, और (घ) एफपीओ आंदोलन के माध्यम से एनईआर में छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण पर लक्षित भविष्य के नीति निर्माण को सूचित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।

कार्यप्रणाली:

संबंधित विभाग के पास एफपीओ की सूची को देखते हुए, अध्ययन यूनी-स्टेज नमूनाकरण तकनीक का अनुसरण करता है। उपलब्धता के आधार पर, प्रत्येक राज्य में विभिन्न एफपीओ को बढ़ावा देने वाले संगठनों के तहत सूचीबद्ध 15 प्रतिशत एफपीओ या न्यूनतम एक एफपीओ, और जो वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत हैं, अध्ययन में शामिल हैं।

अध्ययन अधिकतर प्राथमिक जानकारी का उपयोग करता है। अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा एकत्र किए गए हैं। प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए, एफपीओ स्तर पर क्लोज एंड ओपन एंडेड दोनों प्रकार के प्रश्नों के साथ एक साक्षात्कार अनुसूची विकसित की गई है। यह अध्ययन गुणात्मक डेटा उत्पन्न करने के दृष्टिकोण के रूप में उत्पादक संगठनों के सदस्य किसानों के बीच आयोजित फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) के लिए एक ओपन-एंडेड शेड्यूल भी तैयार करता है। पूरे क्षेत्र में विभिन्न एफपीओ के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, अध्ययन एक समग्र प्रदर्शन सूचकांक लेकर आया है। सूचकांक विभिन्न आयामों में एफपीओ के प्रदर्शन की पहचान करता है। प्रत्येक आयाम संकेतकों के एक सेट से बना है। आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी संगठन की जागरूकता को प्रभावित करने वाले चर उसके प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं (माबे एट अल., 2021; सुसांतो एट अल.,

2018)। एक जागरूकता सूचकांक (एआई) बनाकर एफपीओ प्रणाली के विभिन्न आयामों पर जागरूकता के प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। क्षेत्र जांच के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, जागरूकता सूचकांक (एआई) के साथ आने के लिए जागरूकता को दर्शाने वाले सात (7) आयामों की पहचान की गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रदर्शन के आयामों को निर्धारित करने में जागरूकता कारक की हमेशा भूमिका होती है। जैसा कि परिकल्पना की गई है, प्रदर्शन कारकों पर एफपीओ जागरूकता के प्रभाव का आकलन करने के लिए, क्षेत्र में एफपीओ के पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयामों की सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाले जागरूकता सूचकांक और प्रदर्शन सूचकांक के बीच सहसंबंध विश्लेषण किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में एफपीओ के सामने आने वाली चुनौतियों की प्राथमिकता रैंकिंग का प्रयास किया गया है। सोलह महत्वपूर्ण चुनौती क्षेत्रों को एफपीओ की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त किया गया है और उच्च प्राथमिकता वाले चुनौती क्षेत्रों को एक अंक और सबसे कम प्राथमिकता वाले चुनौती क्षेत्रों को 16 अंक मिलने के साथ प्राथमिकता स्कोर में परिवर्तित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र:

अध्ययन क्षेत्र में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। क्षेत्र के आठ राज्यों से कुल 25 एफपीओ अध्ययन का नमूना आकार बनाते हैं, जो पूरे क्षेत्र में प्रत्येक प्रवर्तक संस्थानों/संगठनों से कम से कम एक एफपीओ की पहचान करने के अधीन है। तदनुसार, अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश से एक, असम से छह, मणिपुर से तीन, मेघालय से दो, मिजोरम से तीन, नागालैंड से चार और सिक्किम और त्रिपुरा से तीन-तीन शामिल हैं।

निष्कर्ष:

जिन एफपीओ का दौरा किया गया वे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। एफओ बागवानी और कृषि-फसल पर आधारित हैं जैसे अदरक, हल्दी, केला, संतरा, मक्का, सरसों, काला चावल, लाल चावल और कुछ सब्जियां। संगठनात्मक पहलुओं में, अधिकांश एफपीओ में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक निदेशक मंडल और एक सीईओ होता है। हालाँकि, क्षमता निर्माण पहल को बड़े पैमाने पर सदस्यों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। एफपीओ के सदस्यों की कम शिक्षा प्राप्ति के कारण बेहतर प्रबंधकीय पद्धतियों के लिए अधिक सहायता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता हुई है। प्रबंधन के पहलुओं पर, संसाधन जुटाने, प्रौद्योगिकी निवेश और विपणन प्रबंधन की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, सभी एफपीओ के लिए, भविष्य में व्यापार, उत्पाद विकास और बाहरी खरीदारों और निर्यात के साथ सीधा बाजार जुड़ाव अभी बाकी है। इसके अलावा, सभी एफपीओ के लिए, भविष्य में व्यापार, उत्पाद विकास और बाहरी खरीदारों और निर्यात के साथ सीधा बाजार जुड़ाव अभी बाकी है। एफपीओ के पास कमजोरियों से निपटने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों का भी अभाव है।

कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी के मुद्दों के समाधान के लिए क्षमता निर्माण पहल को बड़े पैमाने पर सदस्यों तक पहुंचाने की भी आवश्यकता है। क्षमता निर्माण के संदर्भ में, एफपीओ को सुशासन, स्थिरता, नेटवर्किंग, सामाजिक पूंजी, रिकॉर्ड रखरखाव और अन्य प्रबंधकीय, परिचालन और तकनीकी कौशल जैसे पहलुओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लगभग सभी एफपीओ में व्यवसाय योजना का अभाव पाया गया है। प्रबंधन के पहलुओं पर, पारदर्शी भागीदारी चयन प्रक्रिया का पालन करने और भागीदारी व्यवसाय मॉडल अपनाने की अपार गुंजाइश है। इसके अलावा, भविष्य के व्यापार, उत्पाद विकास और बाहरी खरीदारों और निर्यातों के साथ सीधे बाजार जुड़ाव के लिए, एफपीओ को अपने तरीके से

काम करने की जरूरत है। एफपीओ ने अब तक लाभ साझा करने की दिशा में कदम नहीं उठाया है। एफपीओ का विभागों और योजनाओं के साथ कुछ प्रकार का अभिसरण है। हालाँकि, उन्हें वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी दोनों से क्रेडिट लिंकेज की आवश्यकता है।

भंडारण और बुनियादी सुविधाओं की कमी एफपीओ के लिए बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने में बाधा बनी है। एफपीओ की वृद्धि के लिए बाजार पहुंच एक और क्षेत्र है जिसे खोजा जाना है। एफपीओ अधिकतर वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें खेती के अधिक वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता है। एफपीओ समय पर बीजों की आपूर्ति और जलवायु-अनुकूल उत्पादन तकनीक चाहते हैं। उन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यम बनाने के तरीकों और साधनों के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। एफपीओ प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन की भी आशा रखते हैं। उनके पास बिजनेस मॉडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे क्षेत्रों में सुधार की अपार संभावनाएं हैं।

उपसंहार:

प्रदर्शन सूचकांक के मामले में शीर्ष तीन स्थानों पर मौजूद तीन एफपीओ में नियमित सीईओ और बोर्ड के सदस्य होने और सदस्य उत्पादकों को शामिल करते हुए लगातार बैठकें आयोजित करने से बेहतर संगठनात्मक गतिशीलता है। एफपीओ अपने सदस्यों की क्षमता निर्माण के प्रति अत्यधिक उन्मुख हैं। इसके अलावा, इन एफपीओ के पास बेहतर बाजार माहौल, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी तक पहुंच है। अच्छे संगठनात्मक प्रदर्शन, बाजार संपर्क, नियोजित व्यवसाय मॉडल और इनपुट पहुंच के साथ, तीन एफपीओ प्रदर्शन सूचकांक के मामले में अधिक स्कोर करते हैं। दूसरी ओर, सबसे निचले स्थान पर रहने वाले तीन एफपीओ को प्रबंधन, संगठनात्मक पहलुओं, व्यवसाय मॉडल, बाजार अभिविन्यास, बुनियादी ढांचे और इनपुट पहुंच में कम स्कोर मिला। यह भी पाया गया है कि एफपीओ लाभ के समान बंटवारे और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तंत्र चाहते हैं। कुल मिलाकर, प्रदर्शन

सूचकांक के माध्यम से आठ राज्यों में एफपीओ के प्रदर्शन के आकलन से पता चलता है कि सूचकांक स्कोर कमोबेश निचले स्तर पर है। लंबे समय तक पूरे क्षेत्र में एफपीओ की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सभी दस आयामों में क्षमता निर्माण और सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में, अधिकांश एफपीओ ने प्रबंधन, अभिसरण और स्थिरता पहलुओं पर कम अंक प्राप्त किए हैं। जागरूकता सूचकांक (एआई) में, 25 एफपीओ (44 प्रतिशत) में से ग्यारह (11) ने 50 प्रतिशत से ऊपर स्कोर किया। यद्यपि यह पाया गया है कि उर्वरक और कीटनाशक, ब्रांडिंग, जैविक खेती, योजनाओं के तहत प्रावधानों का लाभ उठाना, उत्पादों की खरीद, प्रत्यक्ष बाजार लिंकेज और आम बाजार जैसे विभिन्न आयामों के तहत कुछ संकेतक जागरूकता सूचकांक पर उच्च स्कोर करते हैं, ये क्षेत्र अभी भी पहुंच और उसके उपयोग के मामले में चुनौती बने हुए हैं। यह मूल नीतियों और योजनाओं जैसे एमओवीसीडी-एनईआर, आरकेवीवाई इत्यादि के लिए है, जिसके तहत अधिकांश एफपीओ का गठन शुरू में किया गया था कि एफपीओ अपने लाभों को वास्तविक किए बिना मुट्ठी भर योजनाओं और नीतियों से अवगत हैं। पीआई और एआई के बीच सहसंबंध गुणांक दर्शाते हैं कि दोनों सूचकांकों के बीच एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एफपीओ के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता का एफपीओ के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

नीति सिफारिशें:

व्यापक क्षेत्र-आधारित अध्ययन और क्षेत्र के हितधारकों के साथ गहन चर्चा के आधार पर प्रमुख सिफारिशों को प्रत्येक शीर्ष के तहत विशिष्ट आवश्यकताओं और सिफारिशों के साथ अलग-अलग शीर्ष में समूहीकृत किया गया है।

- (i) एफपीओ को प्रावधानों और उनकी जिम्मेदारियों को समझने के लिए वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की आवश्यकता है।
- (ii) एनईआर में छोटे ग्रामीण व्यवसायों को चलाने के लिए एफपीओ के लिए विशेष एंजेल फंड का प्रावधान उन्हें कारोबारी माहौल में जीवित रहने और बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- (iii) वर्तमान अध्ययन में बताए गए प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर एफपीओ की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए एक प्रणाली जुटाना वांछनीय है।
- (iv) समर्पित एसएमई क्रेडिट की तरह, आबादी के सबसे बड़े स्व-रोजगार वाले हिस्से को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए एफपीओ क्रेडिट की डिलीवरी के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों की एक अलग समर्पित विंग पर विचार किया जा सकता है।

क. संगठनात्मक विकास

- (i) एफपीओ के सीईओ की नियुक्ति के नियमन के लिए विशिष्ट नीति की आवश्यकता है।
- (ii) अध्ययन से पता चलता है कि अपर्याप्त जागरूकता, प्रेरणा और शिक्षा की कमी के कारण एफपीओ गतिविधियों में सदस्यों की भागीदारी में भारी कमी है, जिसके कारण कई बार संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और प्रबंधन गतिविधियों में बाधाएं आती हैं। यह चुनौती प्रकृति में संरचनात्मक है और इसके लिए एक मिशन-उन्मुख नीति रणनीति की आवश्यकता होगी।
- (iii) एफपीओ की न्यूनतम समझ और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए निरक्षर सदस्यों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

- (iv) एफपीओ के पारिस्थितिकी तंत्र में कृषि प्रबंधन, एफपीओ प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं में कृषितर कार्यों के लिए बुनियादी कंप्यूटर अभिविन्यास के साथ संचार, बातचीत, नेतृत्व कौशल आदि में सॉफ्ट कौशल को बढ़ाना आवश्यक है। ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से शुरू किये जा सकते हैं।
- (v) सभी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए पंचायत/ब्लॉक/एफपीओ स्तर पर ज्ञान केंद्र के रूप में एक वन-स्टॉप सेवा कियोस्क/एकल खिड़की स्थापित की जा सकती है। यहां, देश की मान्यता प्राप्त आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो इत्यादि, अपने सीएसआर निधि का विस्तार कर सकती हैं और इसकी सुविधा प्रदान कर सकती हैं। यह कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर हो सकता है, जिसे डिजिटल सेवा और ई-मार्केटिंग डिलीवरी की आवश्यकता है।

ख. बिजनेस मॉडल

- (i) एक औपचारिक रूप से अच्छी तरह से निर्मित व्यवसाय मॉडल जुटाने के लिए, एफपीओ की योजना प्रक्रिया में सामूहिक भागीदारी के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास के समान व्यवसाय योजना और व्यवसाय मॉडल कैनवास पर एक अभ्यास को मानकीकृत और कार्यान्वित किया जा सकता है। यहां, पीआरए अभ्यास में विशेषज्ञता वाले एनआईआरडीपीआर जैसे संस्थान अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
- (ii) सहकारी समितियों की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सामूहिक योजना के लिए जागरूकता का माहौल बनाने के लिए एक कुशल सहकारी संरचना, शासन और प्रबंधन विकसित किया जाना चाहिए।

ग. बाजार उन्मुखीकरण

- (i) पारंपरिक कौशल और न्यूनतम प्रशिक्षण वाले किसान उत्पादकों के स्थानीय समुदाय के लिए आसानी से अनुकूलनीय प्रौद्योगिकी के साथ छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, अतिरिक्त उत्पादन और कच्ची उपज के लिए बाजार लिंकेज के अभाव में कृषि उपज की बर्बादी को बचा सकती है।
- (ii) क्षेत्र में बड़ी संख्या में एफपीओ के गठन और पैकेजिंग पर ज्ञान और क्षमता निर्माण की पूरी कमी को ध्यान में रखते हुए, उत्तर पूर्व भारत में पैकेजिंग के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण और सुविधा केंद्र की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।
- (iii) पूर्वोत्तर एफपीओ के लिए ईएनएएम के माध्यम से ऑनलाइन कृषि-वस्तु व्यापार पर लक्षित विशेष रूप से डिजाइन किए गए कौशल-निर्माण कार्यक्रम विपणन पहलू में वृद्धि में काफी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा, आगे और भविष्य के अनुबंध और व्यापार से किसानों को मौसमी उतार-चढ़ाव से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है।
- (iv) कृषि क्षेत्र में उत्तर पूर्व की यूएसपी जैसे जैविक उत्पाद, जीआई-आधारित और स्वास्थ्य-उन्मुख उत्पादों को विशिष्ट बाजारों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश ने अपने काले चावल (काला नमक चावल) को बुद्ध चावल के रूप में पुनः ब्रांड किया है और पूर्वी एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर विपणन किया है, जो राज्य में कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर और मुनाफे वाला व्यवहार साबित हुआ है। पेशेवर समर्थन के साथ ऐसी पहल तत्काल प्रभाव से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के एफपीओ के लिए भी की जा सकती है।
- (v) एनईआरएएमएसी, एपीईडीए इत्यादि जैसे संस्थान बेहतर मूल्य खोज के लिए अपने विपणन योग्य अधिशेष को चैनलाइज़ करने के लिए एफपीओ के साथ एक नेटवर्क विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

घ. क्षमता निर्माण

i. एफपीओ के विविध समूहों के लिए समावेशी प्रशिक्षण की आवश्यकता है

ii. प्रशिक्षण

- विपणन और कृषि व्यवसाय जागरूकता
- मूल्य संवर्धन ▪ सही कीमत की खोज
- प्रसंस्करण और पैकेजिंग
- वित्तीय साक्षरता
- जलवायु-स्मार्ट और वैज्ञानिक खेती
- मृदा क्षमता मूल्यांकन प्रशिक्षण
- बेसलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने पर प्रशिक्षण
- योजनाओं और नीतियों तथा अभिसरण पर ज्ञान निर्माण
- बीज उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, वर्मीकम्पोस्ट एवं वर्मीवॉश एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण
- प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण
- बिजनेस प्लानिंग
- सीईओ और बीओडी के लिए संगठनात्मक स्तर का प्रशिक्षण
- रोग प्रबंधन और अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण, आदि
- जैविक खेती और प्रमाणीकरण
- पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग
- तार्किक तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आदि पर आयोजित किए जा सकते हैं।

ड. बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी

i. नीति निर्माताओं को एफपीओ में सामान्य सुविधाओं के लिए भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक प्रतिपूरक तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- ii. सीएचसी योजना के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता और लाभार्थी स्तर की प्रेरणा के अलावा सख्त नियमन लागू किया जाना चाहिए।
- iii. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का समग्र विकास विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा आती है और एफपीओ गतिविधियों पर अतिरिक्त लागत आती है।
- iv. बायोएथेनॉल और अन्य खाद्य तेलों की बढ़ती मांग एफपीओ को संभावित व्यावसायिक लाभ दे सकती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एफपीओ के साथ भी इसका पता लगाने की जरूरत है।
- v. बिना रूकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रसंस्करण और अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियों के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति बुनियादी ढांचे के निर्माण के उपाय करके एफपीओ के लिए एक सक्षम वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
- vi. फौव्वारा सिंचाई और वर्षा आधारित सिंचाई सहित सिंचाई सुविधाओं को पूरे क्षेत्र में विस्तारित करने की आवश्यकता है।

च. अभिसरण

- i. एफपीओ के साथ विभिन्न योजनाओं और नीतियों के अभिसरण पर निर्णय लेने के लिए विभागों के लिए एक निर्देश होना चाहिए।
- ii. जैसा कि एफपीओ द्वारा व्यक्त किया गया है, स्थानीय भाषाओं में एफपीओ के लिए योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और सहायता संस्थानों का एक संग्रह तैयार करना एक तत्काल आवश्यकता है। नाबार्ड/एसएफएसी/एनसीडीसी इस पर पहल कर सकता है।

छ. अनुपालन और दस्तावेज़ीकरण

- i. एफपीओ के लिए अनुपालन मित्र जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के विकास पर विचार किया जा सकता है।
- ii. एफपीओ के मामले में भी एनआरएलएम के तहत प्रशिक्षण के समर्पित नियमित संचालन (उदाहरण के लिए, एनआरएलएम अनुपालन के तहत दससूत्र) पर विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत एफपीओ की गतिविधियों के रिकॉर्ड को संग्रहित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। यहां, प्रभावी अभिसरण के लिए सामाजिक संस्था निर्माण और रिकॉर्ड रखरखाव में एनआरएलएम के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है।

ज. एफपीओ की स्थिरता

- i. पीओपीआई/आरआई/सीबीबीओ की एक अनिवार्य निकास रणनीति की आवश्यकता है और एफपीओ को स्वतंत्र रूप से फलने-फूलने और बनाए रखने के लिए तैयार किए बिना पूर्व-निर्धारित समय सीमा के बाद बाहर निकलने वाले संस्थानों के बजाय स्थिरता के निर्माण की दिशा में यह पहले वर्ष से एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए।
- ii. अध्ययन किए गए एफपीओ ने शायद ही कभी ऐसी कार्य योजना की पुष्टि की हो जिसे आने वाले वर्षों में नियमित रूप से संशोधित किया गया हो। ऐसी योजनाओं के अभाव में, एफपीओ अपनी वांछित गतिविधियों से भटक जाते हैं। एफपीओ के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान अध्ययन में उल्लिखित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली (सूचकांक) को अपनाने से स्थायी एफपीओ सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर ट्रेकिंग, मूल्यांकन और उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

I. सहायक संस्थाएँ

- i. नए परिभाषित दिशानिर्देशों के तहत, एफपीओ के लिए मील का पत्थर-आधारित पांच-वर्षीय मार्गदर्शन अधिक उपयोगी हो सकता है; हालाँकि, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिसरण और परिणाम के मुद्दों और एक प्रदर्शन-उन्मुख प्रणाली को शामिल किया जा सकता है।
- ii. आठ राज्यों के कई एफपीओ ने विभागों द्वारा अकुशल इनपुट प्रावधान के मुद्दे उठाए हैं। इनपुट वितरण प्रणाली में दक्षता लाकर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- iii. सिक्किम की तरह उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीआईएस) को क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा अपनाने की जरूरत है ताकि एफपीओ को उपज एकत्र करने और सामूहिक विपणन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करने में व्यावहारिक रूप से मदद मिल सके।
- iv. क्षेत्र में विशेष रूप से जैविक खेती के लिए कृषि व्यवसाय नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।
- v. नीति निर्माता महिला लघुधारकों और सीमांत किसानों और उत्पादकों के सशक्तिकरण पर विचार कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं।
- vi. क्षेत्र के किसानों के स्थानीय समुदायों के पीढ़ियों के अनुभवों से प्राप्त स्वदेशी ज्ञान और धारणा को नीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अधिक क्षेत्र-विशिष्ट नीति निर्धारण के लिए क्षेत्र में एफपीओ के विभिन्न पहलुओं पर स्थानीय और समुदाय-स्तरीय अध्ययन किए जाने चाहिए जो उनकी स्थिरता और गतिशीलता का समर्थन करते हैं।

ज. उद्यमिता और स्टार्ट-अप

- i. वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तर्ज पर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और सहायक एजेंसियों को पूरे क्षेत्र में एफपीओ के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जहां कृषि-उद्यमिता अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है।

सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का मूल्यांकन

डॉ. सी. धीरजा

परिचय

संविधान के 73वें संशोधन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा को महत्व मिला। मनरेगा में शुरुआत से ही सामाजिक लेखापरीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। एमजीएनआरईजी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, 'ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा' में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत (जीपी) के भीतर योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी।

सामाजिक लेखापरीक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, लोगों को सूचित और शिक्षित करती है, परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, लोगों को अपनी जरूरतों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, सभी हितधारकों की क्षमता में सुधार करती है, स्थानीय शासन को मजबूत करती है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है और औपचारिक लेखापरीक्षा की पूरक हैं।

प्रभावी सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से योजनाओं के लेखापरीक्षा नियम, 2011 का मसौदा तैयार किया और 30 जून 2011 को अधिसूचित किया। नियमों में कहा गया है कि राज्य सरकार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्वतंत्र संगठन की (सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई) पहचान करेगी या स्थापित करेगी। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से स्वतंत्र है। इसके अलावा, इकाई इस उद्देश्य के लिए भर्ती किए गए स्रोत व्यक्तियों के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा की

सुविधा प्रदान करती है। एसएयू द्वारा भर्ती किए गए स्रोत व्यक्ति लाभार्थी परिवारों से ग्राम-स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षकों की पहचान करते हैं, उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करते हैं और उनके माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा करते हैं।

सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है गाँव और पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए मानव संसाधनों का एक बड़ा पूल बनाना। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए, अकेले मनरेगा के लिए हर छह महीने में न्यूनतम 25 लाख ग्राम स्रोत व्यक्तियों (वीआरपी) की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी संख्या में वीआरपी को प्रशिक्षित करना एक बहुत बड़ा काम है जिसे तभी पूरा किया जा सकता है जब राज्य, क्षेत्रीय स्तर या जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों या सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों का एक बड़ा पूल बनाया जाए।

राज्यों की सभी सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों में सभी भर्ती किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों को संतृप्ति मोड में शामिल करते हुए एक महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करके राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों का एक पूल बनाने के लिए एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास एनआईआरडीपीआर और टीआईएसएस के सहयोग से एमओआरडी द्वारा किया गया था।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम-स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों का एक पूल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नियोजित रणनीतियों में से एक ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करते समय एसएचजी सदस्यों को स्रोत व्यक्तियों के रूप में शामिल करना था।

एमजीएनआईआरडीएस की वार्षिक कार्य योजना के भाग के रूप में, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एसएचजी महिलाओं को ग्राम-स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों के रूप में

प्रशिक्षित करने के लिए यह पहल की गई थी: i) अवधारणा पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम से कम तीन एसएचजी सदस्यों को सक्षम बनाना और सामाजिक लेखापरीक्षा का अनुप्रयोग; ii) ग्राम स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षकों (एसएचजी सदस्यों) का एक पूल तैयार करना; iii) एसएचजी सदस्यों को सामान्य रूप से सभी विकास कार्यक्रमों और विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा करने के कौशल से लैस करना।

योजना यह बनाई गई थी कि पहले चरण में एनआरएलएम के सघन ब्लॉकों पर फोकस किया जाएगा। पहचान किए गए एनआरएलपी राज्यों में, एनआरएलएम और एनआरएलपी दोनों गहन ब्लॉकों का चयन किया गया और प्रत्येक जीपी से तीन सक्रिय एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए पहचाना गया। राज्यों की पहचान इस मानदंड को अपनाकर की गई थी कि उन्हें मूल रूप से एनआरएलपी राज्य होना चाहिए जहां एक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई स्थापित है, सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्ति मौजूद हैं और उन्होंने एक महीने का प्रशिक्षण लिया है और तदनुसार प्रमाणित किया गया है। असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों की पहचान की गई। राज्य की सक्रियता के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ा गया है। राज्य स्तर पर इस पहल में मुख्य हितधारक एसआरएलएम, एसएयू, ग्रामीण विकास विभाग और एसआईआरडी हैं।

वर्तमान अध्ययन में, एसएचजी-वीआरपी को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर एक मूल्यांकन किया गया था और एसएचजी प्रशिक्षण के बाद अपने प्रदर्शन में विशेष रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने में प्रशिक्षण इनपुट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार, अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था:

उद्देश्य:

- प्रशिक्षित एसएचजी वीआरपी के ज्ञान और कौशल का आकलन करना

- चार दिवसीय प्रशिक्षण के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की सुविधा में एसएचजी-वीआरपी की भागीदारी का विश्लेषण करना
- एसएचजी-वीआरपी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करने के संदर्भ में प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना
- सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी-वीआरपी के अनुभवों का दस्तावेजीकरण करना
- कमियों का विश्लेषण करना और एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एसएयू द्वारा एसएचजी-वीआरपी की भागीदारी में सुधार के तरीके सुझाना

कार्यप्रणाली:

274 एसएचजी वीआरपी को शामिल करते हुए चार राज्यों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है। प्रत्येक राज्य में, एसएचजी वीआरपी 4-दिवसीय प्रशिक्षण के भाग के रूप में प्रशिक्षित एसएचजी-वीआरपी की सबसे अधिक संख्या वाले दो जिलों की पहचान की गई। उस जिले से प्रशिक्षित और 2-3 या अधिक लेखापरीक्षा में संलग्न सभी एसएचजी-वीआरपी को अध्ययन के लिए नमूने के रूप में चुना गया था। झारखंड में, अध्ययन के लिए स्रोत व्यक्तियों से संपर्क करने में कठिनाई के कारण दो अलग-अलग क्षेत्रों से चार जिलों का चयन किया गया था।

तमिलनाडु को छोड़कर तीन राज्यों से (तमिलनाडु में गैर-एसजी वीआरपी उपलब्ध नहीं हैं) 20-30 वीआरपी जिनके पास 2-3 लेखापरीक्षा करने का अनुभव है, उन्हें अध्ययन के लिए नियंत्रण समूह के रूप में चुना गया था। दो एफजीडी एसएचजी वीआरपी के साथ आयोजित की गई, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है लेकिन सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में और एसएयू के स्रोत व्यक्तियों के साथ शामिल नहीं किया गया है ।

विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने के लिए मिश्रित तरीकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) का उपयोग किया गया है। सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, नमूना एसएचजी वीआरपी की धारणाओं को इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली पद्धति का उपयोग किया गया था। प्रश्नावली कोबो कलेक्ट मोबाइल ऐप में दर्ज की गई थी।

केन्द्रीकृत समूह परिचर्चा (एफजीडी) पद्धति का उपयोग उन ग्रामीण स्रोत व्यक्तियों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में उनकी धारणाओं को समझने और इसमें शामिल न होने के कारणों को जानने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण के बारे में उनकी धारणाओं का अध्ययन करने के लिए बीआरपी, डीआरपी और अन्य संसाधन व्यक्तियों के साथ चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए एफजीडी भी आयोजित की गई थी।

डेटा का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उपकरणों का उपयोग किया गया था। एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण की उपयोगिता, एसएचजी-वीआरपी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के संदर्भ में प्राप्त ज्ञान और कौशल, एसएचजी-वीआरपी के जुड़ाव अनुपात आदि को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत और औसत का उपयोग किया गया था। एसएचजी-वीआरपी के अनुभवों का दस्तावेजीकरण कर गुणात्मक विश्लेषण किया गया था ।

एकत्रित की गई जानकारी को निम्नलिखित अनुभागों में समूहीकृत किया गया है

1. उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय विशेषताएँ
2. प्रतिवादी की एसएचजी रूपरेखा

3. एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण का विश्लेषण
4. मनरेगा जागरूकता का स्तर
5. सामाजिक लेखापरीक्षा जागरूकता के स्तर
6. सामाजिक लेखापरीक्षा में एसएचजी-वीआरपी की भागीदारी

सामाजिक पृष्ठभूमि से लेकर प्रतिवादी की प्रोफाइल, प्राप्त प्रशिक्षण पर वीआरपी के विचारों, मनरेगा पर वीआरपी की जागरूकता का स्तर, एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर एसएचजी-वीआरपी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन क्षेत्र:

यह अध्ययन चार राज्यों में किया गया जहां बड़ी संख्या में एसएचजी को वीआरपी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। राज्य हैं:

- छत्तीसगढ़
- झारखण्ड
- ओडिशा
- तमिलनाडु

अध्ययन के निष्कर्ष

- सभी चार चयनित राज्यों में कुल 274 एसएचजी वीआरपी को प्रश्नावली दी गई। कुल उत्तरदाताओं में से, 39 प्रतिशत 20-30 वर्ष के आयु वर्ग में थे, 30 प्रतिशत 31-35 वर्ष के आयु वर्ग में थे, 27 प्रतिशत 36-40 वर्ष के आयु वर्ग में थे और शेष 3 प्रतिशत उत्तरदाता 41-45 वर्ष के आयु वर्ग के थे। चारों राज्यों में, 44 प्रतिशत उत्तरदाता ओबीसी

श्रेणी से थे, उसके बाद अनुसूचित जाति (28 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (9 प्रतिशत) और सामान्य श्रेणी (18 प्रतिशत) थे। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में, 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं की योग्यता प्लस टू है। ओडिशा में, 47 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक पृष्ठभूमि से हैं। ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों में स्नातकोत्तर लगभग 5 प्रतिशत थे। अधिकांश वीआरपी ने हाई स्कूल और प्लस टू तक पढ़ाई की है। सभी चार राज्यों के 75 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता विवाहित थे। छत्तीसगढ़ में, 18 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित थे, उसके बाद ओडिशा (10 प्रतिशत) और झारखंड (6 प्रतिशत) थे। ओडिशा और झारखंड में, 5 प्रतिशत उत्तरदाता विधवाएँ थीं।

- सभी उत्तरदाताओं में से, छत्तीसगढ़ से 47 प्रतिशत और झारखंड से 44 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों से थे। ओडिशा और तमिलनाडु में, क्रमशः 61 प्रतिशत और 43 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि पृष्ठभूमि से थे। तमिलनाडु में, 25 प्रतिशत उत्तरदाता गैर-कृषि पृष्ठभूमि से थे, इसके बाद ओडिशा में 13 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 11 प्रतिशत और झारखंड से 9 प्रतिशत थे।
- एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, एसएचजी सदस्यों के पास एक सक्रिय जॉब कार्ड होना चाहिए और मनरेगा के तहत काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में, 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं/परिवार के किसी अन्य सदस्य ने मनरेगा के तहत काम किया है। झारखंड और ओडिशा में, क्रमशः 55 प्रतिशत और 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के तहत काम किया। ओडिशा में 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं/परिवारों ने मनरेगा के तहत काम नहीं किया। आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि ओडिशा में एसएचजी वीआरपी चयन प्रक्रिया एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार

नहीं है। इसी तरह, झारखंड में 45 फीसदी वीआरपी ने कहा कि उन्होंने मनरेगा के तहत काम नहीं किया।

- एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, एसएयू प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से तीन महिला एसएचजी सदस्यों की पहचान करने और उन्हें संगठित करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की सहायता लेगा। ग्राम संगठनों (वीओ) को वीआरपी को नामांकित करना चाहिए। अध्ययन के दौरान, छत्तीसगढ़ के 53 प्रतिशत, झारखंड के 41 प्रतिशत, ओडिशा के 58 प्रतिशत और तमिलनाडु के 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि एसएयू के लोगों ने उन्हें एसआरएलएम के माध्यम से एसएचजी वीआरपी प्रशिक्षण के लिए चुना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्रमशः 31 प्रतिशत और 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि एसआरएलएम के एक व्यक्ति ने उन्हें चुना है। तमिलनाडु में, 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें ग्राम सभा के माध्यम से एसएचजी वीआरपी के रूप में चुना गया था।
- यह जानने के लिए कि क्या एसएचजी-वीआरपी गैर-एसएचजी-वीआरपी की तुलना में जीपी में सामाजिक लेखा परीक्षा के सुविधा प्रदाता के रूप में बेहतर योगदान दे सकते हैं, एसएचजी और गैर-एसएचजी वीआरपी दोनों से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर एक तुलना तैयार की गई थी। कुछ पहलुओं में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं, एसएचजी वीआरपी बेहतर हैं और कुछ पहलुओं में, गैर-एसएचजी-वीआरपी बेहतर हैं। यह देखा गया कि "आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या" सामाजिक लेखापरीक्षा के ज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सुझाव/सिफारिशें:

- वीआरपी/बीआरपी/डीआरपी की राय के आधार पर, भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कई उत्तरदाताओं ने अपनी राय व्यक्त की कि सभी विषयों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए दिनों की संख्या बढ़ानी होगी।
- एनएसएपी, पीएमएवाई-जी और एफएफसीजी सामग्री जैसी नई योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा को प्रशिक्षण मैनुअल में शामिल करना होगा।
- क्षेत्र दौड़ों के दिनों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वीआरपी को क्लास रूम ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिल सके।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानकों को सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस सत्र के साथ-साथ प्रशिक्षण मैनुअल में शामिल किया जाना चाहिए।
- एफजीडी की टिप्पणियों के अनुसार, सामुदायिक गतिशीलता पर एक सत्र को प्रशिक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।
- तमिलनाडु में, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई एक वीआरपी को पांच जीपी में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की पेशकश कर रही है और एक साल में सभी प्रशिक्षित वीआरपी को बारी-बारी से मौका दे रही है। इससे कुशल वीआरपी को अधिक मौके नहीं मिल पा रहे हैं और वे सामाजिक लेखापरीक्षा से बाहर रह रहे हैं और सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। इसके बजाय, कुशल वीआरपी का एक पूल बनाने और उनकी उपलब्धता और एसएयू जरूरतों के आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उनका अक्सर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, एसएयू द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वीआरपी सामाजिक लेखापरीक्षा की विभिन्न योजनाओं पर अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए लगातार प्रशिक्षण सत्रों का अनुरोध कर रहे हैं।

- अन्य नमूना राज्यों की तुलना में, ओडिशा के उत्तरदाताओं में मनरेगा और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में उचित जागरूकता का अभाव है। इसलिए, प्रत्येक ब्लॉक में सामाजिक लेखापरीक्षा करने से पहले ओडिशा वीआरपी के लिए अलग प्रशिक्षण की सिफारिश की जा सकती है।
- झारखंड एसएयू के पास प्रशिक्षित एसएचजी वीआरपी पर पूरा डेटा नहीं था, और इसलिए, डेटा के बिना अध्ययन के लिए वीआरपी का चयन करना मुश्किल था। बीआरपी/डीआरपी ने वीआरपी को बुलाया और उनसे डेटा एकत्र किया। इसलिए, सभी एसएयू को वीआरपी का डेटाबेस अलग से बनाए रखने की सिफारिश की जाती है।
- एसएयू को वीआरपी को अद्यतन सामग्री प्रदान करनी चाहिए। वीआरपी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें अद्यतन सामग्री नहीं मिली।
- छत्तीसगढ़ और ओडिशा एफजीडी से, एसएयू स्रोत व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि एसएचजी-वीआरपी की पहचान करते समय सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को शामिल किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण के लिए एसएचजी-वीआरपी के चयन के संबंध में एनआरएलएम/एसआरएलएम के लिए एक अभिविन्यास आयोजित करने की आवश्यकता है।
- खराब शैक्षणिक योग्यता वाले एसएचजी-वीआरपी को कार्यों के तकनीकी पहलुओं को समझने में कठिनाई होती है; इसलिए, प्रशिक्षण में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अधिक बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।
- एसएयू को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वीआरपी को उनके ग्रेड के बारे में सूचित करना चाहिए। कई वीआरपी अपने ग्रेड से अनजान थे और खुद को अयोग्य मानते थे; इसलिए, उन्होंने सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने के लिए स्रोत व्यक्तियों से संपर्क नहीं किया।

- एसएयू को कुछ लोगों को अधिक मौके देकर भेदभाव से बचने के कारणों का उल्लेख करते हुए सामाजिक लेखा परीक्षा में भाग नहीं लेने वालों का डेटा बनाए रखना चाहिए।

सीमांत सामाजिक समूहों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य स्थिति तक पहुंच

राजेश रौशन
राजेंद्र पी. ममगाई

परिचय

भारत में, विभिन्न स्वास्थ्य नीतियां प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को पहचानती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति और इन सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए अल्मा अता घोषणा के बाद से प्रकट समानता और समता के लिए वैश्विक चिंताओं ने इसे और आगे बढ़ाया है। सकारात्मक बदलावों के बावजूद, देश के विभिन्न समूहों में स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय अंतर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिये पर रहने वाले समूह कई स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में दूसरों से पीछे हैं। असमान परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास और प्रगतिशील स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण भारत पर केंद्रित सीमान्त रहने वाले समूहों के बीच स्वास्थ्य स्थिति और सेवाओं तक पहुंच और संबंधित कारकों की प्रगति की जांच करना है। इसके अलावा, यह ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और जनशक्ति अंतर का आकलन करता है। इसके अलावा, यह मौजूदा स्वास्थ्य नीति और

योजनाओं में संशोधन की सिफारिशों सहित सीमान्तीकृत समूहों की प्रगति और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा में अंतर को कम करने के लिए रणनीतियों का सुझाव देता है।

डेटा और कार्यप्रणाली

डेटा:

अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख डेटा स्रोत हैं

- 1992/93, 1998/99, 2005/06 और 2015/16 के लिए एनएफएचएस डेटा (यूनिट स्तर के रिकॉर्ड)
- स्वास्थ्य पर सामाजिक उपभोग, 2018 पर एनएसएस डेटा (यूनिट स्तर के रिकॉर्ड) का 75वां दौर
- ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) डेटा
- स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य नीति दस्तावेज़, भारत सरकार

कार्यप्रणाली:

शहरी क्षेत्रों की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी नतीजे खराब हैं और इसके बाद सेवाओं तक कम पहुंच है। अध्ययन में विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए विभिन्न संकेतकों पर अंतर-समूह अंतर का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में वे समूह इस प्रकार हैं- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, हिंदू अन्य पिछड़ा वर्ग, हिंदू अगड़ी जातियां और मुस्लिम। अध्ययन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक रूप से सीमान्त पर रखा गया समूह माना गया है। ग्रामीण भारत के राज्यों में क्षेत्रीय असमानता की जांच की गई है। देश के औसत और देश के ग्रामीण औसत के लिए, सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है जबकि राज्य-स्तरीय ग्रामीण क्षेत्रों के विश्लेषण के लिए, सभी 29 राज्यों और दिल्ली को शामिल किया गया है।

अध्ययन में यूनीवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट तरीकों का इस्तेमाल किया गया। वर्णनात्मक आँकड़े स्थिति की झलक प्रदान करते हैं। परिवर्तन/प्रगति के लिए परिवर्तन की दर की गणना की गई है। परिवर्तन की वार्षिक दर की गणना घातांकीय विधियों का उपयोग करके की गई थी। भविष्यवक्ताओं और लिंकेज के लिए, बहुभिन्नरूपी सांख्यिकीय विधियों, विशेष रूप से लॉगिट रिग्रेशन और कारक विश्लेषण विधियों को नियोजित किया गया था। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित संकेतकों के भावी वक्ताओं को तैयार करने के लिए लॉगिट रिग्रेशन मॉडल का उपयोग किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य स्थिति, सेवाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित चर के बीच संरचनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कारक विश्लेषण को नियोजित किया गया था।

कारक विश्लेषण पर, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मृत्यु दर, कुपोषण, एनीमिया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, रुग्णता, उपचार चाहने वाला व्यवहार, अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में भर्ती व्यय, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और विशेष सेवाओं की उपलब्धता के संकेतकों पर अंतर्निहित संबंध की जांच के लिए पांच अलग-अलग कारक विश्लेषण को अलग से नियोजित किया गया है।

सभी डेटा को एक्सेल, स्टेटा और एसपीएसएस का उपयोग करके संसाधित और विश्लेषण किया गया है। एक्सेल और स्टेटा का उपयोग वर्णनात्मक और अनुमानात्मक सांख्यिकी के लिए किया जाता है। परिणाम तालिकाओं और आंकड़ों/ग्राफ़ के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र एवं जनसंख्या

अध्ययन में 2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण हिस्से पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्ययन जनसंख्या में प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की महिलाएं, 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे और अध्ययन के तहत विशिष्ट संकेतकों की आवश्यकता के अनुसार पूरी जनसंख्या थी।

निष्कर्ष

स्वास्थ्य परिणामों पर प्रगति और स्थिति

- ग्रामीण भारत में, बाल मृत्यु दर और रुग्णता में काफी गिरावट आई है और अभी भी इसकी प्रकृति में गिरावट आ रही है। उनमें से एनएमआर एससी और एसटी जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच महत्वपूर्ण है, जो ऐसे विभिन्न समूहों के बीच मृत्यु दर को कम करने की चिंता को दर्शाता है। एआरआई में काफी कमी आई है लेकिन सीमान्त पर रहने वाले समूहों के बच्चों में डायरिया के मामले अभी भी अधिक हैं और बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनका इलाज नहीं किया जा रहा है।
- अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित जाति के बच्चों में सीमान्त पर रहने वाले समूहों में कुपोषण की गंभीरता अभी भी अधिक है। बच्चों में मोटापा एक और उभरती हुई चिंता है। फिर भी, लगभग साठ फीसदी बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं और एक-तिहाई बच्चे मध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित हैं। उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण क्षेत्रों तक के अधिकांश भूमि-बद्ध राज्यों में एनीमिया की व्यापकता उच्च से उच्चतम स्तर तक पाई गई।
- महिलाओं की एनीमिया की स्थिति पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन आयु की आधी से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित पाई जाती हैं, जिनमें एसटी और एससी की संख्या अधिक है। कम वजन वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में कमी एक अच्छा संकेत है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच तेजी से बढ़ता मोटापा एनसीडी, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और अधिक मृत्यु दर जोखिम के जोखिम कारक के रूप में महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में एनसीडी के बढ़ते प्रसार का एक बड़ा भाग श्वसन संबंधी समस्याओं (11 प्रतिशत) के कारण होता है, इसके बाद उच्च रक्तचाप (11 प्रतिशत), मधुमेह (10 प्रतिशत), मस्कुलोस्केलेटल (9 प्रतिशत) और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं (5) प्रतिशत होती हैं। ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति जैसे सीमान्त पर रहने वाले समूहों में अभी भी सीडी का बड़ा भाग है और वे 'बीमारियों के दोहरे बोझ' का सामना कर रहे हैं। उन्हें इस बोझ से उबरने और कम करने के लिए उचित निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच और उपयोग की स्थिति

- एमसीएच सेवाओं तक पहुंच के मामले में, एक-चौथाई गर्भधारण का अभी भी दूसरी तिमाही या उसके बाद पंजीकरण होना एक उल्लेखनीय चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुशल प्रदाताओं द्वारा प्राप्त एएनसी सेवाएँ हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच कम हैं। 'पूर्ण एएनसी' का बहुत कम अनुपात हैरान करने वाला है क्योंकि ग्रामीण भारत में हर छह में से केवल एक महिला ने पूर्ण एएनसी हासिल की है।
- प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के मामले में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर संस्थागत प्रसव में वृद्धि एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सिजेरियन प्रसव (सी-सेक्शन डिलीवरी) की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर चिंता का विषय है। सीमान्त पर रहने वाली महिलाओं के लिए प्रसव के दौरान सहायता कम पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान कुशल सहायता कार्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

- सीमान्त पर रहने वाली महिलाओं में प्रसवोत्तर देखभाल अभी भी कम है। यहां तक कि नवजात शिशुओं की प्रसवोत्तर देखभाल भी केवल 37 प्रतिशत ही की जाती है, जो नवजात शिशुओं में नवजात मृत्यु के नियंत्रण की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
- पूर्ण टीकाकरण निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि टीकाकरण के लिए ड्रॉपआउट अभी भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बत्तीस प्रतिशत बच्चों का आंशिक टीकाकरण किया जाता है, जो कार्यक्रम और नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती होने, व्यय और संकट वित्तपोषण से पता चला कि, अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले कुल खर्च का, सबसे अधिक 25 प्रतिशत दवाओं पर खर्च किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की फीस (16 प्रतिशत) से लेकर गैर-चिकित्सा खर्च (12 प्रतिशत) शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 प्रतिशत परिवार इलाज के लिए संकटकालीन वित्तपोषण का वहन करते हैं।
- बढ़ी हुई चिंता यह है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 86 प्रतिशत आबादी किसी भी सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं आती है। निष्कर्षों से अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से होने वाले भारी खर्च की कड़वी सच्चाई सामने आती है - यह या तो गरीबों का इलाज नहीं करा पाता या उन्हें वित्तीय संकट और गरीबी के जाल में धकेल देता है।

स्वास्थ्य प्रणाली पर स्थिति- बुनियादी ढांचा और जनशक्ति

- स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की उपलब्धता से स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिशेष का पता चलता है - प्रत्येक 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

में एचएससी और पीएचसी और 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीएचसी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अधिकांश अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों सहित अन्य राज्यों में पाई जाती है।

- करीब एक तिहाई पीएचसी में लेबर रूम नहीं हैं। केवल 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सभी कार्यात्मक सीएचसी पर ऑपरेशन थिएटर पाए गए। केवल 41 प्रतिशत कार्यात्मक सीएचसी में नवजात शिशुओं के लिए कार्यशील स्थिरीकरण इकाइयाँ हैं। हालांकि कई राज्यों में ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन देश के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक कार्यात्मक स्थिति की आवश्यकता है।
- सभी कार्यरत सीएचसी में से केवल 6 प्रतिशत ही सभी चार विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं। 2018 में, 13 राज्यों में किसी भी सीएचसी ने सभी चार विशेषज्ञों के साथ काम नहीं किया। केवल 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, सभी चार निर्धारित विशेषज्ञ सभी कार्यात्मक सीएचसी में तैनात पाए गए।
- चिंताजनक रूप से, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के अलावा मानव संसाधनों की कमी के खतरे और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे लंबे समय तक नीतिगत क्षेत्र में उजागर रहे। एनआरएचएम के बाद काफी प्रगति हुई है, लेकिन आने वाले वर्षों में 100 प्रतिशत भरे पदों तक पहुंचने और ग्रामीण भारत को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से लैस करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के अधिकांश संकेतकों पर ग्रामीण भारत में हाशिये पर रहने वाले सामाजिक समूह बेहतर स्थिति वाले समूहों से पीछे पाए

गए। अधिकांश संकेतक एक दूसरे पर निर्भर पाए गए और एक संकेतक में प्रगति दूसरे को आगे बढ़ाती है। स्वास्थ्य स्थिति, सेवाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्संबंधों से पता चलता है कि खराब बुनियादी ढांचे, कार्यबल की कमी और देखभाल की गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए खतरे से कम नहीं है। उच्च नकारात्मक गुणांक से पता चलता है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार और सेवा की उपलब्धता ने स्वास्थ्य देखभाल व्यय के बोझ को कम कर दिया है।

- निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे पर निर्भर है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधनों की कमी से निजी सुविधाओं पर निर्भरता या स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ न लेने की संभावना बढ़ जाती है, और इसके परिणामस्वरूप हाशिए पर रहने वाली आबादी में उच्च मृत्यु दर और रुग्णता होती है।

- **नीति सिफारिशें**

- अध्ययन से उभरने वाले विचारोत्तेजक उपाय और नीतिगत सिफारिशें पहले से मौजूद कार्यक्रम और नीति से संबंधित हैं और इन्हें सीमान्त पर रहने वाले लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में प्रारंभ किया गया 'मिशन लक्ष्य' आबादी के ऐसे समूहों के लिए सुरक्षित और कुशल डिलीवरी की दिशा में एक कदम हो सकता है। 'मिशन इंद्रधनुष' के रूप में बाल टीकाकरण परिप्रेक्ष्य संभवतः टीकाकरण छोड़ने की समस्या पर काबू पा लेगा। सुविधा स्तर पर एनएमआर में कमी और घर-आधारित देखभाल के

लिए लक्षित कार्यक्रमपरक दृष्टिकोण और रणनीतियों को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) के भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सीमान्त पर रहने वाली आबादी का उच्च अनुपात वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) और प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के कार्यक्रमपरक कार्य संरचना के भीतर, विभिन्न एमसीएच संकेतकों पर घटक-वार फोकस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया पर नीतियों में ध्यान दिया जाना चाहिए और अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। पोषण अभियान की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें सीमान्त समूहों, महिलाओं और बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) को हाशिए पर रहने वाले वर्ग के जरूरतमंदों तक पहुंच के अलावा कार्यान्वयन, निगरानी के साथ मातृ पोषण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- दूर की स्वास्थ्य सुविधाएं और जनशक्ति की कमी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर अतिरिक्त बोझ डालती है क्योंकि कम अनुपात में लोग स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रामीण भारत के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाने के लिए एक समयबद्ध शुरुआत है। अधिक हाशिये पर मौजूद लोगों के कवरेज से ग्रामीण क्षेत्रों में जेब से होने वाले खर्च और संकट वित्तपोषण में कमी आएगी।

- गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का बढ़ता प्रचलन और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच कुछ संचारी रोगों (सीडी) का उच्च प्रसार एक और चिंता का विषय है। 'स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' की स्थापना निवारक उपायों में सक्रिय भूमिका निभाएगी और सामुदायिक स्तर पर दूर से पहुंच वाली हाशिए पर मौजूद आबादी के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देगी। इसे सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के संदर्भ में आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कई जिंदगियों को बचाया जा सके।
- 'स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच' के उद्देश्यों और 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के उद्देश्य से, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को अपने सभी आयामों जैसे स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में सरकार की भूमिका को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- इस प्रकार जिन राज्यों में सीमान्त पर रहने वाली आबादी की बड़ी हिस्सेदारी है, उन्हें ऐसे समूहों के लिए अलग मॉडल जिला स्वास्थ्य कार्य योजना (डीएचएपी) बनाने की आवश्यकता है। आवश्यकताओं के अनुसार हस्तक्षेप के लिए विकेंद्रीकृत और सूक्ष्म-स्तरीय योजना को छोटे क्षेत्र-आधारित योजना में विभाजित करना होगा। लंबे समय में, यह नीति आबादी, विशेषकर सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।

ग्रामीण और शहरी भारत में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच

खालिद खान
राजेंद्र पी. ममगाई

परिचय

वर्तमान अध्ययन में भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की स्थिति की जांच की गई है। इसने विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा की मांग के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष का भी पता लगाया है। यह प्रारंभिक तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के स्कूलों की उपलब्धता की रिपोर्ट करता है। यह देखते हुए कि स्कूलों में उपलब्ध संसाधन और बुनियादी ढांचे भी सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अध्ययन में उन संसाधनों की उपलब्धता में असमानता और आगे सुधार की गुंजाइश की भी जांच की गई है। यह विश्लेषण स्कूली शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में समूह-आधारित असमानता की जांच करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, अध्ययन में स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट की समस्या की जांच की गई है। चूंकि स्कूली शिक्षा पर घरेलू खर्च और वित्तीय सहायता की उपलब्धता स्कूली शिक्षा तक पहुंच और निरंतरता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए अध्ययन में इन दो पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

उद्देश्य

अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है:

1. अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर विद्यालयों की उपलब्धता का अध्ययन करना।

2. अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर स्कूलों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की उपलब्धता की जांच करना।
3. अखिल भारतीय स्तर पर लिंग, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह, आय और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा तक पहुंच का अध्ययन करना ।
4. अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दर का विश्लेषण करना।
5. अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर लिंग, सामाजिक समूह, धार्मिक समूहों और व्यावसायिक समूहों द्वारा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं का आकलन करना।
6. अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक समूहों से संबंधित परिवारों द्वारा किए गए खर्च का विश्लेषण करना।
7. अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा में विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता की स्थिति की जांच करना।

क्रियाविधि

प्रारंभिक स्तर पर, स्कूल स्तर पर नामांकन कम से कम संख्यात्मक रूप से सार्वभौमिक स्तर के करीब पहुंच गया है। हालाँकि, स्कूली शिक्षा के संबंध में गुणवत्ता और निरंतरता का मुद्दा अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यह देखते हुए कि स्कूल स्तर पर नामांकन सार्वभौमिक स्तर पर पहुंच गया है, उपलब्ध बुनियादी ढांचे और शिक्षा के परिणामों की गुणवत्ता को मापने पर जोर दिया गया है। शिक्षा के परिणामों का डेटा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2017 पर आधारित है।

बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का डेटा जिला शिक्षा सूचना सांख्यिकी (डीआईएसई) पर आधारित है। इसमें स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया गया है। यह विश्लेषण बच्चों के सीखने के परिणाम पर परिवारों के लिंग, सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के प्रभाव पर केंद्रित है। यह इन समूहों में स्कूलों की गुणवत्ता के लिए प्रॉक्सी के रूप में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की उपलब्धता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ड्रॉपआउट एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसका अध्ययन में विश्लेषण किया गया है। आय पर डेटा की अनुपलब्धता और आय के विभिन्न घटकों को मापने में कठिनाइयों को देखते हुए, घरेलू व्यय परिवार की आर्थिक स्थिति का एक उपयोगी निर्धारक है। इसके अलावा, चर के दो सेट, अर्थात् जाति और धार्मिक पहचान, पर विचार किया जाता है। परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि को भी परिवर्तनशील माना जाता है। सामाजिक उपभोग और शिक्षा पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) डेटा, 2017-18 स्व-रोजगार, नियमित वेतनभोगी श्रमिकों और आकस्मिक मजदूरों पर आधारित परिवारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्व-रोजगार और आकस्मिक श्रम को कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विश्लेषण के लिए लिंग को भी एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र चर माना गया है।

अध्ययन क्षेत्र:

अखिल भारतीय स्तर के इस अध्ययन में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असमानता और विभिन्न संकेतकों में प्रदर्शन में ग्रामीण-शहरी अंतर का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के प्रदर्शन की तुलना आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों से भी की जाती है। इसका उद्देश्य उन विभिन्न पहलुओं की पहचान करना था जिनमें ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से पीछे हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

- विश्लेषण से पता चलता है कि निजी स्कूल, हालांकि सरकारी स्कूलों की तुलना में संख्या में कम हैं, शिक्षा के सभी स्तरों की पेशकश करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। उपलब्धता के मामले में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच का अंतर शिक्षा के निचले स्तर पर अधिक है, जबकि स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर पर इसका उलटा है। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, जबकि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों की पेशकश करने वाले एकीकृत स्कूलों की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। सरकारी स्कूलों में यह समस्या और भी बढ़ गई है। बेहतर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में बड़े स्कूल होने की संभावना है; इस प्रकार, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में छोटे स्कूल और अधिक स्कूल हैं।
- विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि उल्लेखनीय संख्या में एकल-कक्षा वाले स्कूल और एकल-शिक्षक स्कूल हैं। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर एकल-कक्षा वाले स्कूल और एकल-शिक्षक स्कूल हावी हैं।
- बड़ी संख्या में स्कूलों में विशेष रूप से शिक्षा के निचले स्तर पर चारदीवारी, बिजली और खेल के मैदान से संबंधित सुविधाओं का अभाव है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बुनियादी ढांचे से संबंधित अधिकांश संकेतकों के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि पिछड़े राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं।

- प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन अखिल भारतीय स्तर पर और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लिंग, सामाजिक समूहों, आय समूहों और व्यावसायिक समूहों में सार्वभौमिक स्तर के करीब है।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर, नामांकन अभी भी सार्वभौमिक स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। विभिन्न समूहों में पारंपरिक पदानुक्रम यहां मौजूद है, और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से उल्लेखनीय रूप से पीछे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, मुस्लिम और निचले 20 प्रतिशत आय वर्ग शहरी क्षेत्रों में अपने समकक्षों से काफी पीछे हैं। अधिकांश आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य पहुंच के मामले में पिछड़े हुए हैं। इन राज्यों में एसएचएस स्तर पर लिंग अंतर भी अधिक है। इसके अलावा, वंचित समूहों के बीच अंतर-राज्य असमानता मौजूद है।
- स्कूल छोड़ने की उच्च दर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आकस्मिक श्रमिक परिवारों और मुसलमानों में देखी गई है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, और प्रत्येक समूह में यह दर अधिक है। विभिन्न समूहों के पैटर्न से पता चलता है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के छात्र अपने वंचित समकक्षों की तुलना में अधिक समय तक शिक्षा में बने रहते हैं।
- शिक्षा के माध्यम और स्व-वित्तपोषित संस्थानों तक पहुंच के आधार पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक असमानता मौजूद है। प्रत्येक समूह के बीच अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों तक पहुंच के मामले में ग्रामीण-शहरी अंतर मौजूद है, लेकिन जहां तक सामाजिक समूहों का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सबसे कमजोर समूह हैं। मुसलमानों के बीच अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिस्सेदारी हिंदुओं के समान है, संभवतः कम गुणवत्ता वाले अंग्रेजी माध्यम के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के कारण ऐसा है।

- बिना सहायता प्राप्त संस्थानों की हिस्सेदारी से मापी गई गुणवत्ता के संदर्भ में विभिन्न समूहों में एक समान पैटर्न देखा जाता है। प्रत्येक आय वर्ग के बीच गैर सहायता प्राप्त संस्थानों की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। राज्य के समग्र प्रदर्शन के बावजूद अंतरराज्यीय ग्रामीण-शहरी अंतर मौजूद है। विशेष रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में ग्रामीण-शहरी अंतर अधिक है, हालांकि अधिकांश पिछड़े राज्यों में यह कम है।
- घरेलू व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा पर औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में तीन गुना से अधिक है। शिक्षा पर औसत व्यय महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए थोड़ा अधिक है, जो घर में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मानव पूंजी में अधिक निवेश की प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। सामाजिक समूहों में व्यय भी पारंपरिक पदानुक्रम का पालन करता है; यह अनुसूचित जनजाति में सबसे कम है, इसके बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और 'अन्य' हैं। मुसलमानों में औसत खर्च सभी धार्मिक समूहों में सबसे कम है। ये पैटर्न लगभग हर राज्य में देखने को मिलता है। शहरी स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खर्च में थोड़ी वृद्धि करती है। हालाँकि, शहरी स्थिति ओबीसी और 'अन्य' की तुलना में अनुसूचित जाति के बीच शिक्षा पर खर्च में कम सुधार करती है, जबकि शहरी स्थान के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के बीच सुधार सबसे अधिक है।
- यह भी देखा गया है कि वित्तीय सहायता इस अर्थ में प्रगतिशील रही है कि सरकारी स्कूलों में वित्तीय सहायता की उच्च हिस्सेदारी के कारण समाज के कमजोर वर्गों को उनके विशेषाधिकार प्राप्त समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मिल रहा है। प्रत्येक समूह के लिए शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन की सीमा अधिक है। हालाँकि, वित्तीय सहायता अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे कम है, और मुसलमानों

में हिंदुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जो फिर से सरकारी स्कूलों पर अल्पसंख्यकों की अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता की पुष्टि करता है। राज्य-वार पैटर्न से वित्तीय सहायता की प्रगतिशील प्रकृति का भी पता चलता है क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में उनके संपन्न समकक्षों की तुलना में अधिक है।

उपसंहार

विश्लेषण से पता चलता है कि स्कूली शिक्षा तक पहुंच की स्थिति विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर की संवैधानिक प्रतिबद्धता के विपरीत है। शिक्षा के प्रति नीतियों से संबंधित प्रमुख चिंताओं में से एक सार्वजनिक (राज्य-वित्त पोषित) शिक्षा को मजबूत करने में विफलता रही है। अधिकांश स्कूल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों की पेशकश करने में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम सुसज्जित हैं। सरकारी स्कूलों में यह समस्या और भी बढ़ गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में शिक्षकों पर छात्रों का भारी बोझ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

मात्रात्मक दृष्टि से नामांकन के सार्वभौमिकरण के बावजूद, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिधारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्कूली शिक्षा के स्तर, प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में बहुस्तरीय स्कूल प्रणाली भी स्कूली शिक्षा के असमान परिणामों के पीछे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले निजी स्कूल आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों तक ही सीमित हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। माता-पिता के बीच अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर कम महत्वाकांक्षा, विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच, कमजोर सामाजिक समूहों के छात्रों के बीच कम पहुंच और उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है।

अधिगम के परिणाम के संबंध में एक बड़ी समस्या पर्याप्त डेटा की अनुपलब्धता है। सीमित उपलब्ध जानकारी सामान्य रूप से छात्रों और विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच अधिगम के कम परिणामों को दर्शाती है। यह देखते हुए कि वंचित समूहों के छात्रों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकारी स्कूलों में होती है, उनकी शिक्षा के परिणाम दोगुने यानी पहले, उनकी कमजोर पृष्ठभूमि से और दूसरे, सरकारी स्कूलों में प्रतिकूल सीखने के माहौल से प्रभावित होते हैं।

नीति सिफारिश

अध्ययन से निकले निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित नीतिगत सुझाव दिए गए हैं:

- सरकारी स्कूलों के विस्तार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के सभी स्तरों को कवर किया जा सके। इसके अलावा, संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में भी सुधार की जरूरत है।
- कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों की स्कूली शिक्षा तक पहुंच और उसे बनाए रखने में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिक परिवारों और निचले 20 प्रतिशत आय वर्ग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- स्कूलों में सुविधाओं के प्रावधान के अलावा, इन संसाधनों को स्कूलों में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को प्रभावी ढंग से बेहतर बनाने में इनपुट के प्रावधान को परिवर्तित किया जा सके।

- उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में भाग लेने की अवसर लागत की भरपाई के लिए समर्थन की आवश्यकता है।
- अंतर्निहित कठिनाइयों की जांच के लिए स्कूल में छात्रों के बीच सीखने के परिणामों पर एक विशेष सर्वेक्षण की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा और संख्यात्मक साक्षरता पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकारी स्कूलों में छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से पीछे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ग्रामीण श्रमिक बाजारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: रोजगार, आय और समावेशन का एक अध्ययन

डॉ. निवेदिता शर्मा
डॉ. अंकिता गोयल
सुश्री जया लक्ष्मी नायर

परिचय

भारतीय श्रम बाजार सामाजिक समूहों और लिंग के आधार पर अत्यधिक खंडित हैं। भेदभाव और बहिष्करण से मजदूरी और श्रम की आय में असमानताएं होती हैं। इस प्रकार, श्रम बाजार एक ओर तो गरीबों के लिए आय और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन दूसरी ओर, इनमें असमानताओं को उत्पन्न करने, बनाए रखने और बढ़ाने की क्षमता भी है। सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में आरक्षण नीतियों जैसी कई पहलों के बावजूद, महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे वंचित सामाजिक समूहों के शैक्षिक और व्यावसायिक परिणाम असंतोषजनक बने हुए हैं। इस प्रकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों और रोजगार में संबंधित बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है। हाशिए पर रहने वाले वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध काम के अवसरों पर ध्यान देना भी जरूरी है। यह अध्ययन इस अर्थ में रोजगार पर पहले से ही मौजूद विशाल साहित्य में एक अतिरिक्त संकलन इस अर्थ में है कि यह सभी प्रमुख राज्यों के हालिया डेटा रुझानों (2018-19) का पता लगाएगा।

उद्देश्य

- 2004 के बाद से ग्रामीण रोजगार संरचना में व्यापक रुझानों और सामाजिक और लैंगिक आयामों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण करना।
- यह समझने के लिए कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अवसरों और मजदूरी दरों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह रहा है।
- ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की रोजगार की स्थिति और पैटर्न पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करना।
- रोजगार और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय सुझाना।

क्रियाविधि

यह अध्ययन मुख्य रूप से ग्रामीण श्रम बाजारों पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा के साथ-साथ विशेष रूप से एससी और एसटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए माध्यमिक डेटा पर आधारित है। सभी राज्यों के लिए एनएसएसओ (61वें दौर, 68वें दौर) के विभिन्न दौरों के यूनिट-स्तरीय डेटा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018-19 और एमजीएनआरईजीएस के लिए एमआईएस रिपोर्ट आदि से डेटा एकत्र किया गया है। निष्कर्ष और सुझाव नीति अनुशासन निकालने के लिए एकत्र की गई सामग्रियों और डेटा का विश्लेषण और संश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन में सभी राज्यों को शामिल किया गया।

निष्कर्ष

- 2018-19 में पुरुषों के लिए एलएफपीआर महिलाओं (19.65 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (55.13 प्रतिशत) है।
- पुरुषों के लिए डब्ल्यूपीआर 2004-05 और 2011-12 के लिए लगभग 54 प्रतिशत पर रहा और 2018-19 में दो प्रतिशत अंक की गिरावट आई। जबकि, महिलाओं के लिए, डब्ल्यूपीआर जो 2004-05 में 32.7 प्रतिशत थी, 2018-19 में घटकर सिर्फ 18.96 प्रतिशत रह गई।
- इसके अलावा, शिक्षा में वृद्धि के साथ ग्रामीण महिला श्रमिकों की भागीदारी में गिरावट आई है, जबकि ग्रामीण पुरुषों के मामले में, यह एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 2018-19 में, जो महिलाएं निरक्षर (48.3 प्रतिशत) थीं, उनके कार्यबल में होने की संभावना अधिक थी, उसके बाद मध्य (35.4 प्रतिशत), माध्यमिक का स्थान था। पुरुष श्रमिकों के मामले में, कार्यबल में उनका प्रतिनिधित्व मध्यम स्तर की शिक्षा (46.27 प्रतिशत) के लिए सबसे अधिक है, इसके बाद गैर-साक्षर (22.6 प्रतिशत) है।
- आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता 'अन्य' (पुरुषों के लिए 46.07 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 52.39 प्रतिशत), एसटी (पुरुषों के लिए 43.67 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 55.04 प्रतिशत), ओबीसी (पुरुषों के लिए 42.69 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 46.6 प्रतिशत) प्रमुख रूप से पाई जाती है। अनुसूचित जाति में भागीदारी सबसे कम पाई गई है, जिसमें पुरुषों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है।
- गैर-कृषि में पुरुष एसटी आबादी की हिस्सेदारी 2004-05 में केवल 5.4 प्रतिशत से काफी कम थी, जो 2018-19 में बढ़कर 13.21 प्रतिशत हो गई। 2018-19 में महिला एसटी आबादी की हिस्सेदारी भी कम यानी मात्र 9 प्रतिशत है। इसके अलावा, पुरुषों में

15.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 19.5 प्रतिशत ओबीसी और 19.57 प्रतिशत 'अन्य' गैर-कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार हैं। महिलाओं के आंकड़े भी समान हैं।

- पुरुषों (10.7 प्रतिशत) और महिलाओं (6.95 प्रतिशत) दोनों के लिए नियमित वेतनभोगी श्रमिकों में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी सबसे कम है। सबसे अधिक हिस्सेदारी 'अन्य' पुरुषों (17.89 प्रतिशत) और महिलाओं (16.04 प्रतिशत) की है।
- आकस्मिक श्रम में पुरुष अनुसूचित जाति (46.13 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (32.41 प्रतिशत) की हिस्सेदारी ओबीसी (24.15 प्रतिशत) और 'अन्य' (16.48 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। यही स्थिति महिलाओं के मामले में भी है, जिसका अर्थ यह है कि लगभग 60 प्रतिशत आकस्मिक मजदूर एससी/एसटी से संबंधित हैं।
- 2018-19 में, यह देखा गया है कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है, पुरुष अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट आती है, जबकि 'अन्य' के लिए प्रतिकूल सत्य है। अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए, यह एक मिश्रित प्रवृत्ति है, और महिलाओं के लिए भी यही प्रवृत्ति देखी गई है।
- मजदूरी के संबंध में, पुरुष मजदूरी दर महिलाओं की तुलना में अधिक पाई जाती है। 2004-05 में, महिला मजदूरी दर पुरुष मजदूरी दर से 45.9 प्रतिशत कम थी और 2018-19 में, यह 35.9 प्रतिशत कम हो गई थी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए औसत मजदूरी सबसे कम है, जबकि नियमित वेतनभोगी काम के मामले में, 'अन्य' सभी क्षेत्रों में उच्चतम औसत दैनिक मजदूरी दर अर्जित करते हैं।
- हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में मामूली वृद्धि को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 2004-05 से 2018-19 तक सभी व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में एलएफपीआर राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है, जबकि

बिहार राज्य में बहुत चिंताजनक एलएफपीआर 2.6 प्रतिशत है, इसके बाद असम और उत्तर प्रदेश हैं।

- विभिन्न सामाजिक समूहों से संबंधित जनसंख्या के एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में बहुत अधिक पूर्वाग्रह नहीं देखा जाता है, उन राज्यों को छोड़कर जहां एसटी का अनुपात झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और एमपी जैसे राज्यों से थोड़ा अधिक है। इन राज्यों में, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आबादी का एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर 'अन्य' की तुलना में अधिक था।
- कुल मिलाकर, गैर-कृषि में नियमित और स्व-रोजगार से हटकर आकस्मिक रोजगार और मुख्य रूप से 'अन्य' जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के लिए कृषि में रोजगार की ओर बदलाव हुआ है। एसटी के मामले में, पूर्वोत्तर राज्यों में, आंदोलन कृषि से दूर गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित रोजगार और स्वरोजगार की ओर रहा है, जबकि एसटी आबादी वाले अन्य राज्यों में, रोजगार मुख्य रूप से कृषि और आकस्मिक कार्यों में रहा है।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि 20 प्रतिशत से कम औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं। जहां तक अनुसूचित जाति कामकाजी आबादी का सवाल है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि गोवा, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति कार्यबल द्वितीयक क्षेत्र में है। कार्यबल की 'अन्य' श्रेणी के मामले में, यह देखा गया है कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक कार्यबल तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

- दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में एसटी के लिए, सबसे कम आय वर्ग से संबंधित कार्यबल में वृद्धि हुई है। एससी के मामले में, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा गुजरात और दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों के अलावा, सबसे कम आय वर्ग में कामकाजी आबादी या तो वही रही है या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। 'अन्य' श्रेणी के श्रमिकों के लिए, उच्चतम आय श्रेणी में अनुपात अधिकांश क्षेत्रों में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक है।
- 2004-05 और 2018-19 के बीच अधिकांश राज्यों में पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी अंतराल आकस्मिक रोजगार की तुलना में नियमित रोजगार के लिए कहीं अधिक बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अंतर असम में दिखाई दिया जबकि पड़ोसी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में ₹100 से भी कम का अंतर दिखा। सिक्किम और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरी कमोबेश बराबर थी।
- एक राज्य के भीतर नियमित रोजगार में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के श्रमिकों के बीच मजदूरी अंतराल दृढ़ता से 'अन्य' श्रेणी की ओर होता है और दी गई अवधि में मजदूरी अंतराल बढ़ता है। आकस्मिक रोजगार के लिए, एक राज्य के भीतर विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच वेतन में इतना अंतर नहीं है।

उपसंहार:

जबकि महिला श्रमिक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में काम और मजदूरी के मामले में हाशिये पर हैं, सबसे निचला हिस्सा एससी और एसटी से संबंधित ग्रामीण महिलाओं द्वारा गठित किया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में डब्ल्यूपीआर भी कम है, जिसमें भी पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। अधिकांश कार्यबल अभी भी कृषि क्षेत्र में केंद्रित है लेकिन ग्रामीण महिलाएं पुरुषों की तुलना में इस पर अधिक निर्भर हैं। कृषि के बाद

निर्माण क्षेत्र रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। दूसरी ओर, नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कार्यों का बहुत कम अनुपात अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकीकरण की ओर इशारा करता है। मजदूरी रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि आकस्मिक श्रम के लिए श्रम बाजार नियमित श्रम की तुलना में भेदभाव से अधिक प्रभावित होते हैं। इस धारणा के विपरीत कि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाति भेदभाव का एक प्रमुख स्रोत होगी, विश्लेषण में अधिकांश भेदभाव विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और रोजगार के प्रकारों में जेंडर के इर्द-गिर्द घूमता है। हालाँकि, उत्तर-पूर्व क्षेत्र को छोड़ दें, तो विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति की आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है, वहाँ भेदभाव अधिक है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के मामले में उनके प्रति पूर्वाग्रह है। इसके अलावा, आय समूहों के संदर्भ में, यह देखा गया कि एसटी की लगभग 75-80 प्रतिशत कामकाजी आबादी सबसे कम आय समूह से संबंधित थी।

इसके अतिरिक्त, मजदूरी के मामले में, 'अन्य' जातियों के पक्ष में स्पष्ट पूर्वाग्रह है। समग्र स्थिति श्रम बाजारों में ग्रामीण महिलाओं तथा एससी और एसटी सामाजिक समूहों से संबंधित महिलाओं के लिए अधिक नुकसान का संकेत देती है। हालाँकि, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार की गुंजाइश को बनाए रखा है। यह उन महिलाओं के लिए योजना में भागीदारी को तार्किक रूप से संभव बनाता है जिनके पास अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को देखते हुए रोजगार के सीमित अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। हालाँकि, मनरेगा में सामाजिक समूहों में भेदभाव देखा जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य की तुलना में वंचित स्थिति में हैं। विभिन्न राज्यों में मनरेगा का प्रदर्शन अलग-अलग रहा है।

नीति सिफारिशें:

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की एक बड़ी समस्या अंतर-पीढ़ीगत गरीबी है, जिसका मुख्य कारण कम शिक्षा, कम कौशल, कम संपत्ति आधार और इसलिए, कम गतिशीलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए गरीबी चक्र को तोड़ने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बेहतर संभावनाएं हों। उस मामले में, सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आगामी श्रम बल में कौशल सृजन में निवेश इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है।
- (ii) मनरेगा जैसे सरकार प्रायोजित रोजगार और संपत्ति निर्माण कार्यक्रम हैं। यह निश्चित रूप से अपने मजदूरी घटक हिस्से में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं तक पहुंचा है। इसके परिसंपत्ति घटक भाग में उत्पादक परिसंपत्तियों को सबसे कमजोर परिवारों में स्थानांतरित करने के लिए जगह है। व्यक्तिगत संपत्ति घटकों को मजबूत करके, आबादी के इन वर्गों के लिए मनरेगा की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में समग्र रोजगार को बढ़ावा देना, अधिकांश हाशिए पर रहने वाले श्रमिकों के लिए उपयोगी पाया गया है। यह भी देखा गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि का गरीबी में कमी के साथ सकारात्मक संबंध है। गैर-कृषि क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा देकर इन श्रमिकों की आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) कृषि उत्पादकता का विशेषकर ग्रामीण गरीबों के बीच गरीबी में कमी के साथ सकारात्मक संबंध है। बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता और कृषि क्षेत्र की मजदूरी दर के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध भी देखा गया है। चूंकि अधिकांश ग्रामीण अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति और महिला श्रमिक रोजगार और आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता उनके गरीबी स्तर और जीवन स्थितियों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

- (v) इन श्रमिकों के लिए किसी भी सामाजिक सुरक्षा के अभाव ने उनकी असुरक्षा को बढ़ा दिया है। कुछ हद तक मनरेगा ही उनके लिए उपलब्ध एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है; हालाँकि, एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में, मनरेगा आय सुरक्षा के मामले में अपर्याप्त है। इसके अलावा, इसे घरेलू स्तर पर प्रदान किया जाता है और अधिकतम 100 दिनों तक रखा जाता है। इस प्रकार, या तो इसके कार्यक्षेत्र की व्याप्ति को 100 से 150 दिनों तक बढ़ाकर व्यक्तिगत स्तर पर गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके या नकद हस्तांतरण (मनरेगा के अतिरिक्त कुछ प्रकार के नकद हस्तांतरण) द्वारा पूरक किया जा सकता है।

प्रवासन, कल्याण और कोविड-19 का प्रभाव: दिल्ली में उत्तराखंड प्रवासियों का एक अध्ययन

डॉ बलवंत सिंह मेहता
सुश्री प्रियांशी चौधरी
श्री प्रेम कांत मिश्रा
डॉ अलख नारायण शर्मा
डॉ. राजेंद्र पी. ममगाई

परिचय

यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि ऐतिहासिक दृष्टि से लोग बेहतर रोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए पिछड़े क्षेत्रों से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। यह बात उत्तराखंड के मामले में भी सच है, जहां पिछले कुछ वर्षों में, बाहरी प्रवासन की प्रकृति व्यक्तिगत से परिवारों के साथ प्रवासन में बदल गई है। आजीविका के पर्याप्त अवसरों की कमी और विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अन्य सामाजिक और आर्थिक ढांचागत समस्याओं के कारण राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। वह क्षेत्र जिसने ऐतिहासिक रूप से लोगों को प्रवासी के रूप में आने के लिए आकर्षित किया, वह अपनी जनसंख्या को बनाए रखने में विफल रहा है। पहाड़ी और मैदानी जिलों के बीच असमानता ने राज्य में बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या पैदा कर दी है, जिससे कई पहाड़ी जिलों में भूतिया गांवों की संख्या बढ़ रही है।

कोविड-19 के प्रकोप ने गंतव्यों पर प्रवासियों की निराशाजनक स्थिति को उजागर कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड के प्रवासी भी शामिल हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कम-कुशल व्यवसाय, कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियां और रहने की खराब स्थिति उनके गंतव्य स्थानों पर प्रवासियों के बीच आम समस्याएं हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, देशव्यापी तालाबंदी ने

3.6 लाख लोगों को उत्तराखंड लौटने के लिए मजबूर किया। हालाँकि, अपने गंतव्य पर प्रवासियों और विशेष रूप से उनके कल्याण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर किसी भी व्यवस्थित अध्ययन का अभाव है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासियों के प्रवासन, कल्याण और जीवन तथा आजीविका पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच करना था।

क्रियाविधि

अध्ययन के उद्देश्य की जांच के लिए डेटा के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा एक अर्ध-संरचित प्रश्नावली के माध्यम से 400 प्रवासियों का साक्षात्कार करके एकत्र किया गया था, जबकि जानकारी के माध्यमिक स्रोत राज्य सरकार के प्रासंगिक प्रकाशनों, जर्नल लेखों, पुस्तकों, समाचार पत्रों के लेखों आदि से एकत्र किए गए थे।

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन दिल्ली के 13 कम आय वाले क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, दिल्ली और उत्तराखंड दोनों में कुछ साक्षात्कार और मामला अध्ययन भी आयोजित किए गए।

निष्कर्ष

- अधिकांश प्रवासी परिवार सामान्य वर्ग (96 प्रतिशत) और हिंदू धर्म (99 प्रतिशत) से संबंधित थे, जबकि उनके परिवार के सदस्य युवा और मध्यम आयु वर्ग के थे जिनकी औसत आयु 31 वर्ष थी। लगभग 67 प्रतिशत वयस्क सदस्य विवाहित थे, और 56 प्रतिशत उच्च शिक्षित (माध्यमिक और उससे ऊपर) थे।

- प्रवासियों के परिवारों में लगभग 29 प्रतिशत वयस्क सदस्य कामकाजी थे, जबकि 61 प्रतिशत गैर-कामकाजी सदस्य थे। परिवार के लगभग 10 प्रतिशत सदस्य बेरोजगार थे और युवाओं में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत अधिक (16 प्रतिशत) थी। रोजगार में व्यापक जेंडर अंतर था और पुरुष (45 प्रतिशत) महिलाओं (10 प्रतिशत) की तुलना में चार गुना अधिक आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत थे। जबकि, महिलाएं (63.9 प्रतिशत) पुरुषों (7.6 प्रतिशत) की तुलना में घरेलू कार्यों में आठ गुना अधिक शामिल थीं, जबकि पुरुष (84.6 प्रतिशत) महिलाओं (33.2 प्रतिशत) की तुलना में पढ़ाई में दोगुने से अधिक शामिल थे।
- तीन-चौथाई से अधिक (78 प्रतिशत) कर्मचारी नियमित रूप से वेतनभोगी थे और मुख्य रूप से निजी (58 प्रतिशत), और सेवा क्षेत्रों (73 प्रतिशत) जैसे थोक और खुदरा व्यापार, होटल और रेस्तरां में कार्यरत थे। हालाँकि, दस में से हर छठा नियमित श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत था, और दस में से हर सातवां बिना किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के अनौपचारिक श्रमिक था। 16,449/- रुपये की औसत मासिक आय भी प्रवासी श्रमिकों की खराब कामकाजी स्थितियों को इंगित करती है।
- उनमें से तीन-चौथाई से अधिक (76 प्रतिशत) पिछले दो-दशक (20 वर्ष) की अवधि के भीतर स्थानांतरित हुए थे, जो दर्शाता है कि 2000 में इसके गठन के बाद उत्तराखंड से पलायन में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त, हाल के प्रवासियों (दस वर्ष तक के लिए 28 वर्ष) की औसत आयु बड़े या दीर्घकालिक प्रवासियों (दस वर्ष से अधिक के लिए 24 वर्ष) की तुलना में अधिक थी, पूर्व शिक्षा में लंबे समय तक शामिल रहने की संभावना का संकेत देता है, जो हाल के प्रवासियों के बीच शैक्षिक योग्यता के उच्च स्तर से भी पता चलता है।

- आधे से अधिक (52 प्रतिशत) प्रवासियों ने रोजगार या बेहतर रोजगार की तलाश में अपना मूल स्थान छोड़ दिया। दस में से हर पांचवां प्रवासी अकेले प्रवास करता है, और दस में से हर चौथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रवास करता है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी की प्रगति ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया (23 प्रतिशत) जैसी संचार प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के साथ नौकरी खोज के माध्यम को प्रभावित किया है, जो हाल के प्रवासियों के बीच पाया गया था।
- कोविड-19 के प्रभाव से पता चलता है कि प्रत्येक दस घरों में से कम से कम एक परिवार का सदस्य वायरस से संक्रमित था। नतीजतन, उन्हें इलाज के लिए अपनी जेब से भारी खर्च (37,217 रुपये प्रति वायरस संक्रमित परिवार) करना पड़ा, जिसे उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके और अपने रिश्तेदारों/दोस्तों से उधार लेकर खर्च किया। उन्हें गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक अस्पतालों और निजी अस्पतालों से लेकर रिश्तेदारों और दोस्तों से भी समर्थन मिला, जो गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी चिकित्सा देखभाल, परिवार/घरेलू देखभाल से अधिकतम समर्थन मिला, और निजी चिकित्सा देखभाल और दोस्तों/रिश्तेदारों से कम समर्थन मिला।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तीन-चौथाई से अधिक (76 प्रतिशत) प्रवासियों ने अपनी नौकरियां खो दीं। हालाँकि, जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, उनमें से सभी को लॉकडाउन अवधि के लिए अपने नियोक्ताओं से भुगतान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, बाकी के लगभग 65 प्रतिशत को भी इसी अवधि के दौरान वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। संक्षेप में, अधिकांश प्रवासी (92 प्रतिशत) ने या तो अपनी नौकरी खो दी या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा। जिन प्रवासियों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी, उन्होंने बताया कि महामारी वर्ष के दौरान उन्हें प्रति परिवार औसतन लगभग 71,000 रुपये का नुकसान हुआ।

परिणामस्वरूप, लॉकडाउन हटने के बाद उन्हें अपने परिवार के सदस्यों (बच्चों सहित) के साथ जीवित रहने के लिए अन्य कम वेतन वाले या कम कमाई वाले अनौपचारिक कार्यों में संलग्न होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- तीन-चौथाई से अधिक (76 प्रतिशत) प्रवासी परिवारों ने बचत का सहारा लिया, इसके बाद 73 प्रतिशत ने नौकरी या आय हानि के कारण कम घरेलू आय से निपटने के लिए भोजन/आवश्यक उपभोग वस्तुओं पर अपने खर्च में कटौती की। कुछ अन्य लोगों ने दोस्तों/रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, संपत्ति/आभूषण बेचे, अपने मूल स्थान लौट आए, आजीविका के वैकल्पिक विकल्प अपनाए और उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया।
- अन्य, एक तिहाई (32.5 प्रतिशत) प्रवासियों ने बताया कि वे विभिन्न कारणों जैसे नौकरी या कमाई की हानि और कोरोनोवायरस के डर से अपने मूल स्थानों पर लौट आए। वे मुख्य रूप से (77 प्रतिशत) कृषि में लगे हुए थे, जबकि केवल कुछ (3 प्रतिशत) मनरेगा में शामिल थे, जिसे उत्तराखंड के अधिकांश गांवों में सम्मानजनक काम नहीं माना जाता है क्योंकि राज्य में बहुसंख्यक लोग ऊंची जाति के थे और वे अपने मूल स्थानों पर सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण निर्माण कार्य में आकस्मिक श्रमिकों जैसे दैनिक मजदूरी के काम के लिए मुश्किल से ही जाते हैं। परिणामस्वरूप, गांवों में मौजूदा दबाव कारकों जैसे रोजगार के अवसरों की कमी और अपर्याप्त शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अधिकांश रिवर्स प्रवासी (79 प्रतिशत) दिल्ली लौट आए।
- कुल प्रवासी परिवारों में से लगभग 39 प्रतिशत ने बताया कि कम से कम एक बच्चा स्कूल जाता है। हालाँकि, उनके लगभग तीन-चौथाई (73 प्रतिशत) बच्चे कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल और कॉलेज नहीं जा सके। इसका मुख्य कारण इंटरनेट

सुविधा की कमी (64 प्रतिशत), स्मार्टफोन न होना (17 प्रतिशत), खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी (5 प्रतिशत), और मोबाइल डेटा रिचार्ज की उच्च लागत (8 प्रतिशत) है।

- अधिकांश गरीब प्रवासियों के परिवारों को मुफ्त राशन (89 प्रतिशत), इसके बाद मुफ्त भोजन (18.1 प्रतिशत), और मास्क (16.1 प्रतिशत) के रूप में सरकारी सहायता मिली, और उन्होंने स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए परिवहन सुविधा का भी लाभ उठाया। कुछ अन्य लोगों को भी जन धन खाते, वृद्धावस्था पेंशन, मुफ्त गैस सिलेंडर और परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से सहायता मिली। जबकि अन्य को मुख्य रूप से राशन कार्ड और अन्य पात्रता दस्तावेजों की कमी के कारण कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। दूसरी ओर, वापस लौटे प्रवासियों में से केवल एक-चौथाई (26.5 प्रतिशत) को ही अपने मूल स्थानों पर कुछ सहायता प्राप्त हुई। इसके अलावा, लौटे प्रवासियों ने यह भी खुलासा किया कि उनके रिश्तेदारों (44 प्रतिशत), परिवार के सदस्यों (32 प्रतिशत), और ग्रामीणों (12 प्रतिशत) ने मूल स्थान पर रहने के दौरान पर्याप्त समर्थन/सहायता प्रदान की।

उपसंहार

दिल्ली में प्रवासन का समग्र प्रभाव प्रवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार (84 प्रतिशत), शिक्षा और कौशल स्तर में विकास, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच (78 प्रतिशत), और बच्चों की शिक्षा के साथ सकारात्मक रहा है। लेकिन कोविड-19 महामारी ने उनके जीवन और आजीविका पर विशेष रूप से पारिवारिक आय और आजीविका के स्रोतों, बच्चों की शिक्षा और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की हानि के संदर्भ में, भारी प्रभाव डाला है, जिसने उन्हें जीवित रहने की प्रक्रिया के रूप में या तो अपनी पिछली बचत खत्म करने या संस्थागत/गैर-संस्थागत ऋण लेने के लिए मजबूर किया। प्रोबिट रिगेशन परिणाम से पता चलता है कि दिल्ली में विनिर्माण, व्यापार और आतिथ्य क्षेत्रों में अनौपचारिक कार्यों में कार्यरत कम

शैक्षिक योग्यता वाले प्रवासियों पर प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक गंभीर था, जिनकी महामारी के दौरान दूसरों की तुलना में नौकरी या कमाई के नुकसान की संभावना अधिक थी।

गांवों में रोजगार के अवसरों, बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, सड़क संपर्क और कठिन जीवन स्थितियों की कमी के कारण अधिकांश प्रवासियों को अपने मूल स्थानों पर लौटने का कोई भविष्य या संभावना नहीं दिखती है। हालाँकि, उनमें से कुछ (4 प्रतिशत) को उम्मीद है कि अगर राज्य सरकार द्वारा उचित समर्थन और कदम उठाए जाएं तो निकट भविष्य में उत्तराखंड में रोजगार और आय के अवसरों की अच्छी संभावना है। वे या तो कृषि/बागवानी गतिविधियों या छोटे व्यापार और व्यवसाय में संलग्न होना चाहते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग वित्त, ग्रामीणों के सामाजिक समर्थन और तकनीकी मार्गदर्शन/अनुभव के रूप में सरकारी सहायता के साथ ग्रामीण जीवन और पर्यावरण का आनंद लेना चाहते हैं।

नीति सिफारिशें

- प्रवासी श्रमिकों को अक्सर उनके गंतव्य स्थानों पर अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, और वे समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्ग हैं, और नीतिगत चर्चा में उन्हें ज्यादातर उपेक्षित किया जाता है। प्रवासियों पर किसी विश्वसनीय डेटा का अभाव है, जिससे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को गंतव्य और मूल स्थान पर आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के वितरण जैसे कल्याणकारी उपायों को व्यवस्थित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए, लौटने वाले प्रवासियों के रिकॉर्ड सहित प्रवासी श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे मूल और गंतव्य दोनों स्थानों पर नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाना चाहिए। डेटा में उनके जेंडर, आयु, वर्तमान रोजगार स्थिति, रोजगार का क्षेत्र, शिक्षा और उनके कौशल की प्रकृति का विवरण शामिल होना चाहिए।

- कल्याणकारी योजनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड नीति पेश कर चुकी है, और अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश प्रवासियों के पास पहचान दस्तावेज हैं, लेकिन स्थानीय दस्तावेजों के अभाव को देखते हुए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनमें से अधिकांश के पास या तो उनके मूल स्थान या गंतव्य स्थान के पहचान दस्तावेज हैं, और स्थानीय दस्तावेजों के अभाव में वे लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- अधिकांश प्रवासियों को नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभ के बिना कम वेतन वाले असंगठित निजी क्षेत्र में उनके गंतव्य पर नियोजित किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि दस में से लगभग आठ ने कोविड के दौरान अपनी नौकरियां खो दी हैं, जो उनके रोजगार की असुरक्षा को दर्शाता है। इसलिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आय गारंटी योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है।
- चूंकि महामारी के दौरान प्रवासियों ने स्वास्थ्य देखभाल पर भारी खर्च किया, इसलिए राज्य द्वारा उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत मददगार हो सकती है। उदाहरण के लिए, केरल में शुरू की गई आवाज़ स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य प्रवासियों को बीमा के साथ समर्थन देना और प्रवासियों के रिकॉर्ड बनाए रखने में सरकार का समर्थन करने के साथ-साथ उन्हें वैध दस्तावेजों के साथ मदद करना है।
- उत्तराखंड सरकार ने वीर चंद्र गढ़वाली योजना जैसी कई स्वरोजगार योजनाएं शुरू की हैं, जो पर्यटन में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने और टैक्सी, बस, रेस्तरां और पर्यटन सूचना केंद्र चलाने के लिए सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से माइक्रोक्रेडिट प्रदान करती है। चूंकि ऐसी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य सरकार को विश्वास विकसित करने और बाहरी प्रवासियों को वापस लौटने के लिए आकर्षित करने में कुछ सफलता की कहानियां दिखाने की जरूरत है। हिमाचल

प्रदेश के विकास मॉडल का अनुसरण करते हुए, उत्तराखंड सरकार रोजगार पैदा करने के साथ-साथ युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने में मदद कर सकती है।

- महामारी ने मूल स्थान और गंतव्य स्थान दोनों पर नीति निर्माताओं और सरकारों के लिए प्रवासन और प्रवासियों के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया है। विशेष रूप से, भविष्य में प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्रवासियों, विशेषकर युवाओं की भलाई और आकांक्षाओं का आकलन करने की आवश्यकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सीएसआर पहलों पर (वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान) प्रभाव आकलन

डॉ आर मुरुगेसन
डॉ रुचिरा भट्टाचार्य
डॉ प्रणब कुमार घोष
सुश्री रितु बत्रा

परिचय

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कई विकासात्मक पहलों को लागू कर रहा है। कंपनी का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका पहलुओं के क्षेत्र में पहल के माध्यम से वंचित समुदायों के मानव विकास पर स्थायी प्रभाव डालना है। विशेष पहल के रूप में, सीआईएल ने तीन राज्यों बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में छह प्रमुख परियोजनाएं लागू की हैं। सीआईएल ने अपनी सीएसआर पहल पर प्रभाव आकलन करने का काम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी), गुवाहाटी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र को सौंपा है।

प्रभाव मूल्यांकन कुछ और नहीं बल्कि हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को मापने और सीएसआर पहल द्वारा लाए गए परिवर्तनों के महत्व को आंकने का एक साधन है। यह समग्र लक्ष्य के प्रति अपने योगदान के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के मिशन से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड की सीएसआर कार्यों के प्रभाव का आकलन करने से बेहतर नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने में मदद मिल सकती है जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और नए तकनीकी रास्ते या समावेशी विकास के अवसर, आदि जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करेंगे। विकासात्मक कार्यों की आलोचनात्मक जांच कर,

जबकि उनकी अभी भी संकल्पना की जा रही है, प्रभाव आकलन समाज के संतुलित और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। जाहिर है, प्रभाव मूल्यांकन में समस्याओं को अवसरों में परिवर्तित कर विकास के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने की क्षमता है। इसलिए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वांछित परिचालन क्षेत्रों में तीन राज्यों में अध्ययन आयोजित किया गया है।

उद्देश्य

अध्ययन का समग्र उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों और प्रभावों की जांच करना और सीआईएल के हस्तक्षेपों की पूरी श्रृंखला की प्रभावशीलता का आकलन करना, विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के तहत बनाई गई संपत्तियों के रखरखाव में हितधारकों की भूमिका और कार्यक्रम क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों की स्थिति का आकलन करना है।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. प्रबंधन पद्धतियों और परियोजना कार्यान्वयन को समझना
2. हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करना
3. लक्षित समूहों पर परियोजना हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करना
4. परियोजना के उद्देश्यों के संदर्भ में परियोजना के समग्र प्रदर्शन और परिणामों का मूल्यांकन करना, और
5. सर्वोत्तम पद्धतियों को सामने लाना और प्रभावी विकासात्मक वैकल्पिक मॉडल, यदि कोई हो, का सुझाव देना।

क्रियाविधि

इस प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में लक्षित समुदायों पर सीएसआर कार्यक्रमों द्वारा किए गए वास्तविक प्रभाव को समझना और कार्यक्रम को मजबूत

करने के लिए अतिरिक्त सुधारों का सुझाव देना है। तदनुसार, इस मूल्यांकन के लिए डेटा संग्रह विभिन्न तरीकों से किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए हैं, जिनमें सीआईएल के कर्मचारी और समुदाय शामिल हैं, जिनके साथ सीआईएल काम कर रहा है। उपयोग किए गए डेटा संग्रह उपकरण और अपनाई गई पद्धति इस प्रकार हैं।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शोधकर्ता ने नमूना परियोजना क्षेत्रों में समुदाय के संभावित प्रतिनिधियों और लाभार्थियों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गौर किया। उपयुक्तता के लिए, शोधकर्ता ने इन परियोजनाओं के ब्रह्मांड (अनंत) से जानकारी एकत्र करने के लिए सुविधाजनक नमूनाकरण विधि अपनाई। हालाँकि, शोधकर्ता ने नमूना उत्तरदाताओं से निष्पक्ष डेटा/जानकारी प्राप्त करने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) को भी अपनाया। अंत में, अध्ययन क्षेत्रों में विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण और वर्णन करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का मिलान करके एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन क्षेत्र:

सीआईएल के संदर्भ पत्र से संकेत मिलता है कि कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान अपने परियोजना क्षेत्रों/निर्दिष्ट योजनाओं में 78.83 करोड़ रुपये की छह प्रमुख सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं क्षेत्र	परियोजना स्थान	संचयी बजट आबंटन (करोड़ में)
1	प्रेमाश्रय का निर्माण - टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता के बाह्य रोगियों के लिए आश्रय	कोलकाता	41.11
2	न्यूटाउन, कोलकाता के लिए तीन इलेक्ट्रिक बसों और एक इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए वित्तीय	कोलकाता	5.00

	सहायता		
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड डाइजेस्टिव साइंसेज (आईआईएलडीएस), कोलकाता में किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आईसीटी स्कैन मशीन और कैथ लैब उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	कोलकाता	5.44
4	थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का पहला चरण (कोलकाता और/या दिल्ली)	कोलकाता	20.00
5	बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 बिस्तरों वाले चैरिटेबल नेत्र, ईएनटी और दंत चिकित्सा अस्पताल-सह-नैदानिक केंद्र का निर्माण	बिहार	4.88
6	सीआईपीईटी, मुरथल में प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेडों में 400 युवाओं को प्रशिक्षण	हरियाणा	2.40

निष्कर्ष:

- सीआईएल अपने केंद्रित क्षेत्र-वार सीएसआर कार्यों के माध्यम से परिचालन क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनमें से अधिकांश सीएसआर पहल स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं में क्रियाशील हैं। इसके अलावा, ग्रामीण युवाओं को सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और कौशल विकास विषयों को प्राथमिकता दी गई। इस संदर्भ में, ग्रामीण समुदायों तक पहुंचने और विकासात्मक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कंपनी के प्रयास सराहनीय हैं।
- यह देखा गया और महसूस किया गया कि परियोजनाओं को लक्षित दृष्टिकोण के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसलिए, कार्यान्वयन एजेंसियों/संस्थानों और अन्य नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करते हुए, इस मुद्दे को स्थानीय समुदायों के सहयोग से संबोधित करने की आवश्यकता है।

- भले ही इन सीएसआर कार्यों की निरंतरता बनाए रखने में एक बड़ा जोखिम शामिल है, कंपनी के भीतर और साथ ही इसके बाहर के हितधारक उल्लेखनीय काम कर रहे हैं और अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। सभी परिचालन क्षेत्रों में सीएसआर अधिकारियों की एक समर्पित टीम निर्धारित समय के भीतर योजना के अनुसार विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन में सहायक है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि कंपनी द्वारा अपनाया गया एक प्रभावी निगरानी तंत्र है जो सीएसआर परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करता है जो पूरी ताकत के साथ उनकी सेवाओं की समय पर अदायगी भी सुनिश्चित करता है।

इन सामान्य टिप्पणियों के अलावा, विशिष्ट क्षेत्र-वार निष्कर्ष भी नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- ग्रामीण समुदायों में कई स्वास्थ्य समस्याएं देखी जाती हैं, लेकिन कैंसर उनमें प्रमुख है। इस क्षेत्र में एनीमिया और अन्य संक्रामक रोग जैसी बीमारियाँ भी आम हैं। जैसा कि अनुसंधान दल ने पाया, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति अपर्याप्त है। इसलिए, जैसा कि हितधारकों द्वारा बताया गया है, अध्ययन क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को भी जलजनित बीमारियों का खतरा है। परियोजना क्षेत्रों में आने वाले चिकित्सकों द्वारा अल्कोहल उत्पादों की खपत एक और चिंता का विषय थी। क्षेत्र में मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में बुनियादी और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की कमी है, और इसका बुनियादी ढांचा भी खराब स्थिति में है। सीआईएल गुणवत्तापूर्ण उपकरणों और दवाओं की खरीद के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता, पर्याप्त पेयजल सुविधाएं, स्वच्छता बनाए रखने

के लिए शौचालयों का निर्माण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके आदि क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कुल मिलाकर, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आसान पहुंच को आम जनता द्वारा अत्यधिक सराहा गया और प्रत्येक हितधारक/लाभार्थी द्वारा अवलोकन किया गया।

- स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सीआईएल की विशेष पहल रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे अतिरिक्त देखभाल के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता प्राप्त करते समय रोगियों के बीच विकसित प्रेरणा और आत्मविश्वास से महसूस किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, सीआईएल स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने पूर्ण समर्थन के साथ गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल रही है।

कौशल विकास एवं शिक्षा

- शिक्षा और कौशल को श्रम बाजार में किसी भी व्यक्ति की अच्छी कमाई के लिए प्रमुख निर्धारक माना जाता है। शिक्षा उत्पादकता और समृद्धि में सुधार करती है, और जीवन के अनुभव को भी समृद्ध करती है। यह न केवल लोगों के विकास में बल्कि समग्र रूप से समाज के विकास में भी योगदान देता है। इसलिए, शिक्षा से राष्ट्रीय आय और अन्य सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है। क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों को शामिल करके उचित कौशल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कोल इंडिया की पहल को विशेष रूप से कमजोर समुदायों के छात्रों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अध्ययन में देखा गया कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा प्लास्टिक और संबद्ध उद्यमों में अपने स्टार्ट-अप और खुदरा व्यवसायों के माध्यम से उद्यमियों में बदल

गए हैं। जाहिर है, इस परियोजना ने ग्रामीण युवाओं को उनके कौशल विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से सभ्य आजीविका प्रदान की।

इसके अलावा, शिक्षकों ने भी हर साल छात्रों के नामांकन की बढ़ती संख्या और आसपास के कई सामाजिक-आर्थिक कारकों के बावजूद अधिकतम उपस्थिति के कारण अपनी संतुष्टि व्यक्त की। चूँकि उनमें से अधिकांश पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान, मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाता है। कंपनी का निरंतर समर्थन प्रशिक्षण संस्थान (सीआईपीईटी) को न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बल्कि इंटरनेट के साथ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान के आधार के निर्माण के लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है। रोजगार एवं आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थान विभिन्न उद्योगों को जोड़कर प्लेसमेंट ऑफर की व्यवस्था करता है। सीएसआर परियोजना की समग्र प्रभावशीलता मुरथल क्षेत्र में कचरे को कचन में परिवर्तित करके बनाए गए विभिन्न स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के माध्यम से परिलक्षित सकारात्मक प्रभावों से महसूस की गई है।

उपसंहार

हालाँकि सीएसआर की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रही है, लेकिन हाल ही में यह सभी कंपनियों में शामिल हो गई है। सीआईएल, अपनी उत्कृष्ट सीएसआर पहलों के माध्यम से, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समुदायों के मुद्दों को संबोधित कर रही है। भले ही यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, सीआईएल टीम जोखिमों को वास्तविकता में बदल रही है और लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके और सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया गया योगदान अत्यधिक सराहनीय है। आम जनता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, उनकी पहल पूरे समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। कौशल

विकास कार्यक्रम विशेष रूप से युवा समुदाय को बेहतर आय सृजन के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जबकि ढांचागत विकास पहल लोगों की पहुंच और संपर्क में सुधार कर रही है, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास के द्वार खुल रहे हैं जो अत्यधिक सराहनीय भी हैं।

नीति सिफारिशें:

सीएसआर कार्यों की टिप्पणियों और मूल्यांकन अध्ययन के समग्र निष्कर्षों के आधार पर, विशिष्ट सिफारिशों श्रेणी नीचे दी गई है:

- सीआईएल की सीएसआर गतिविधियों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, जैसे रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों और अन्यत्र समाज से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि सीएसआर कार्यक्रम भविष्य में भी अध्ययन क्षेत्रों में जारी रखे जाने चाहिए। इसके अलावा, चूंकि स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम लाभार्थियों विशेषकर गरीब ग्रामीण समुदायों के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं, इसलिए इन चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जागरूकता सृजन सीएसआर पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए, जरूरतमंदों और ग्रामीण आबादी को लक्षित विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम बहुत बार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- कई रोगियों के लिए परिवहन सुविधाओं तक पहुंच या तो सीमित है या उपलब्ध नहीं है। इसलिए, अस्पतालों में मरीजों के लिए अधिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार हो सके।

- मौजूदा शिक्षा अवसंरचना सुविधाओं को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है जो काष्ठकला, टेराकोटा कला आदि जैसे पारंपरिक कारीगर कौशल को बढ़ावा देती हैं। इसलिए, उन्हें सुविधा प्रदान करने और बाजार से जोड़ने के लिए अन्य कौशल विकास एजेंसियों के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है ताकि मिट्टी की इस कला को जीवित रखा जा सके और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप जोड़ा जा सके और साथ ही इन उत्पादों की मांग भी बढ़ाई जा सके।
- छात्रों की शारीरिक स्वस्थता और व्यक्तित्व विकास सहित खेल और आउटडोर खेलों को बढ़ावा देना समय की मांग है। इस कारण से, जहां भी संभव हो, उनके नियमित अभ्यास के लिए एक समर्पित सभागार/स्थान/मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के साथ इसे मजबूत किया जाना चाहिए।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना [एजीईवाई] का मूल्यांकन अध्ययन

डॉ. निथ्या वी.जी.
डॉ. सी.एच.राधिका रानी
डॉ. सुरजीत विक्रमन

परिचय

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्य और सीबीओ के समूह एजीईवाई योजना के लाभार्थी हैं। योजना के तहत पिछड़े और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन आवश्यकताओं और स्थानीय यात्रियों की सेवाओं और माल वहन की मांग को पूरा करने के लिए वाहन संचालित होते हैं। इस योजना में ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के साथ 3-पहिया या 4-पहिया वाहन खरीदने का प्रावधान है और सामुदायिक निवेश कोष [सीआईएफ] से ऋण का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और स्थायी दृष्टिकोण के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और अधिक कुशल परिवहन सुविधाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसकी स्थापना के बाद से, 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों को कुल 1811 एजीईवाई वाहन वितरित किए गए हैं। यह योजना मार्च 2021 से क्रियाशील नहीं है; इसलिए, वर्तमान मूल्यांकन अध्ययन एजीईवाई योजना के प्रभाव और भारत सरकार द्वारा इसे जारी रखने की आगे की गुंजाइश को समझने के लिए 18 राज्यों में आयोजित किया गया था।

उद्देश्य

- ग्रामीण स्थानों को शहरी केंद्रों से जोड़ने में वाहनों की पहुंच को समझना
- विभिन्न स्तरों पर हितधारकों द्वारा प्राप्त लाभों का मूल्यांकन करना
- लक्षित समुदायों की आजीविका पर योजना के समग्र प्रभाव को समझना और उसका विश्लेषण करना
- कार्यान्वयन कमियों की पहचान करना और सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना

क्रियाविधि

अध्ययन फरवरी 2022 से जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। इसमें उद्देश्यों में उल्लिखित एजीईवाई योजना की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके एक मिश्रित विधि शामिल की गई थी। अध्ययन के लिए 285 लाभार्थियों (व्यक्ति-169 और सीबीओ समूह-116 दोनों), 304 उपभोक्ताओं और सभी 18-अध्ययन वाले राज्य एसआरएलएम से 18 प्रतिक्रियाओं के नमूने पर विचार किया गया। प्रश्नावलियों को कोबो कलेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रशासित किया गया था। अध्ययन में लक्षित समुदायों की आजीविका पर योजना के समग्र प्रभाव, दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में वाहनों की पहुंच और कार्यान्वयन अंतराल की पहचान करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन 18 नमूना राज्यों में आयोजित किया गया था, अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

निष्कर्ष

- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों (व्यक्तिगत और समूह दोनों) के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बीच भी प्रभावशाली पाई गई है।
- दूरदराज के गांवों में अद्वितीय पहुंच (48 प्रतिशत), लक्षित समुदायों के लिए सुविधाओं (स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक) तक पहुंच में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव, विपणन, रोजगार सृजन के लिए समर्थन और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में अवसरों तक पहुंच योजना को अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाती है।
- यह योजना 3-पहिया और 4-पहिया वाहनों के लाभार्थियों की मासिक आय बढ़ाने में सहायक थी और विभिन्न स्तरों पर हितधारकों को विभिन्न लाभ/सेवाएँ प्रदान करती थी।
- यह योजना ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर एसएचजी महिलाओं के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के साथ सहायता करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सफल रही है।
- इस योजना ने सीबीओ को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के माध्यम से आजीविका का समर्थन करने के लिए एक नए डोमेन में काम करने का अवसर दिया है
- लक्षित लाभार्थियों तक वाहनों की अच्छी पहुंच और वितरण किया गया और अधिकांश वाहन समाज के पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को आवंटित किए गए।
- इस योजना ने महिलाओं को अपनी क्षमता विकसित करने और अपने ड्राइविंग कौशल का उपयोग करने का अवसर भी प्रदान किया।

उपसंहार

एजीईवाई योजना ने ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने, लक्षित समुदाय के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत बनाने, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने और सेवाओं तक पहुंच बनाने में योगदान दिया। हालाँकि, ज्ञान विकास द्वारा समर्थित कार्यान्वयन भाग की संरचना पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही, मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने और योजना को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को शामिल करना महत्वपूर्ण है। केंद्रित आईबी और सीबी समर्थन के साथ अन्य विभागों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने और मौजूदा सेवाओं में मूल्य जोड़ने के साथ-साथ नए व्यवसायों को मजबूत करने की क्षमता है।

सफल परिणाम, आउटरीच और लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद, अध्ययन ने कार्यान्वयन प्रक्रिया, संचालन, रिकॉर्डकीपिंग और दस्तावेज़ीकरण में कुछ अंतराल और चुनौतियों की भी पहचान की। जिला/ब्लॉक स्तर पर एजीईवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई एसओपी डिज़ाइन और उपलब्ध नहीं थी। उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एजीईवाई वाहनों पर नज़र रखने के संबंध में निगरानी प्रणालियों का अभाव देखा गया। इसलिए, वाहन के प्रदर्शन की बेहतर समझ और वाहन पर पूंजी निवेश के मुकाबले वार्षिक किलोमीटर उपयोग की बेहतर समझ के लिए वाहनों की लॉग बुक बनाए रखी जानी चाहिए। परियोजना की निगरानी और संचालन के लिए राज्य स्तर पर कोई समर्पित व्यक्ति नहीं थे। यह भी देखा गया है कि अपने वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए के ड्राइवर्स पर उच्च निर्भरता अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरी है। लाभार्थियों के लिए कोई योजनाबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ड्राइविंग

कौशल, वाहन सेवा और मरम्मत, बहीखाता, आदि) और लाभार्थियों के बीच ड्राइविंग कौशल को उन्नत करने के लिए संस्थागत गठजोड़ नहीं किया गया है।

इसके अलावा, वाहन खरीदने और ऋण प्राप्त करने के किसी भी प्रस्ताव को एक उद्यम के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, एक व्यवसाय योजना बनाना और मूल्यांकन के दौर के लिए संबंधित सीएलएफ या बीएलएफ जमा करना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, अध्ययन में पाया गया कि व्यक्तियों और समूहों को एजीईवाई वाहन आवंटित करते समय परिवहन-आधारित सेवाओं या सीबीओ या बीएमएमयू स्तर पर प्रस्तावित राजस्व मॉडल में मौजूदा व्यावसायिक अवसरों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा कोई मूल्यांकन-आधारित तंत्र व्यवहार में नहीं है। इसलिए, मालिकों से संपूर्ण व्यवसाय योजना तैयार करने और सक्षम अधिकारियों या सामुदायिक संस्थानों द्वारा इसके मूल्यांकन पर विचार करने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

नीति सिफारिशें

- कार्यक्रम को अधिमानतः सभी सीएलएफ में जारी रखने और बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जहां तक संभव हो, समूह लाभार्थियों को 4-पहिया वाहनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को 3-पहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अन्य सहायता सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में 3-पहिया ई-रिक्शा को प्रोत्साहित करते समय सावधानी बरतनी होगी।
- ग्रामीण पर्यटन, तीर्थस्थल आदि क्षेत्रों में ई-रिक्शा को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ड्राइविंग कौशल, सुरक्षा और वाहनों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किए जाने चाहिए।

- लाभार्थियों के चयन के लिए रूट मैप की पहचान केवल सुदूर क्षेत्र चयन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास केंद्रों से कनेक्टिविटी और निकटता पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- सीएलएफ को (i) बहीखाता (ii) ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधन (iii) वाहन सेवाओं के लिए सरकारी विभागों के साथ गठजोड़, और (iv) व्यवसाय योजना तैयार करने पर अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- एसआरएलएम को लाभार्थियों, ऋण वसूली, वाहनों के स्वामित्व आदि पर एमआईएस डेटा बनाए रखना होगा। चयन के समय लाभार्थी का सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करना होगा।
- आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डीएवाई एनआरएलएम ईसी वामपंथी उग्रवाद जिलों और अन्य कठिन क्षेत्रों के मामले में किसी भी छूट पर विचार कर सकता है।

भारतीय कृषि में समावेशी विकास: वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की आवश्यकता

डॉ. एम. श्रीकांत
श्री अरशद कमाल सिद्दीकी
डॉ. के. जयश्री

परिचय

यह सरल अर्थशास्त्र है यदि किसानों की आय दोगुनी हो जाती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित समय में दोहरे अंक की वृद्धि हासिल कर लेगी, क्योंकि भारत अभी भी गांवों में बसता है और किसान प्रमुख हितधारक हैं। हालाँकि सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 1947 से घट रहा है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का प्रदर्शन कोविड -19 झटके के प्रति लचीला रहा है, उनका सकल मूल्य वर्धित 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा और 2021-22 में बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया (आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22)। हालाँकि, भारतीय कृषि क्षेत्र काफी समय से अल्परोज़गार और प्रच्छन्न रोज़गार से जूझ रहा है। इसके अलावा, कृषि भूमि जोत की बदलती संरचना और विशेषताएं भारतीय किसानों को अधिक असुरक्षित और जोखिम प्रवण बनाती हैं। 2016 की कृषि जनगणना के अनुसार, भारत में कुल कृषि जोत का 86.08 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों का है। इसलिए भारत में आभासी अन्नदाता किसान कर्जदारी, गरीबी और भुखमरी का शिकार हो रहा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के अनुसार, भारत हर दिन 2035 किसानों को अन्य क्षेत्रों में खो देता है; और तीन-चौथाई से अधिक किसान बेहतर नौकरियों के लिए खेती छोड़ने को तैयार हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और पारंपरिक सहकारी समितियों के कमजोर प्रदर्शन को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 2003 में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के नाम से एक नया व्यवसाय मॉडल पेश करने का निर्णय लिया। इसे किसानों

की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में सुधार कर उनके संकट को दूर करने का एक माध्यम माना जाता है, लेकिन इसे अभी भी अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जाना बाकी है। उपरोक्त के मद्देनजर, "तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एफपीओ की व्यावसायिक व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिरता" पर एक शोध अध्ययन सीआईसीटीएबी और नेफेड द्वारा एनआईआरडीपीआर को सौंपा गया था। एफपीओ किसानों को एकजुट करते हैं और प्रौद्योगिकी के प्रवेश को बढ़ावा देते हैं, उत्पादकता में सुधार करते हैं, इनपुट और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाते हैं और किसानों की आय में वृद्धि करते हैं, जिससे उनकी स्थायी ग्रामीण आजीविका मजबूत होती है।

उद्देश्य

अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया कि क्या एफपीओ वास्तविक 'मूल्य संवर्धन' गतिविधियों में शामिल हैं, यानी 'खेत से लेकर कांटे' तक संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों में उपस्थिति रखते हैं, जिससे किसान सदस्यों के लिए विपणन योग्य अधिशेष में वृद्धि होती है। अध्ययन यह जांच कर भारत में एफपीओ की व्यावसायिक व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिरता का भी मूल्यांकन करता है कि क्या भारत में एफपीओ ने किसानों के संकट को संबोधित किया और उनकी आय में वृद्धि की। वाणिज्यिक व्यवहार्यता के प्रमुख संकेतक किसान सदस्यों की भूमि जोत का आकार, फसल पैटर्न, कृषि उपज की लागत और कीमतें, बाजार लिंकेज सहित कृषि मूल्य श्रृंखला गतिविधियां आदि हैं। वित्तीय स्थिरता के चर वित्त के स्रोत, कुल आय, शुद्ध लाभ, तरलता (शुद्ध कार्यशील पूंजी और वर्तमान अनुपात), सॉल्वेंसी (ऋण-इक्विटी अनुपात), निवल मूल्य और बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज हैं। साथ ही, रिपोर्ट में सफलता की कहानियों के साथ-साथ क्षेत्र से महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदुओं को उजागर करने के लिए कुछ मामला अध्ययन भी प्रस्तुत किए गए हैं।

क्रियाविधि

अध्ययन के भाग के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा एकत्र किए गए हैं। साथ ही, रिपोर्ट में सफलता की कहानियों के साथ-साथ क्षेत्र से महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदुओं को उजागर करने के लिए कुछ मामला अध्ययन भी प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन में पांच राज्यों, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित 60 एफपीओ को शामिल किया गया। इस प्रकार, प्राथमिक डेटा 357 किसान सदस्यों (समूह ए उत्तरदाताओं) से एकत्र किया गया था। इसके अलावा, अध्ययन ने नमूना राज्यों में स्थित एफपीओ (समूह बी उत्तरदाताओं) के 71 पदाधिकारियों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया।

निष्कर्ष:

- डेटा दर्शाता है कि नमूने में 88.34 प्रतिशत पुरुष किसान और 11.66 प्रतिशत महिला किसान शामिल थे। नमूने के अनुसार, अधिकांश किसान सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग (71.16 प्रतिशत) से संबंधित हैं, इसके बाद अनुसूचित जनजाति (11.76 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (10.64 प्रतिशत), और सामान्य श्रेणी (6.44 प्रतिशत) हैं। जबकि दो-तिहाई से अधिक नमूने (66.95 प्रतिशत) ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जबकि 13.73 प्रतिशत ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। लगभग दसवें नमूने का डिग्री तक अध्ययन किया गया। जबकि 2.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की, लगभग 2 प्रतिशत किसान सदस्यों ने व्यावसायिक शिक्षा हासिल की। यह देखा गया है कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं की आयु 36 से 55 वर्ष के बीच है, इसके बाद 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा (26.89 प्रतिशत) हैं। नमूने में किसानों की औसत आयु 40.98 वर्ष है और परिवार का औसत आकार 4.5 है। पांच नमूना राज्यों में औसत भूमि जोत का आकार 3.81 एकड़ है, जो राष्ट्रीय औसत 2.67 एकड़ से अधिक है। यह

बताया गया है कि किसान सदस्यों द्वारा नकदी फसलों की खपत के कारण खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों के मामले में विपणन योग्य अधिशेष अधिक है। जबकि अध्ययन राज्यों में खरीफ फसलें मुख्य रूप से कपास और धान हैं, रबी फसलें सब्जियों और दालों के पक्ष में हैं। यह देखा गया है कि प्रत्येक फसल के लिए प्रति एकड़ उत्पादन खरीफ और रबी दोनों फसलों में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। यह भिन्नता अपर्याप्त कृषि विस्तार सेवाओं, बीजों की खराब गुणवत्ता, मिट्टी की अनुपजाऊता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कीटनाशकों और रसायनों की अनुपलब्धता आदि के कारण होती है।

- प्राथमिक आंकड़ों से, यह देखा गया है कि एफपीओ के सदस्य बनने के बाद, अधिकांश किसान सदस्य इन मूल्यवर्धित गतिविधियों तक पहुंच सकते हैं, जो वे अतीत में करने में सक्षम नहीं थे। यह स्पष्ट है कि अन्य दो अध्ययन राज्यों की तुलना में कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित किसान सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा एफपीओ के माध्यम से भंडारण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग, प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। यह देखा गया है कि अधिकांश किसान सदस्य (88.23 प्रतिशत) एफपीओ में शामिल होने के बाद औपचारिक स्रोतों, यानी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में सक्षम हैं, इस संदर्भ में तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मामले में यह और भी अधिक है।
- यह देखा गया है कि एफपीओ में शामिल होने के बाद किसान सदस्यों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के संबंध में 43.05 प्रतिशत तक अधिक औसत कीमतें प्राप्त हुईं। यह भी देखा गया है कि पांच अध्ययन राज्यों में 100 प्रतिशत नमूना किसान सदस्य सरकार/एफपीओ की प्रवर्तक एजेंसियों से सब्सिडी/मिलान इक्विटी अनुदान

प्राप्त करने के अलावा अपनी सदस्यता शुल्क के साथ-साथ इक्विटी पूंजी के माध्यम से एफपीओ के व्यवसाय में योगदान करते हैं।

- प्राथमिक आंकड़ों से पता चलता है कि इन राज्यों में पाँच में से चार किसान सदस्य विभिन्न जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। पाँच नमूना राज्यों में किसान सदस्यों में से तीन-पाँचवें को कृषि विस्तार सेवाएँ प्राप्त होती हैं। अध्ययन में अधिकांश नमूना किसान सदस्यों ने कहा कि एफपीओ में शामिल होने के बाद उन्हें तकनीकी प्रगति (89.10 प्रतिशत), बाजार की जानकारी तक पहुंच (78.40 प्रतिशत), और मौसम पूर्वानुमान और कृषि-सलाहकार सेवाओं (56.90 प्रतिशत) के बारे में बेहतर जागरूकता है।
- इसके अलावा, अध्ययन दल ने कुछ पहलुओं पर प्राथमिक डेटा प्राप्त करने के लिए पाँच राज्यों में 60 एफपीओ से संबंधित 71 पदाधिकारियों (समूह बी उत्तरदाताओं) के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। यह देखा गया है कि एफपीओ में अधिकांश किसान सदस्य (93.73 प्रतिशत) छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास पाँच एकड़ से कम भूमि है। यह देखा गया है कि 60 एफपीओ में किसान सदस्यों की औसत संख्या 797 है, जो कि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए काफी अच्छी संख्या है। ग्रुप बी के जवाबों के अनुसार, नमूना राज्यों में सभी 60 एफपीओ के पास कार्यालय परिसर हैं। अधिकांश एफपीओ के पास कार्यालय फर्नीचर के साथ-साथ कंप्यूटर उपकरण (94.37 प्रतिशत) भी हैं। हालाँकि, 10 नमूना एफपीओ में से नौ के पास अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए सम्मेलन कक्ष हैं। यह जानना अच्छा है कि सभी एफपीओ की वार्षिक रिपोर्ट की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अलावा, ये सभी एफपीओ वित्त के औपचारिक स्रोतों से ऋण और कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए

बैंकों/एफआई के साथ ऋण संयोजन हैं। इसके अलावा, एफपीओ के 71 पदाधिकारियों में से 10 ने पुष्टि की कि उनके पास बैंकों/एफआई को मूलधन/ब्याज का भुगतान बकाया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि अध्ययन राज्यों में अधिकांश एफपीओ अपनी कृषि उपज बेचने के लिए स्थानीय बाजार पर निर्भर हैं।

- एफपीओ के द्वितीयक डेटा से यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान पांच अध्ययन राज्यों में उनकी औसत आय में मामूली कमी (-0.51 प्रतिशत) हुई है। जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में नमूना एफपीओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान औसत आय में क्रमशः 10.45 प्रतिशत और 3.62 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी, अन्य तीन अध्ययन राज्यों में एफपीओ में गिरावट का अनुभव हुआ। 60 नमूना एफपीओ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 750 फील्ड/एक्सपोजर दौरे आयोजित किए, और नमूना राज्यों में एफपीओ ने अध्ययन अवधि के दौरान 341 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। नमूना एफपीओ ने पिछले वर्ष के दौरान 9.38 प्रति वर्ष के औसत आंकड़े के साथ 666 बोर्ड बैठकें आयोजित कीं।
- यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी एफपीओ का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन -0.16 प्रतिशत था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह -0.70 प्रतिशत था। जहां कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित एफपीओ मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में एफपीओ को अध्ययन अवधि के दौरान घाटा हो रहा है। चूंकि नमूना एफपीओ को अध्ययन अवधि के दौरान शुद्ध घाटा हुआ, इसलिए उनकी वित्तीय स्थिरता संतोषजनक से कम है। हालांकि, यह एक सांत्वना है कि नमूना एफपीओ ने अध्ययन अवधि के दौरान औसत नकद लाभ दर्ज किया। अध्ययन में कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक सभी नमूना एफपीओ का औसत वर्तमान अनुपात 2.04 गुना है, जो उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए संतोषजनक है। इसके अलावा, अध्ययन वाले राज्यों में एफपीओ की औसत शुद्ध संपत्ति मार्च 2021 तक 4.19 लाख रुपये थी। यह भी देखा गया है कि 31 मार्च 2021 तक औसत सम्पन्नता अनुपात 0.35 गुना है, जो इंगित करता है कि अध्ययन में नमूना एफपीओ बताता है कम दीर्घकालिक ऋण का लाभ उठाया। द्वितीयक डेटा से यह देखा गया है कि नमूना राज्यों में अधिकांश एफपीओ की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इन समूहों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है।

उपसंहार

कृषि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से आधे को पूरा करने की कुंजी है। हरित क्रांति 1.0 ने भारत को खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न अधिशेष वाले देश में बदल दिया; निर्वाह खेती से लेकर सतत कृषि तक; उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था। हरित क्रांति 2.0 को एफपीओ, जल संरक्षण, बीमा और जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, औपचारिक ऋण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से (निर्यात) बाजारों जैसे समूहों पर नीतिगत फोकस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एकीकरण की शक्ति के साथ नवप्रवर्तन की शक्ति कृषि की अधिकांश समस्याओं का रामबाण इलाज है। इसलिए, उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करके एफपीओ को मजबूत करने से पूरे भारत में 12.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार करने की क्षमता है।

नीति सिफारिशें

किसानों को बाजरा, तिलहन, दालें, फल और सब्जियों जैसी फसलों के लिए अपने फसल पैटर्न में विविधता लाने और डेयरी, मुर्गीपालन और मछली पालन के साथ-साथ एकीकृत खेती अपनाने की जरूरत है। हालाँकि, विविधीकरण देश की खाद्य सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

नीति निर्माता संपूर्ण कृषि-मूल्य श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण, एफपीओ द्वारा औपचारिक वित्त तक पहुंच और इस संदर्भ में किसान सदस्यों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

जैसा कि अध्ययन में कहा गया है कि किसान सदस्य अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों पर वित्त के अनौपचारिक स्रोतों, अर्थात् साहूकारों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों आदि का सहारा लेते हैं और अपने विपणन योग्य अधिशेष को कम करते हैं, वित्तीय विवेक के संबंध में परामर्श की आवश्यकता होती है।

चूंकि अध्ययन में शामिल राज्यों में अधिकांश नमूना एफपीओ ने अपने खातों की पुस्तकों पर दीर्घकालिक देनदारियां नहीं दिखाई हैं, इसलिए एफपीओ को ऋण, मुख्य रूप से संस्थागत वित्त, तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अचल संपत्तियों में निवेश करने और परिवर्तन करने में सक्षम बनाया जा सके। उन्हें वाणिज्यिक संस्थाओं में शामिल करें।

यह एक अच्छा विचार होगा यदि एफपीओ को जोखिम पूंजी जुटाने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाए। यहां, एफपीओ के लिए अनुपालन ढांचे को उनके संसाधन की कमी को देखते हुए सरल बनाया जा सकता है।

छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय बढ़ाने और उनके भोजन, पोषण और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

किसानों को उच्च इक्विटी जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो एफपीओ को बैंकों/एफआई से ऋण जुटाने और बड़े पैमाने पर संचालन के मामले में अगले स्तर पर ले

जाएगा, और संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला गतिविधियों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। चूंकि अधिकांश एफपीओ हैंडहोल्डिंग अवधि के बाद भी प्रबंधन के रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन पहलुओं के लिए अपनी प्रचार एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए अपने व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पेशेवरों को लाने की आवश्यकता है।

सीबीबीओ को एफपीओ के पदाधिकारियों को उनकी हैंडहोल्डिंग अवधि पूरी होने तक ज्ञान आधार और प्रमुख व्यावसायिक कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए। निदेशक मंडल को प्रबंधकीय और रणनीतिक पहलुओं के अलावा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एफपीओ द्वारा निर्यात बाजार भी तलाशने की जरूरत है।

अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एवं राज्य-प्रायोजित योजनाएं और डीबीटी का विस्तार- 8 राज्यों का एक अध्ययन

डॉ. एस. एन. राव

परिचय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्यों को 'अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने' की जिम्मेदारी देता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए एक सांकेतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम है। इस प्रकार एनएसएपी वर्ष 1995 में शुरू की गई भारत सरकार की 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत निराश्रितों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन व्यक्तियों के पास अपने स्वयं के स्रोत से या परिवार या अन्य स्रोतों से किसी अन्य सहायता के माध्यम से आजीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है। एनएसएपी हस्तक्षेप पांच घटकों में शामिल हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा योजना। एनएसएपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य लाभार्थी को समान अनुदान जारी करने के लिए अधिकृत हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी मासिक पेंशन राशि को दोगुना करने के लिए अपना योगदान देने का आग्रह किया है।

साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों ने सबसे अधिक पेंशन का भुगतान किया है, जबकि तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए समान अनुदान के मुकाबले बहुत कम भुगतान कर रहे हैं। केन्द्रीय अनुदान में 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को सामाजिक पेंशन के रूप में 200 रुपये प्रतिमाह आईजीएनओपीएस के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों के लिए 500 प्रति माह। आईजीएनडब्ल्यूपीएस में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 40 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। आईजीएनडीपीएस में, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को 500 रुपये की सामाजिक पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) में किसी घर में कमाने वाले की मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिलती है। यहां, कमाने वाले की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मृत्यु की स्थिति में सहायता प्रदान की जाती है। जबकि अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो पात्र होते हुए भी आईजीएनओपीएस के अंतर्गत नहीं आए हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जाता है। ये सामाजिक पेंशन ग्रामीण गरीबों तक केवल गरीबी के जाल में फंसने के जोखिम को कवर करने और न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

हालाँकि भारत सरकार ने गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। कई राज्य सरकारों ने पात्रता मानदंडों में ढील देकर अपने स्तर पर बीपीएल

परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विस्तार किया है; हालाँकि, इसे केंद्र प्रायोजित पेंशन में अतिरिक्त जोड़कर मासिक पेंशन में वृद्धि कर गैर-बीपीएल श्रेणियों में विस्तारित किया गया है। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उन सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कवर किया है जो 59 वर्ष से अधिक हैं और जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

जबकि अन्य राज्यों ने गैर-बीपीएल परिवारों के लिए योजनाएं शुरू की हैं जो एनएसएपी के तहत कवर नहीं हैं, जैसे ओडिशा, जिसने 59 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों और विधवाओं के लिए योजनाएं तैयार कीं जिनकी वार्षिक आय 24,000 रुपये से कम है। इसी प्रकार, आईजीएनडब्ल्यूपीएस में, केवल 49-59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं पर विचार किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में, 18-50 वर्ष की आयु वर्ग की सभी विधवाएँ, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 रुपये (यूए 890 \$) से कम है) लाभान्वित होते हैं। आईजीएनडीपी में 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाता है, लेकिन बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अलावा, राज्यों के पास अपने सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, सामाजिक सुरक्षा दो स्तरों पर रही है - असंगठित गरीबों के लिए पोषण और वित्तीय सहायता। केरल में, विकलांगता पेंशन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित की जाती है जो राज्य और केंद्र स्तर के योगदान का मिश्रण है। 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत विकलांगता वाले लोगों को 700 रुपये प्रति माह और 80 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले लोगों को 525 रुपये प्रति माह की विकलांगता पेंशन दी जाती है। केरल सरकार ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए सेवाना पेंशन भी ऑनलाइन शुरू की है। वर्तमान में, छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत,

नगर पालिकाओं और निगमों) के माध्यम से वितरित की जाती हैं - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, 50 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं को पेंशन, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन, मानसिक रूप से विकलांगों को पेंशन, व्यक्ति, कृषि श्रम पेंशन और बेरोजगारी मजदूरी (पूर्व में प्रशिक्षण और रोजगार विभाग द्वारा नियंत्रित)।

एक कुशल और प्रभावी हस्तांतरण प्रणाली की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को रिसाव और देरी को कम करने की रणनीति के साथ लोगों के खातों में सब्सिडी को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली शुरू की गई थी।

इसलिए, एक सवाल उठता है कि क्या दी गई सामाजिक पेंशन भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता के मामले में लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भारत में गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को मासिक सामाजिक पेंशन भुगतान की कम दरों के लिए भारत सरकार की कड़ी आलोचना हुई है।

इस पहलू पर सबसे कठोर आलोचना तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश की ओर से हुई, जिन्होंने कम मासिक पेंशन राशि को 'बुजुर्गों की गरिमा का अपमान' बताया। हालाँकि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सामाजिक पेंशन में समान योगदान के आयोजन के निर्देश दिए हैं, लेकिन पिछले दशक में लाभार्थियों की जीवन-यापन लागत को पूरा करने के लिए यह राशि अभी भी अपर्याप्त लगती है। पेंशन परिषद (भारत में सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करने की एक पहल) ने यह भी मांग की कि सरकार को मासिक पेंशन को न्यूनतम वेतन का आधा या 2,000 रुपये, जो भी अधिक हो, तक बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार, एनएसएपी की समीक्षा करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने भी सिफारिश की थी कि पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाए और महंगाई भत्ते की

गणना के समान तरीके का उपयोग करके बढ़ाया जाए। इसलिए, वर्तमान अध्ययन को एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन और डीबीटी और इसकी दक्षता और पर्याप्तता, आय, खपत, प्राप्त सामाजिक पेंशन, लाभार्थी की बुनियादी मांगों को पूरा करने में इसकी दक्षता और पर्याप्तता का विस्तार से पता लगाने, उन्हें गरीबी के जाल में फंसने से बचाने और उनके सामाजिक विकास में भूमिका के लिए डिज़ाइन किया गया है। ।

उद्देश्य

1. गरीबों (लाभार्थी) के सामाजिक विकास पर एनएसएपी, राज्य पेंशन योजनाओं और डीबीटी के कार्यान्वयन और प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दक्षता, पर्याप्तता, वितरण और प्रभाव और लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में उनकी सीमा का अध्ययन करना।

कार्यप्रणाली :

चूंकि यह अध्ययन उच्च-भुगतान और कम-भुगतान वाले राज्यों में सामाजिक पेंशन की प्रभावशीलता और पर्याप्तता का दस्तावेजीकरण करता है, इसलिए अध्ययन के लिए 10 वर्षों (2006) के लिए सामाजिक पेंशन का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का एक नमूना चुना गया था।

अध्ययन के लिए आठ राज्यों का चयन किया गया और पांच एनएसएपी योजनाओं से लाभान्वित 150 लाभार्थियों को चुना गया। अन्नपूर्णा योजनाओं के लिए दो लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाओं के लिए 25 लाभार्थियों का चयन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन (आईजीओएपी) योजनाओं के लिए क्रमशः 39 और 46 लाभार्थियों का चयन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (आईजीएनडीपी) योजनाओं के लिए 38 लाभार्थियों को चुना

गया, और राज्य पेंशन योजनाओं के लिए 61 लाभार्थियों को चुना गया। कुल मिलाकर, अध्ययन के लिए 211 लाभार्थियों का चयन किया गया। प्रश्नावली प्रचार के अलावा, अध्ययन के लिए प्रस्तावित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के साथ अनौपचारिक व्यक्तिगत बातचीत भी की गई।

अध्ययन क्षेत्र

अनुसंधान गतिविधि के लिए चुने गए अध्ययन क्षेत्र आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, असम और केरल हैं। इन राज्यों को एनएसएपी के संदर्भ में गरीबों के लिए अत्यधिक भुगतान वाली और कम भुगतान वाली सामाजिक पेंशन को ध्यान में रखते हुए चुना गया था।

विभिन्न राज्यों में दी जाने वाली सामाजिक पेंशन के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को सामाजिक पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि दे रही है, और इसके विपरीत, राज्य सरकारें समान अनुदान का भुगतान कर रही हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के मामले में सामाजिक पेंशन अधिक है, जबकि तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे अन्य राज्य कम सामाजिक पेंशन का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं।

क्षेत्र में रहने की लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशन भुगतान में ये बदलाव किए जा सकते हैं। हालाँकि, गरीबों की बुनियादी मांगों को पूरा करने में भुगतान अपर्याप्त रहा है। इस कारक के विपरीत, गरीबों को गरीबी के जाल में फंसने से बचाना एक पेचीदा सवाल है और सामाजिक विकास हासिल करना एक लाख टके का सवाल है। हालाँकि, सामाजिक पेंशन के लिए मानी जाने वाली राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता

है और ये हस्तांतरण निर्धारित समय में लाभार्थी की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम रहे हैं। इसलिए, शोध सामाजिक पेंशन की विभिन्न रूपरेखाओं का अध्ययन करता है जिनकी लोगों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक विकास प्राप्त करने में भूमिका होती है।

जाँच - परिणाम:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) का प्रभाव

आईजीएनओएपीएस की पेंशन राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, आईजीएनओएपीएस के अधिकांश लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति गरीबों में सबसे गरीब है। वे आर्थिक रूप से अधिक पीड़ित होते हैं, और जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं।

आईजीएनओएपीएस के लाभार्थियों के व्यवसाय के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश लाभार्थी सरकार से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर हैं। वृद्धावस्था पेंशन वृद्ध लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है; हालाँकि यह राशि कम है, फिर भी यह लोगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। वृद्ध लोग अर्थव्यवस्था और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने में रुचि रखते हैं। बुजुर्ग एक नैतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सरकार को उनके ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग करना चाहिए। स्थानीय सरकार सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेटा बताता है कि स्थानीय शासन को मजबूत किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रभाव:

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) रुपये प्रदान करती है। कमाने वाले की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को रू. 20,000 यह परिवार के सदस्यों के लिए तात्कालिक आर्थिक सहायता है, जो एक बार की सहायता है। साक्षात्कार में शामिल 25 लाभार्थियों में से 24 ने बताया कि उन्हें 20,000 रुपये मिले हैं। ओडिशा की 53 वर्ष की एक महिला लाभार्थी ने उल्लेख किया कि उसे 10,000 रुपये मिले हैं। यह भ्रष्टाचार की व्यापकता को दर्शाता है जो सहायता को लाभार्थियों तक पहुंचने से रोकता है। अधिकांश लाभार्थी सबसे गरीब हैं, और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। अधिकांश गरीब परिवारों में रोटी कमाने वाले पुरुष ही होते हैं। उनकी आकस्मिक मृत्यु से परिवारों पर आर्थिक संकट आ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि परिवार में कमाने वाले पुरुष की मौत के बाद महिलाओं को आर्थिक मार झेलनी पड़ती है। परिवार महिला प्रधान हो गए हैं और भरण-पोषण उनकी जिम्मेदारी बन गई है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एनएफबीएस ने सबसे गरीब लोगों को लाभान्वित किया है। अधिकांश लाभार्थी दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका मानना है कि एनएफबीएस ने ऋण चुकाने और परिवार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। कुछ लाभार्थियों ने कहा कि इससे बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता में भी मदद मिली। उन्होंने सरकार से रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु के तुरंत बाद राशि वितरित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसमें 10 दिन से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का प्रभाव:

आईजीएनडब्ल्यूपीएस की पेंशन राशि हर राज्य में अलग-अलग होती है। अधिकांश लाभार्थी सबसे गरीब लोग हैं। उनका मानना था कि विधवा पेंशन से उन्हें परिवार की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। लाभभोगियों ने बताया कि राशि कम है, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर मदद मिलती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का प्रभाव:

विकलांगता जीवन के किसी भी समय हो सकती है। बहुत कम लोग विकलांगता के साथ पैदा होते हैं। यह कुछ समय के लिए रुकावटें पैदा कर सकता है, लेकिन उन्हें अपना जीवन जीने से नहीं रोक सकता। विकलांगता से ग्रस्त कई लोग विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति बन गए हैं। लाभार्थियों ने राय दी है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) ने उन्हें पारिवारिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की है।

आईजीएनडीपीएस की पेंशन राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से पेंशन मिल रही है। गरीबों में सबसे गरीब होने के कारण, वे अपनी विकलांगता के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, ज्यादातर दिव्यांग पेंशन या अन्य पर निर्भर हैं। विकलांग लोग विशेष रूप से सक्षम लोग होते हैं और अवसर मिलने पर वे हर गतिविधि में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सरकार को उनके विशेष कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए।

अन्नपूर्णा योजना का प्रभाव

अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों की आयु 65 वर्ष है और वे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हैं। उन्हें हर माह 35 किलो चावल मिल रहा है। लाभार्थियों के अनुसार, इस योजना से उन्हें 30 से 35 दिनों तक जीवित रहने में मदद मिली है। इससे कई वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिली, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। कभी-कभी, इन खाद्यान्नों से परिवार के सदस्यों को सख्त जरूरत के समय मदद मिलती थी। लाभार्थियों ने संतोष व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाये।

राज्य पेंशन योजनाओं का प्रभाव

राज्य कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू कर रहे हैं। पेंशन की राशि योजना दर योजना और राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है - यानी 300 रुपये से 2,500 रुपये तक राज्य सरकारें विशेष रूप से विकलांगों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान कर रही हैं। यह उन लोगों के लिए बड़ी मदद है जो आर्थिक रूप से परेशान हैं। अधिकांश लाभार्थी सबसे गरीब हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन पर निर्भर हैं। कई लाभार्थियों ने बताया कि हालांकि यह राशि बहुत कम है, लेकिन इससे परिवार की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

स्थानीय सरकारों ने जागरूकता पैदा करने और लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में माननीय विधायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वहां कोई स्थानीय शासन नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सरपंच, ग्राम सभा, ग्राम सचिव और विधायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि स्थानीय सरकार सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय शासन को मजबूत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वैश्विक लक्ष्यों का लक्ष्य सभी श्रेणियों और उम्र के लोगों का कल्याण है। इसने विकलांग लोगों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है। महामारी (कोविड-19) ने कई सबक सिखाए हैं और अभूतपूर्व आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियां पेश की हैं। इसने दुनिया भर में आर्थिक और स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कोविड-19 ने कई गरीब परिवारों को तबाह कर दिया है क्योंकि रोजी-रोटी कमाने वाले इसकी चपेट में आ गए। कई गरीब परिवारों ने अपनी

आजीविका खो दी है और लगातार गरीबी में फंसे हुए हैं। महामारी ने सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर दिया है और गरीबों की मदद करना समय की मांग बन गई है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने विकलांग लोगों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजनाएं लागू की हैं, जैसे 1) अन्नपूर्णा योजना, 2) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और 4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।

राज्य सरकारों ने भी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। आंध्र प्रदेश तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है - 1) बुनकर पेंशन योजना, 2) टोडी टैपर्स पेंशन योजना और 3) एड्स (एचआईवी) रोगियों के लिए योजना दिल्ली दो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू कर रही है - 1) विधवा बेटी विवाह योजना, और 2) अविवाहित महिला पेंशन योजना। केरल दो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू कर रहा है - 1) अविवाहित महिला पेंशन योजना (50 वर्ष से अधिक), और 2) कृषि श्रमिक पेंशन योजना। ओडिशा मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) लागू कर रहा है, जबकि राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर रहा है, और तमिलनाडु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शुरू कर रहा है।

नीति वकालत:

जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिलने पर लाभार्थियों ने खुशी जताई है। उन्होंने योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता न्यूनतम है और बहुतों को इसकी जानकारी नहीं है। विभिन्न स्रोतों से योजनाओं की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। लाभार्थियों को मल्टीमीडिया के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने की

आवश्यकता महसूस हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने और सही लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय सरकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। गांव में विभिन्न स्थानों प्रदर्शनी बोर्ड लगाए जाएं और ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार पर योजनाओं की सूची उपलब्ध कराई जाए।

2. लाभार्थियों ने महसूस किया कि उम्र बढ़ने से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे रक्तचाप और धुंधली दृष्टि मुख्य समस्या हैं। लाभार्थियों ने वृद्धों और विशेष रूप से विकलांगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और दवा का अनुरोध किया।
3. एनएफबीएस के लाभार्थियों ने मांग की कि लाभ रुपये 20,000 से 50,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए।
4. लाभार्थियों ने महसूस किया कि सरकार को उनकी आजीविका कमाने के लिए आर्थिक गतिविधि प्रदान करनी चाहिए।
5. केरल के लाभार्थियों ने त्रैमासिक भुगतान के बजाय मासिक पेंशन भुगतान का अनुरोध किया।
6. आईजीएनडीपीएस के लाभार्थियों ने विकलांगता पेंशन को 5000 तक बढ़ाने का अनुरोध किया ।
7. लाभार्थियों ने सरकार से पक्के मकान, अपने बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, महिला सदस्यों के लिए आजीविका गतिविधियों और अपने बच्चों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए अनुरोध किया।
8. शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों ने मुफ्त शिक्षा का अनुरोध किया क्योंकि वे अपने माता-पिता पर निर्भर थे और कमाने में सक्षम नहीं थे।
9. लाभार्थियों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए कौशल प्रशिक्षण का अनुरोध किया, जिसे विकलांग और वरिष्ठ नागरिक कर सकते हैं।

10. कुछ लाभार्थियों ने ग्राम पंचायत और बैंक कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायत की है। लाभार्थियों ने विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का अनुरोध किया।
11. उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं लाती है और लोगों को परिवार के सदस्यों पर निर्भर करती है। अध्ययनों के अनुसार, उम्र बढ़ने से गतिशीलता कम हो जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन से बच्चों, युवाओं और वृद्धों के बीच दूरियाँ पैदा हो गई हैं। हालाँकि, वृद्ध लोगों के पास कौशल, ज्ञान और अनुभव है जो परिवार और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सकता है। चीन, जापान और यूरोपीय देशों में वृद्ध लोग राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।
12. भारत में व्यक्तियों की उम्र और क्षमता के अनुसार कौशल प्रदान किया जा सकता है। इससे वे अर्थव्यवस्था और राष्ट्र-निर्माण में योगदान करते हैं।

सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिलों में वाडी कार्यक्रम का एक अध्ययन

डॉ. राज कुमार पम्मी

परिचय:

अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि मूलभूत आवश्यकताओं की माँग करती है। बढ़ती आबादी को अपने पशुओं के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय, ईंधन और चारे की आवश्यकता है। रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव में, ग्रामीण लोग, विशेष रूप से वंचित समुदाय, अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजदूरी उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका की अवधारणा एक बड़ी चुनौती है। आजीविका को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन और नकदी के पर्याप्त भंडार और प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में, 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आय कृषि से उत्पन्न होती है, जो अपनी कमाई का लगभग 75-80 प्रतिशत भोजन पर खर्च करते हैं। कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है, लेकिन अधिकांश अशिक्षित किसान, विशेष रूप से पानी और बाहरी इनपुट के सुनिश्चित स्रोत के अभाव में, आर्थिक रूप से अपनी भूमि पर खेती करने में सफल नहीं हुए हैं। वे सदियों पुरानी पद्धतियों का पालन करते हुए कृषि को एक पारिवारिक परंपरा मानते रहे हैं और अपने पड़ोसियों की सफलता को देखने के बाद ही उन्होंने नए बदलाव अपनाए हैं। 12-15 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, और भूमिधारकों में से 69 प्रतिशत सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है और 21 प्रतिशत से अधिक छोटे किसान हैं। इन ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा शुष्क क्षेत्रों में है, जिन पर ज़्यादातर गरीब परिवारों का स्वामित्व है। चूंकि इन भूमियों पर फसल खराब होने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए किसान आम तौर पर उन्नत बीज, उर्वरक और पौधों की सुरक्षा के उपायों

जैसे बाहरी इनपुट में निवेश नहीं करते हैं और सामान्य वर्षों के दौरान भी फसल की पैदावार खराब होती है। पानी मानव उपभोग के साथ-साथ फसल उत्पादन के लिए भी एक महत्वपूर्ण इनपुट है, लेकिन समुदाय द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की जाती है। जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत वर्षा, झीलें, नदियाँ और भूमिगत भंडारण हैं। कुओं और छोटे टैंकों को छोड़कर, समुदाय सामूहिक रूप से पानी के अन्य स्रोतों के मालिक हैं। हालाँकि, शक्तिशाली लॉबी और निहित स्वार्थ वाले लोग अपने लाभ के लिए इन जल संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि गरीबों के पास अपने हिस्से का उपयोग करने का कोई साधन नहीं है। इससे छोटे और बड़े भूमिधारकों के बीच आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है। वन ग्रामीण समुदायों को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रहे हैं। वनों की कटाई के दुष्प्रभाव चारे, ईंधन, लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उत्पादों और औषधीय जड़ी-बूटियों की कमी के रूप में स्पष्ट हैं। वनों की कटाई सीधे तौर पर कृषि उत्पादन को दबा रही है, जिसका समाज के एक बड़े वर्ग को अभी तक एहसास नहीं हुआ है।

भूमि और पशुधन की खराब उत्पादकता और जंगल का अकुशल उपयोग गांवों के मौसमी रोजगार के कारण हैं। छोटे किसानों को लगभग 100 दिन ही काम करना पड़ता है और साल में केवल एक फसल उगानी पड़ती है, जो उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे गरीब परिवार, विशेष रूप से भूमिहीन और सीमांत धारक जिनके पास खराब गुणवत्ता वाली भूमि है, वे पूरे परिवार के साथ पलायन करते हैं। इस तरह के प्रवासन खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी और सामाजिक दबाव के कारण जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं जिससे नैतिक मूल्यों का हास होता है।

गरीब परिवारों, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, एक स्वैच्छिक संगठन, भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन (बीएआईएफ) ने स्थायी आजीविका, समृद्ध वातावरण और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी स्वरोजगार और जीवन और अच्छे मानवीय मूल्यों के अवसर पैदा करने के लिए अपना मिशन निर्धारित

किया है। बीएआईएफ का लक्ष्य स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग, उचित प्रौद्योगिकी के विस्तार और सामुदायिक भागीदारी के साथ कौशल और क्षमताओं के उन्नयन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

बीएआईएफ ने सबसे गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए ग्राम क्लस्टर विकास दृष्टिकोण विकसित किया है। इससे गरीब परिवारों की समस्याओं और जरूरतों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरुआत करने में सुविधा होती है। पिछड़े और आगे के विकास को सुविधाजनक बनाने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सजातीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले पुरुषों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन समूहों ने अपनी आय को और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों की पहचान की है।


वाडी कार्यक्रम:

वाडी अवधारणा एक समग्र विकास दृष्टिकोण है जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है। इस अवधारणा को विभिन्न स्तरों या दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। विस्तृत कोण से देखने पर, यह वाडी समूह के रूप में भूमि के एक निर्दिष्ट क्षेत्र और उसके निवासियों के विकास को कवर करता है। इसमें व्यक्तिगत कृषि परिप्रेक्ष्य से कृषि उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास के आयाम हैं; यह एक वृक्ष-आधारित कृषि प्रणाली है, विशेष रूप से एक वाडी प्रणाली है, जिसमें भौतिक इकाई खेत के अन्य उत्पादन घटकों जैसे वार्षिक फसल क्षेत्रों और पशुधन के साथ बातचीत करती है।

वाडी कार्यक्रम एक विकास रणनीति है जिसका उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए है जो खराब भूमि की गुणवत्ता और सीमित पानी की उपलब्धता के कारण उच्च-इनपुट गहन कृषि में निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक

दृष्टिकोण बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था।

चित्र 1: वाडी का सार



उद्देश्य

प्रस्तावित अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बीएआईएफ की एक पहल के कारण अध्ययन क्षेत्र में 'वाडी कार्यक्रम' की रणनीतियों और दृष्टिकोणों को समझना और शुष्क क्षेत्रों में छोटी जोतों के विकास के लिए एक स्थायी मॉडल स्थापित करना है। हालाँकि, प्रस्तावित अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- कर्नाटक राज्य में 'वाडी कार्यक्रम' का अध्ययन करना
- आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 'वाडी कार्यक्रम' की रणनीतियों और दृष्टिकोणों की जांच करना

- वंचित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर 'वाडी कार्यक्रम' के प्रभाव का विश्लेषण करना
- कार्यक्रम में सुधार हेतु उपाय सुझाना

क्रियाविधि

प्रस्तावित अध्ययन का विषय वंचित समुदायों के आजीविका विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विषय के महत्व और अन्य बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 30 नमूने एचएच का चयन करने का प्रस्ताव है, जो प्रस्तावित अध्ययन का आवश्यक नमूना है। इस प्रकार, अध्ययन के लिए कुल 120 नमूना एचएच का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण विधि के माध्यम से किया गया था। एचएच का चयन बीएआईएफ के अधिकारियों की मदद से किया जाएगा। हावेरी जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में बीएआईएफ की पहुंच है और वह निवास स्थान (इलाकों) से अच्छी तरह वाकिफ है। अध्ययन में वाडी कार्यक्रम के हितधारकों के साथ गहन साक्षात्कार आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। बीएआईएफ के वाडी कार्यक्रम की प्रक्रिया, निष्पादन और चुनौतियों को जानने के लिए गहन साक्षात्कार किए जाएंगे। वंचित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास की गहरी समझ के लिए कुछ व्यक्तिगत स्तर के सफल मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तावित अध्ययन कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। राज्य के भीतर, एक जिले (हावेरी) का चयन किया गया था। जिले के भीतर एक ब्लॉक (शिगोअन) और उसके भीतर चार ग्राम पंचायतें - हिरेबेंडिगेरी, ममदापुर, कदाहल्ली, केंगापुर और अट्टीगेरी - को अध्ययन के लिए चुना गया था।

जाँच - परिणाम:

- हावेरी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4,85,156 हेक्टेयर है, जिसमें से बोया गया क्षेत्रफल 4,13,769 हेक्टेयर है। कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र 95,324 हेक्टेयर है। खेती के लिए उपलब्ध नहीं क्षेत्र 39,275 हेक्टेयर है। अधिकांश किसानों (लगभग 88 प्रतिशत) के पास शुष्क भूमि है। जबकि, अध्ययन क्षेत्र के मामले में, भौगोलिक क्षेत्र 58,920 हेक्टेयर है; यह जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.14 प्रतिशत था। वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का लगभग 20.97 प्रतिशत था, इसके बाद खेती के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर 10.90 प्रतिशत था, और परती भूमि कुल परती भूमि का केवल 3.75 प्रतिशत थी। अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल हावेरी जिला क्षेत्र का 12.14 प्रतिशत है। होबलीज़ की संख्या कुल जिले का 15 प्रतिशत है और अध्ययन क्षेत्र में गांवों की संख्या जिले की आबादी का क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जिले की तुलना में कम है। हालाँकि, हावेरी जिले की तुलना में अध्ययन क्षेत्र में प्रतिशत में दशकीय परिवर्तन, वास्तविक वार्षिक वर्षा और बरसात के दिन अधिक थे।
- परिणाम से पता चलता है कि परिवार के चार सदस्यों वाले किसानों की औसत आयु 42 वर्ष थी। अधिकांश जनसंख्या तीन जाति श्रेणियों जैसे अनुसूचित जनजाति (49.08 प्रतिशत), और अनुसूचित जाति (35.00 प्रतिशत) से संबंधित थी, इसके बाद अन्य पिछड़े समुदाय (11.67 प्रतिशत) थे। परिवारों की आय प्रति वर्ष 18,000 रुपये थी और मुख्य व्यवसाय कृषि (86.67 प्रतिशत) था, इसके बाद लघु सूक्ष्म ग्रामीण व्यापार उद्यम (8.33 प्रतिशत) थे। सबसे कम कृषि श्रम गतिविधियाँ (3.33 प्रतिशत) थीं।
- चूंकि उनमें से अधिकांश किसान थे, इसलिए कृषि मुख्य व्यवसाय था। यदि वाडी कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है तो वे नई फसल प्रौद्योगिकियों

को अपना सकते हैं। इसके अलावा, वे सामाजिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित हैं। ये सभी कारक फंडिंग एजेंसियों को सभी संबंधित क्षेत्रों में वाडी कार्यक्रम के विकास में योगदान करने में मदद करेंगे।

- अनाज, दलहन और तिलहन के मामले में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल क्रमशः 26,981, 1737 और 9203 हेक्टेयर था। अनाजों में, अनाज की खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में मक्के की हिस्सेदारी 57.64 प्रतिशत है, इसके बाद ज्वार (18.94 हेक्टेयर) और धान (18.93) का स्थान है। इसी प्रकार, दालों के मामले में, हरा चना (53.28 प्रतिशत) सबसे अधिक था, इसके बाद बंगाल चना (368 हेक्टेयर) (21.18 प्रतिशत) और तूर (5.41 प्रतिशत) था। तिलहनों में, सबसे अधिक क्षेत्र मूंगफली (5963 हेक्टेयर), सोयाबीन (3066 हेक्टेयर) और कुसुम (116 हेक्टेयर) के लिए देखा गया, जो कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 64.79 प्रतिशत, 33.32 प्रतिशत और 1.26 प्रतिशत है। अलसी के मामले में सबसे कम देखा गया, जो केवल 5 हेक्टेयर था।
- हावेरी जिले में नमूना किसानों की औसत आयु 43 वर्ष थी, जिसमें साक्षरता 96.77 प्रतिशत और निरक्षरता 3.33 प्रतिशत थी। हावेरी जिले में क्रमशः 20.00, 15.33, 58.33 और 3.33 प्रतिशत किसानों ने प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट और डिग्री स्तर तक पढ़ाई की है। अध्ययन क्षेत्र में व्यवसाय के संबंध में, लगभग 93 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े थे और शेष 7 प्रतिशत सहायक व्यवसाय के रूप में कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में लगे हुए थे। नमूना किसानों के परिवार का औसत आकार चार था। उनमें से अधिकांश के पास शुष्क भूमि है, जो लगभग 90.47 प्रतिशत है, और वाडी कार्यक्रम के तहत औसत क्षेत्र लगभग 0.4 हेक्टेयर था।

- अधिकांश किसान शिक्षित और साक्षर थे; वे युवा थे और उनका एकल परिवार था। इन सभी कारकों ने हावेरी जिले के नमूना किसानों को वाडी कार्यक्रम गतिविधियों को लाभकारी उद्यमों के रूप में शुरू करने में मदद की। इसने उत्तरदाताओं को उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए बगीचे के तहत कुल क्षेत्र का एक प्रबंधनीय आकार आवंटित करने में सक्षम बनाया।
- बाजार की दूरी अध्ययन क्षेत्र में किसानों के लिए प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से खराब होने वाले उत्पादों के लिए, यदि किसान पास के बाजारों में बागवानी उत्पादों की बिक्री में लगे हुए हैं। विपणन से संबंधित पहलुओं में, किसानों ने बताया कि उन्हें आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न बाजारों में बिक्री के लिए लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लगभग 23.33 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। कुल नमूना किसानों में से केवल 5 प्रतिशत ने 15 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। अनाज और दालों को विपणन के लिए पूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मक्का क्योंकि इसे प्रसंस्करण उद्योग के लिए माना जाता है।
- प्रमुख आजीविका गतिविधि डेयरी पशुओं को पालना और हरी मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियां उगाना था, जो कुल नमूनों का 58 प्रतिशत था। आजीविका के लिए वाडी कार्यक्रम के माध्यम से अगला सबसे अच्छा हस्तक्षेप जानवरों का पालन-पोषण करना था और मक्का, हरा चना और बंगाल चना जैसी फसलें उगाना कुल नमूनों का 22 प्रतिशत था। अध्ययन में, केवल 6 प्रतिशत किसान सब्जियां और चारा फसलें उगाने में लगे हुए थे और 4 प्रतिशत सब्जी उत्पादक और छोटे ग्रामीण उद्यम थे।

- मूंगफली और बाजरा के संयोजन को अपनाने वाले अधिकांश किसानों की हिस्सेदारी कुल नमूनों का 28.33 प्रतिशत थी। अगली फसल माज़ी और बाजरा संयोजन थी जिसे 20 प्रतिशत किसानों ने अपनाया। मूंगफली और बाजरा किसानों द्वारा अपनाया गया तीसरा प्रमुख संयोजन था जिसे अध्ययन क्षेत्र में वाडी कार्यक्रम द्वारा पेश किया गया था।
- अधिकांश नमूना किसानों (36.67 प्रतिशत) ने अध्ययन क्षेत्र में प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं की मांग की, इसके बाद समुदाय/विपणन (21.67 प्रतिशत) और खेती के लाभ के लिए तत्काल आधार पर बाजार की जानकारी (15 प्रतिशत) की उपलब्धता की मांग की।
- निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश किसान, जो अपने बगीचे में बागवानी + वानिकी + सब्जी उगाने का विकल्प अपनाते हैं, उनकी संख्या 23.33 प्रतिशत है, इसके बाद 31.67 प्रतिशत किसान हैं जो बागवानी + वानिकी + चारा उगाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में कुल नमूना किसानों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसी महिला विकास गतिविधियों का भाग 18.33 प्रतिशत था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वाडी कार्यक्रम मृदा संरक्षण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है और भूमिहीन किसानों को भी समर्थन दे सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन क्षेत्र में, परिवारों की आय प्रति वर्ष 11,000 रुपये थी और प्रमुख व्यवसाय कृषि (86.67 प्रतिशत) था, इसके बाद लघु सूक्ष्म ग्रामीण व्यापार उद्यम (8.33 प्रतिशत) और सबसे कम कृषि श्रम गतिविधियाँ (3.33 प्रतिशत) थीं।) ।

- कृषि उत्पादन गतिविधियों में, मकई का भाग अनाज के कुल क्षेत्रफल का 57.64 प्रतिशत है, इसके बाद ज्वार (18.94 हेक्टेयर) और धान (18.93) का स्थान है। हावेरी जिले में नमूना किसानों की औसत आयु 43 वर्ष थी, जिसमें साक्षरता 96.77 प्रतिशत और निरक्षरता 3.33 प्रतिशत थी।
- विपणन सुविधाओं के बीच, लगभग 23.33 प्रतिशत किसानों ने कहा कि वे अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और कुल नमूना किसानों में से केवल 5 प्रतिशत ने 15 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की।
- अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख आजीविका गतिविधि डेयरी पशुओं को पालना और हरी मिर्च, बैंगन और टमाटर जैसी सब्जियां उगाना था, जो कुल नमूनों का 58 प्रतिशत था।
- सुझावों में, 36.67 प्रतिशत किसानों ने अध्ययन क्षेत्र में प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता का हवाला दिया, इसके बाद विपणन की कमी (21.67 प्रतिशत) और बाजार की जानकारी की अनुपलब्धता (15 प्रतिशत) का हवाला दिया।
- 23.33 प्रतिशत नमूना किसानों ने बागवानी + वानिकी + सब्जी उगाने का विकल्प चुना, इसके बाद 31.67 प्रतिशत ने बागवानी + वानिकी + चारा का विकल्प चुना। 18.33 प्रतिशत नमूना किसानों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) जैसी महिला विकास गतिविधियाँ शुरू की गईं।
- ये सभी गतिविधियां आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों की विशेषता वाली ग्रामीण जनता के विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण मॉडल कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करती हैं। वाडी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं (भूमि) के प्राकृतिक संसाधन आधार को नुकसान पहुंचाए बिना सतत समग्र विकास लाने के लिए इन समुदायों को अपनी भलाई के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है।

नीति सिफारिशें:

- ✓ किसानों को अपेक्षित प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा दी जानी चाहिए।
- ✓ किसानों को विपणन-संबंधित बुनियादी ढांचे और मिनी-प्रसंस्करण उद्योग तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिससे आय बढ़ सकती है और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- ✓ किसानों को बाज़ार और बाज़ार संबंधी जानकारी जैसे संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए।
- ✓ क्लस्टर स्तर पर फसलों के बेहतर विकास के लिए विभिन्न कृषि तकनीकों और तरीकों पर किसानों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- ✓ क्लस्टर स्तर पर इंटरएक्टिव डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं ताकि किसान अपनी आजीविका की बेहतरी के लिए विभिन्न गतिविधियों का प्रबंधन और योजना बनाने के लिए डिजिटल संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सकें।
- ✓ किसानों को ग्राम सभाओं में अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार, जीपीडीपी विकसित किया जाना चाहिए।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत चल रही परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन

डॉ. नित्या वी.जी.
डॉ. सुरजीत विक्रमन
डॉ. सीएच राधिका रानी

परिचय

ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए देश के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक, दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) ने राज्यों में विभिन्न आजीविका-संबंधी गतिविधियों को क्रियान्वित करने में अच्छी प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में, डीएवाई-एनआरएलएम ने गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए विश्वसनीय स्वयं-सहायता संगठन स्थापित किए हैं, जो उन्हें आय के स्रोतों तक पहुंच प्रदान करते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) एसआरएलएम कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों, जैविक क्लस्टर और मूल्य श्रृंखला विकास घटकों में हस्तक्षेप के माध्यम से आजीविका को मजबूत कर रही है। कार्यक्रम का ध्यान स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने पर है और इसने अपनी कृषि आजीविका पहल के माध्यम से 90 लाख महिला किसानों और एसवीईपी कार्यक्रम के तहत 98,000 उद्यमों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के कृषि अध्ययन केंद्र ने दक्षता और प्रभावशीलता के लिए परियोजना गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित गतिविधियों को समझने के लिए 10 राज्यों में चल रही एमकेएसपी परियोजनाओं का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। एमकेएसपी लक्ष्यों/दिशानिर्देशों के साथ और परियोजनाओं की मापनीयता के लिए उचित उपाय और सिफारिशों का सुझाव दिया है।

उद्देश्य

मूल्यांकन अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य एक मूल्यांकन सामने लाना है

- एमकेएसपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता
- व्यक्तिगत परियोजनाओं की सफलता का आकलन उनके परिणामों के आधार पर करें, और
- परियोजनाओं की स्केलेबिलिटी के लिए उचित उपाय और सिफारिशों का सुझाव

कार्यप्रणाली:

अध्ययन में समूह-आधारित गतिविधियों के लिए डेटा संग्रह के लिए ग्राम स्तर पर आयोजित फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ गहन चर्चा शामिल थी। महिला किसानों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों के प्रदर्शन और उनके प्रभावों का क्षेत्रीय सत्यापन किया गया। इसके अलावा, उपयुक्त निर्णयों के महत्व को उजागर करने और मामले के अध्ययन का दस्तावेजीकरण करने के लिए सीखे गए सबक, सर्वोत्तम पद्धतियों और सफलता की कहानियों को शामिल किया गया।

तालिका 1: मूल्यांकन दृष्टिकोण

परियोजनाओं	व्यक्तिगत साक्षात्कार		फोकस समूह चर्चा (एफजीडी)	
	व्यक्तिगत साक्षात्कार	साक्षात्कार किए गए एमके की संख्या (प्रति गांव 5 एमके)	एफजीडी की संख्या (प्रति परियोजना 5)	एफजीडी में एमके की संख्या (प्रति एफजीडी 8 एमके)
15	75	375	75	600

अध्ययन में परियोजनाओं के प्रदर्शन की गहन समझ को सक्षम करने के लिए डेस्क समीक्षा, साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), क्षेत्र अवलोकन और हितधारक परामर्श के माध्यम

से प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का उपयोग करके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल किए गए। प्राथमिक डेटा महिला किसानों (एमके) और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साक्षात्कार और एफजीडी के माध्यम से एकत्र किया गया था। द्वितीयक डेटा अनुमोदित प्रस्तावों, मंजूरी आदेशों, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), स्थापना रिपोर्ट, आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट और अन्य परियोजना दस्तावेजों पर आधारित था। प्रत्येक परियोजना से, 25 एमके वाले पांच गांवों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना गया था और प्रत्येक एफजीडी के लिए आठ एमके को शामिल करते हुए पांच एफजीडी आयोजित किए गए थे (तालिका 1)। अंतिम रिपोर्ट प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के विश्लेषण और चर्चा पर आधारित है। अध्ययन उनके परिणामों के संदर्भ में व्यक्तिगत परियोजनाओं की सफलता का आकलन करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है।

अध्ययन क्षेत्र:

राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों (एनआरपी) को शामिल करके तालिका 2 में दर्शाए अनुसार 10 राज्यों में 15 एमकेएसपी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था।

तालिका 2: परियोजना विवरण

क्र.सं.	राज्य	एमकेएसपी पीआईए का नाम	परियोजना का नाम
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
2	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
3	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
4	तेलंगाना	खम्मम जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
5	तेलंगाना	मेदक जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी

6	तेलंगाना	रंगा रेड्डी जिला समाख्या	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
7	मेघालय	मेघालय एसआरएलएम	समुदाय-प्रबंधित सतत कृषि के लिए एमकेएसपी
8	बिहार	एएसए (सामाजिक उन्नति के लिए कार्रवाई)	बिहार के पूर्णिया, खगड़िया और जमुई जिलों में दो स्तरीय महिला नेतृत्व वाली सामूहिकता के निर्माण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कुशल पिछड़े और आगे के बाजार लिंकेज सिस्टम को सुनिश्चित करने के माध्यम से कृषि में उनकी रणनीतिक भूमिका में सुधार करके छोटी महिला किसानों की स्थिति में वृद्धि करना।
9	ओडिशा	ओडिशा एसआरएलएम	औषधीय पौधे पर एमएसकेपी एएपी
10	ओडिशा	ओडिशा एसआरएलएम	तसर पर एमकेएसपी एएपी
11	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश एसआरएलएम	सतत कृषि पर एमकेएसपी एएपी
12	केरल	केरल एसआरएलएम	मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप पर एमकेएसपी एएपी
13	तमिलनाडु	तमिलनाडु एसआरएलएम	सतत कृषि पर एमएसकेपी एएपी
14	पुदुचेरी	पुदुचेरी एसआरएलएम	सतत कृषि पर एमएसकेपी एएपी
15	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल एसआरएलएम	तसर पर एमकेएसपी एएपी

जाँच - परिणाम

- एमकेएसपी कार्यक्रम को सामुदायिक हितधारकों को शामिल करते हुए अच्छी तरह से संकल्पित और संरचित किया गया है और इसमें आजीविका संवर्धन के लिए राज्य की प्राथमिकताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने की क्षमता है।
- सभी परियोजनाओं ने गांवों, एमके, पीजी, सीएचसी की संख्या और फसल नियोजन, बीज उपचार, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप जैसे कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों को कवर करने के संदर्भ में भौतिक लक्ष्य हासिल किए।

- परियोजना के घटकों को विभिन्न तकनीकी साझेदारों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया।
- सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सक्षम रहे ।
- योजना के हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव डाला है और एमके की आय में पर्याप्त सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

निष्कर्ष

एमकेएसपी कार्यक्रम को सामुदायिक हितधारकों को शामिल करते हुए अच्छी तरह से कल्पना और संरचित किया गया है और इसमें आजीविका संवर्धन के लिए राज्य की प्राथमिकताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने की क्षमता है। सामुदायिक स्रोत व्यक्ति (सीआरपी) कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सक्षम थे। परियोजना के घटकों को विभिन्न तकनीकी साझेदारों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया। परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पीआईए द्वारा अन्य संबंधित विभागों (कृषि, पशुपालन, विपणन महासंघ, नगर निगम, रेशम बोर्ड, बागवानी और एमजीएनआरईजीएस) के साथ आवश्यकता-आधारित जुड़ाव किया गया था। परियोजनाओं में एक मजबूत सामुदायिक विस्तार प्रणाली थी और कार्यक्रम प्रबंधन एसएचजी महिलाओं द्वारा किया गया था जो उत्पादक समूहों में गठित हुए थे जो 20 से कम सदस्यों के अनौपचारिक समूह हैं। क्लस्टर दृष्टिकोण पर उत्पादक समूहों का गठन किया गया और कार्य करना शुरू कर दिया गया।

क्षमता निर्माण गतिविधियाँ अधिकांश परियोजनाओं का मूल रही हैं। पीआईए ने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बहुत जोर दिया है, और महिला किसानों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईसीटी विकास उपकरणों का लाभ उठाया है। परियोजनाओं ने एमके की

क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया है जैसे कि समुदाय-आधारित वीडियो, क्षेत्र प्रदर्शन, किसान क्षेत्र स्कूल, और मॉडल फार्मों और किसानों के लिए प्रदर्शन दौरा विजिट जहां सर्वोत्तम पद्धतियां और बेहतर प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। ज्ञान भंडार और प्रसार के लिए पीआईए द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। कुछ राज्यों द्वारा ग्राम विसर्जन कार्यक्रम अपनाए गए हैं, जिसमें सामुदायिक हितधारक और परियोजना कार्यान्वयन कर्मचारी नियमित आधार पर प्रगति पर चर्चा करते हैं और दूसरों के साथ सीख साझा करते हैं। सर्वोत्तम पद्धतियों के ज्ञान को सुदृढ़ करने और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित दीवार लेखन को एक अच्छा दृष्टिकोण माना जाता था। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा डेटा अपलोड करके प्रोग्राम आउटपुट की निगरानी के लिए एक मोबाइल एक्सटेंशन टूल विकसित किया गया था। पीआईए द्वारा कार्यान्वित एमकेएसपी कार्यक्रम अच्छी तरह से योजनाबद्ध थे लेकिन कार्यान्वयन में देरी हुई है और यह समन्वय की कमी, उचित निगरानी और परियोजना कर्मचारियों की कमी के कारण हो सकता है। एमआईएस रिपोर्टिंग की रीढ़ है, इसलिए एनआरएलएम के सभी विषयों में एमआईएस का समय पर अद्यतन करना बहुत आवश्यक है। एमकेएसपी परियोजनाओं की अच्छी तरह से कल्पना की गई थी और अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन राज्य के विभाजन या राज्य के हिस्से के योगदान में देरी के कारण कुछ राज्यों में प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई। भागीदारी में राज्य की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना लागत में राज्य के योगदान की कार्यान्वयन संरचना को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि योगदान में गंभीर खामियाँ हुई हैं, जिसके कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। इसके अलावा, यह देखा गया है कि कुछ गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं जबकि अधिकांश बंद कर दी गई हैं। एमकेएसपी परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता था और सभी हितधारकों की अधिक प्रतिबद्धताओं के साथ संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता था।

नीति सिफारिशें:

- सूक्ष्म-उद्यम विकास और प्रभावी बाजार संबंधों को सक्षम करने के लिए सीआरपी को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एमआईएस के निरंतर अद्यतन की आवश्यकता है कि किए गए हस्तक्षेप और सर्वोत्तम पद्धतियों को अच्छी तरह से कवर किया गया है, सुरक्षित किया गया है और कर्मचारियों के स्थानांतरण के मामले में उत्तराधिकार के लिए उपलब्ध कराया गया है।
- मूल्यवर्धन की संभावित गुंजाइश बहुत बड़ी है और उत्पाद विकास और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक बड़ा अवसर है।
- स्थायी कृषि पद्धतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और अपनाने, अभिसरण, ग्राम सभा और अन्य प्लेटफार्मों में भागीदारी के लिए ज्ञान में सुधार के लिए महिला किसानों और सीआरपी के लिए अधिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कार्यशालाओं की आवश्यकता महसूस की गई है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन में सुधार के लिए कुछ नई किस्मों के साथ अच्छी कृषि पद्धतियों के लिए और अधिक प्रदर्शन आयोजित करने की आवश्यकता है।
- अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ अच्छे समन्वय की अधिक आवश्यकता है ताकि स्थायी आजीविका के अंतर को पाटने के लिए एमकेएसपी मंच का लाभ उठाया जा सके। विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से प्रभावी अभिसरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से एनआरएम-आधारित परिसंपत्ति निर्माण के लिए मनरेगा योजना के लिए।
- एसआरएलएम लक्षित परिवारों को कस्टम हायर सेंटर के उपकरणों का उपयोग करने के लिए ट्रैक्टर/मशीनरी की सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकार या क्रेडिट

सुविधाओं के साथ संबंध बना सकते हैं। मशीनरी के साथ सीएचसी को मजबूत करना, सीएचसी को राजस्व सृजन केंद्र बनाना और समुदायों के समग्र स्वामित्व के तहत इसके प्रबंधक के रूप में वीए को तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

- क्षमता निर्माण सहित शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नए किसान उत्पादक संगठन/महासंघ का गठन और सुदृढीकरण।
- कई उत्पादों (एनपीएम सामग्री, विशेषज्ञ सेवाएं, सब्जी नर्सरी, किराये पर उपकरण, आदि) और सेवाओं के साथ एक 'कृषि-सेवा केंद्र' का प्रचार एक बहुत प्रभावी राजस्व मॉडल साबित हुआ है।
- परियोजना गतिविधियों की निगरानी और दस्तावेज़ीकरण के लिए एक नियमित और मजबूत प्रणाली होनी चाहिए।

वाईएसआर पेंशन कानुन - आंध्र प्रदेश राज्य में सामाजिक सहायता के लिए
राष्ट्रीय नीति की एक सामाजिक सुरक्षा योजना का आकलन

(ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित)

डॉ. के. प्रभाकर
डॉ. एस.एन. राव
राजेश्वर जी.

परिचय

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याण कार्यक्रम है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। एनएसएपी भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देता है। इनका उद्देश्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आदि है। विशेष रूप से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने नागरिकों को उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे।

आंध्र प्रदेश में एनएसएपी:

एनएसएपी डेटाबेस के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में 9.51 लाख पेंशनभोगियों की राज्य सीमा के साथ सभी पांच एनएसएपी घटकों को कवर करने वाले कुल 15,40,456 लाभार्थी हैं। कुल लाभार्थियों में से 58 प्रतिशत महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। औसतन, 84 प्रतिशत पेंशन (12,94,619 लाभार्थियों) का वितरण हर महीने सीधे नकद वितरण (पेंशन की डोर डिलीवरी प्रणाली) के माध्यम से किया जाता है और शेष 16 प्रतिशत डीबीटी (बैंक खाता जिसमें डाकघर खाते के माध्यम से तीन सदस्य शामिल होते हैं) के माध्यम से किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में वाईएसआर पेंशन कानुका:

आंध्र प्रदेश सरकार ने 'नवरत्नालु' लागू किया है, जिसमें समाज के सभी पहलुओं के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जनता के लिए कई कल्याणकारी और विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। औसतन, हर महीने, आंध्र प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता नीति की सामाजिक सुरक्षा योजना (9.32 लाख एनएसएपी पेंशन सहित) की वाईएसआर पेंशन कानुका की 27 विभिन्न योजनाओं के तहत 64.06 लाख लाभार्थियों को 1765.05 करोड़ रुपये वितरित करती है। यह राज्य भर में व्यापक कवरेज वाला एक विशाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है और इसमें प्रत्यक्ष नकद संवितरण (84 प्रतिशत) शामिल है।

आवश्यकता: वाईएसआर पेंशन कानुका को और बेहतर बनाने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम पहुंच, प्रक्रिया, उपयोग, रिसाव, समयबद्ध सेवा वितरण और लाभार्थियों की संतुष्टि के संदर्भ में 'वाईएसआर पेंशन कानुका' योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

अध्ययन ने निम्नलिखित उद्देश्यों को कवर करने के लिए वाईएसआर पेंशन योजना हितधारकों के अनुभवों पर विचार कर आंध्र प्रदेश में 'वाईएसआर पेंशन कानुका' की संपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया का आकलन किया:

- < 'वाईएसआर पेंशन कानुका' योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना
- < पहुंच, विश्वसनीयता, संवितरण प्रक्रिया, लाभ, लीकेज, समयबद्ध सेवा वितरण और संतुष्टि के संदर्भ में प्रदान की गई 'वाईएसआर पेंशन कानुका' सेवाओं के बारे में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना
- < डायरेक्ट डोर डिलीवरी नकद संवितरण वाईएसआर पेंशन कानुका की प्रक्रिया और लाभार्थियों के अनुभवों की जांच करना
- < हितधारकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर सीधे डोर डिलीवरी नकद संवितरण पेंशन पर नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना
- < 'वाईएसआर पेंशन कानुका' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहल में सुधार के उपाय सुझाना

कार्यप्रणाली:

अध्ययन की पद्धति में 'वाईएसआर पेंशन कानुका' के वास्तविक लाभार्थियों से प्राथमिक डेटा का संग्रह शामिल है, जिसमें पहुंच, विश्वसनीयता, संवितरण प्रक्रिया, प्रत्यक्ष डोर डिलीवरी नकद संवितरण के लाभ, रिसाव, समयबद्ध सेवा वितरण और उनके सेवा वितरण पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के प्रति संतुष्टि का स्तर/सीमा। इसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझने के लिए सभी स्तरों से सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रियाओं (आधिकारिक) को

भी शामिल किया गया, योजना की और बेहतरी के लिए सीधे डोर डिलीवरी नकद संवितरण के लाभ और क्षेत्र स्तर पर मुद्दे, यदि कोई हों, शामिल हैं।

डेटा संग्रह के तरीके: वाईएसआर पेंशन कानुका को लागू करने वाले अधिकारियों के साथ लाभार्थियों के साक्षात्कार सहित दो अलग-अलग सर्वेक्षण उपकरण विकसित किए गए थे।

संपूर्ण डेटा संग्रह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा संग्रह प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया गया है, यानी दोनों प्रश्नावली ओडीके संग्रह डेटा संग्रह सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई हैं और पूरा डेटा स्मार्टफोन के माध्यम से एकत्र किया गया है।

प्रश्नावली डिज़ाइन

अध्ययन के लिए दो बुनियादी प्रश्नावली डिज़ाइन/विकसित की गईं और प्रश्नावली का विवरण नीचे दिया गया है।

1. कार्यान्वयन प्राधिकारी/एजेंसी द्वारा 'वाईएसआर पेंशन कानुका' की डिलिवरेबल्स की क्रॉस-चेकिंग/सत्यापन के लिए लाभार्थी प्रश्नावली, जिसमें पहुंच, विश्वसनीयता, संवितरण प्रक्रिया, प्रत्यक्ष डोर डिलीवरी नकद संवितरण के लाभ, रिसाव, देरी, समयबद्धता सेवा वितरण और कार्यक्रम के प्रति उनकी संतुष्टि का स्तर/सीमा, आदि के सेवा वितरण पहलुओं को शामिल किया गया है।
2. राज्य, जिला, मंडल और ग्राम स्तर से कार्यात्मक-संबंधित मुद्दों को सत्यापित और पता करने के लिए प्रश्नावली। एक ही प्रश्नावली में विभिन्न स्तरों के लिए अलग-अलग अनुभाग थे।

अध्ययन क्षेत्र और नमूनाकरण: सरल व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर छह चयनित जिलों, अर्थात् चित्तूर, श्री सत्य साईं, अन्नामय्या, बापटला, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम से कुल 1023 वाईएसआर पेंशन कानुका लाभार्थियों और 146 अधिकारियों का साक्षात्कार किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में, लगभग 170 वाईएसआर पेंशन कानुका लाभार्थियों और 25 अधिकारियों का साक्षात्कार किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

पेंशन का प्रकार: लगभग एक-तिहाई (32.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, इसके बाद विधवा पेंशन (25.9 प्रतिशत) और विकलांगता पेंशन (8 प्रतिशत) का लाभ उठा रहे हैं। शेष अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे थे जैसे - एकल महिला पेंशन, डप्पू कलाकार पेंशन, बुनकर पेंशन, मछुआरा पेंशन, सीकेडीयू पेंशन, पारंपरिक मोची पेंशन, टोडी पेंशन, ट्रांसजेंडर पेंशन, कला पेंशन और स्वास्थ्य पेंशन।

वाईएसआर पेंशन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता: समुदायों को मुख्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों (55.8 प्रतिशत), पड़ोसियों/रिश्तेदारों (25.9 प्रतिशत), अन्य लाभार्थियों (23.8 प्रतिशत), जीपी/मंडल पर नोटिस/साइनबोर्ड के माध्यम से वाईएसआर पेंशन के बारे में जागरूक किया गया। 22 प्रतिशत), दीवार पेंटिंग/पोस्टर/ब्रोशर (20.7 प्रतिशत) और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन (8.3 प्रतिशत)। इससे पता चलता है कि कार्यक्रम के प्रभावी उपयोग के लिए प्रदेश में अच्छा अभियान चल रहा है। लगभग 94 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि वे पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन जमा करने की प्रक्रिया से अवगत थे।

जागरूकता, प्राप्त राशि और वाईएसआर पेंशन कानुका के नकद संवितरण की प्रक्रिया: 94 प्रतिशत से अधिक लोग हकदार मासिक वाईएसआर पेंशन राशि के बारे में जानते थे। पेंशन राशि वितरण की प्रक्रिया के संबंध में, साक्षात्कार में शामिल सभी लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें हर महीने के पहले दिन ही स्वयंसेवकों द्वारा उनके दरवाजे पर वितरित प्रत्यक्ष नकदी

के माध्यम से पूरी हकदार राशि प्राप्त हो रही थी। लगभग 95 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने पेंशन प्राप्त करते समय नकद वितरित करने वाले व्यक्तियों (स्वयंसेवकों) को कभी कोई राशि नहीं दी। लेकिन, पेंशन राशि प्राप्त करने के बाद, उन्हें अपने पंजीकृत फोन नंबर पर 'अलर्ट संदेश' नहीं मिला है। लाभार्थियों ने महसूस किया कि इस तरह की पद्धति से पेंशन वितरण प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।

वाईएसआर पेंशन कानून की डिलीवरी पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया: सभी स्तरों के कुल 146 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया और उन्होंने जवाब दिया कि विभाग को बिना किसी असफलता के नियमित रूप से पेंशन वितरित करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो रहा है। साथ ही, 98.4 प्रतिशत अधिकारियों ने बताया कि उनके पास वाईएसआर पेंशन कानून कार्यक्रम को देखने के लिए एक निर्दिष्ट अनुभाग है।

पेंशन संवितरण का पसंदीदा तरीका:

	लाभार्थियों	अधिकारियों ने
पेंशन संवितरण की वर्तमान पद्धति	लगभग सभी (99.1 प्रतिशत) लाभार्थियों ने कहा कि पेंशन वितरण का उनका पसंदीदा तरीका स्वयंसेवकों द्वारा उनके दरवाजे पर सीधे नकद वितरण है।	हकदार राशि को बिना किसी असफलता के हर महीने गाँव के स्वयंसेवकों के माध्यम से सीधे नकद वितरण मोड के रूप में वितरित किया जाता है
प्रत्यक्ष नकदी वितरण के पक्ष में डीबीटी बनाम प्रतिक्रियाएँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ □ पेंशन राशि हर माह की 1 तारीख (98.9 प्रतिशत) को मिलेगी। ✓ पेंशन राशि वास्तविक (36.4 प्रतिशत) प्राप्त होगी। ✓ पेंशन राशि पेंशनभोगी के घर 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ □ पेंशन राशि हर महीने की पहली तारीख को सौंपी जाएगी (97.2) ✓ पेंशन राशि वास्तविक पेंशनभोगी को प्राप्त होगी (87.3 प्रतिशत) ✓ पेंशनभोगियों को घर पर ही पेंशन मिलेगी (90.8 प्रतिशत)

	<p>पर पहुंच जाएगी (39.3 प्रतिशत)।</p> <p>✓ पेंशनभोगियों को बैंकों में लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है (35.4 प्रतिशत)।</p> <p>✓ वृद्ध और विकलांग व्यक्ति बैंकों में जाने में असमर्थ हैं (60.7 प्रतिशत) और एटीएम संचालित करने में असमर्थ हैं (62.3 प्रतिशत)</p>	<p>✓ पेंशनभोगियों को बैंकों में लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है (88.7 प्रतिशत)।</p> <p>✓ वृद्ध और विकलांग व्यक्ति बैंकों में जाने में असमर्थ हैं (97.1 प्रतिशत)</p> <p>✓ बैंक शाखाएं उनके गांवों में स्थित नहीं हैं (76.3 प्रतिशत)।</p> <p>✓ एटीएम संचालित करने में असमर्थ (85.6 प्रतिशत)</p>
--	--	--

समस्या घटना और शिकायत निवारण प्रणाली: बहुत कम संख्या में लाभार्थियों (4 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें वाईएसआर पेंशन कानुका से निपटने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। ज्यादातर मामलों में समस्या 'वाईएसआर पेंशन कानुका-एनएसएपी' की पात्रता प्राप्त करने और कर्मचारियों की खराब सेवा से संबंधित थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की और कुछ ही दिनों में समस्या का समाधान हो गया।

वाईएसआर पेंशन कानुका से समग्र संतुष्टि: वाईएसआर पेंशन कानुका के अधिकांश लाभार्थी राज्य में पेंशन प्रणाली से संतुष्ट हैं। सभी छह जिलों में वाईएसआर पेंशन कानुका से समग्र संतुष्टि 97 प्रतिशत से अधिक थी।

अधिकांश वाईएसआर पेंशन कानुका कार्यान्वयन अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हैं (97.9 प्रतिशत), जबकि बाकी आंशिक रूप से संतुष्ट थे। गौरतलब है कि कार्यक्रम से कोई भी असंतुष्ट नहीं पाया गया।

सुधार के लिए उपयोगिता और सुझाव: उल्लेखनीय रूप से, साक्षात्कार में शामिल सभी लाभार्थियों ने बताया कि हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि ज्यादातर आत्म-सम्मान (87.0 प्रतिशत) के मामले में उनके जीवन का समर्थन करती है, बुनियादी जरूरतों या दैनिक व्यय पर निर्भर नहीं होती (39.4 प्रतिशत), मासिक चिकित्सा व्यय (49.4 प्रतिशत) को कवर करने के अलावा पारिवारिक जरूरतों का समर्थन (50.5 प्रतिशत)।

निष्कर्ष और नीति निहितार्थ:

सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, 'वाईएसआर पेंशन कानुन' योजना अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंच रही है, विशेष रूप से हर महीने के पहले दिन ही पूर्ण हकदार पेंशन राशि का वितरण कर रही है। लाभार्थियों एवं अधिकारियों दोनों ने पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की।

सिफारिशें:

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, कार्यक्रम की बेहतर और प्रभावी पहुंच के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं।

- जैसा कि लाभार्थियों ने अनुमान लगाया था, प्रत्यक्ष नकद वितरण जारी रखा जाना चाहिए, जो पेंशन वितरण का अधिक उपयोगी और पसंदीदा तरीका है।
- नकदी प्राप्त करने के तुरंत बाद लाभार्थियों के फोन नंबरों पर 'अलर्ट संदेश और वॉयस कॉल' जैसी एक प्रणाली लाने से, जो लाभार्थियों को सचेत और सूचित करता है कि उन्हें उनकी पेंशन मिल गई है, पेंशन वितरण के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
- जैसा कि बताया गया है, एक नई पेंशन आवेदन को मंजूरी मिलने में औसतन चार महीने लगते हैं। इस अवधि को कम करने की जरूरत है और प्रक्रिया कम से कम एक महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

- लाभार्थी स्तर पर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जाने हैं, अतिरिक्त उपकरणों की आपूर्ति, लॉगिन क्रेडेंशियल, पेंशन वितरण दिनों के दौरान उचित डेटा कनेक्टिविटी, अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती आदि द्वारा क्षेत्र के पदाधिकारियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- पोर्टेबिलिटी मॉडल की अनुमति दें ताकि लाभार्थी अपना पैसा राज्य की सीमा के भीतर, जहां भी वे मौजूद हों, ले जा सकें।
- सही लाभार्थियों की पहचान करने के लिए परिवारों का डेटा अपडेशन/मैपिंग समय पर और बार-बार की जानी चाहिए।
- पुराने मॉडल को जारी रखें ताकि लाभार्थी तीन महीने तक पेंशन राशि निकाल सकें।
- यह पाया गया कि कुछ पंचायत अधिकारी पेंशन योजना और सभी पेंशन योजनाओं के अधिकारों से अनभिज्ञ थे। इसलिए, पेंशन योजनाओं और नीतिगत मामलों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना बेहतर है।
- पेंशन वितरण का डीबीटी मोड विशेष मामलों के लिए अपनाया जाना चाहिए जैसे पात्र विकलांग पेंशनभोगी जो पढ़ रहे हैं या अलग-अलग स्थानों या अन्य राज्यों में चले गए हैं क्योंकि उनके लिए हर महीने व्यक्तिगत रूप से पेंशन एकत्र करना मुश्किल है।

सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता (टीआईएसपीआरआई) द्वारा पंचायती राज
संस्थानों के सुदृढीकरण के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया - चरण II
(2020-2022)

डॉ. सी. कथिरेसन,
डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक
डॉ. वानिश्री जोसेफ

परिचय

निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) की क्षमताओं का निर्माण करने और देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को निरंतर तरीके से मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने एक अभिनव अध्ययन परियोजना 'पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने के माध्यम से भारत को बदलना' को मंजूरी दे दी है। सतत प्रशिक्षण और ई-सक्षमता (टीआईएसपीआरआई) को एनआईआरडीपीआर द्वारा 2017-2020 के दौरान लागू किया जाएगा। चरण- I के अध्ययन के परिणामों और रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय ने आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक में 19 मई 2020 को आयोजित बैठक में एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए टीआईएसपीआरआई चरण II के लिए अध्ययन परियोजना को मंजूरी दी गई। तदनुसार, टीआईएसपीआरआई परियोजना के दूसरे चरण के तहत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी गई:

1. मास्टर स्त्रोत व्यक्ति (एमआरपी) का प्रमाणन

2. निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रमाणित एमआरपी के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना -
- क) 15वें वित्त आयोग के अनुदान का प्रभावी उपयोग
 - ख) वार्ड सदस्यों को 'परिवर्तन के एजेंट या क्षेत्र को सक्षम बनाने वाले' के रूप में कार्य करना होगा
 - ग) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पंचायती राज पदाधिकारी
 - घ) पंचायत प्रशासन पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर)।
 - ई) पंचायतों की ई-सक्षमता पर ईआर और पदाधिकारी (एकीकृत पोर्टल, पीएफएमएस)
3. ईआरएस, पीआर पदाधिकारियों और एमआरपी के लिए ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम
4. पंचायती राज शासन एवं ग्रामीण विकास पर दूरस्थ मोड डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपीपीआरजीआरडी)
5. सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण
6. ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में एमओपीआर को समर्थन

उद्देश्य: इस अध्ययन परियोजना का मुख्य उद्देश्य आरजीएसए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को उन्मुख करना और पंचायत विजन 2024 को प्राप्त करना था।

कार्यप्रणाली: अध्ययन परियोजना के लिए, एसआईआरडीपीआर/ईटीसी/डीपीआरसी में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की गईं। मामला अध्ययन दस्तावेज़ीकरण के लिए, प्रमुख सूचनादाताओं से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मामला अध्ययन पद्धति को अपनाया गया था। इसके अलावा, ग्राम पंचायत द्वारा की गई सफल कार्यों को सामने लाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ फोकस समूह चर्चा की गई।

अध्ययन क्षेत्र: टीआईएसपीआरआई चरण- II अध्ययन परियोजना में दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया है। अध्ययन परियोजना के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन पूरे देश में फैला हुआ है। सफल मामला अध्ययनों को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रलेखित किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

मास्टर स्रोत व्यक्ति का प्रमाणीकरण:

पिछले कुछ वर्षों में, देश भर के प्रशिक्षण संस्थानों ने मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया है। हालाँकि, गुणवत्ता के मामले में एक बड़ा अंतर था। टीआईएसपीआरआई अध्ययन परियोजना के तहत, मौजूदा प्रशिक्षकों को पीआरआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मास्टर रिसोर्स पर्सन (एमआरपी) के रूप में कार्य करने के लिए उन्मुख, मूल्यांकन और प्रमाणित किया जा रहा है। टीआईएसपीआरआई अध्ययन परियोजना की शुरुआत से, मार्च 2022 तक 184 बैचों में कुल 7204 प्रशिक्षकों का मूल्यांकन किया गया है और 5073 मास्टर स्रोत व्यक्ति को विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के तहत प्रमाणित किया गया है।

पीआरआई की क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रमाणित एमआरपी के लिए टीओटी:

प्रमाणित एमआरपी को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, उनके क्षेत्र में नवीनतम विकास में उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए टीआईएसपीआरआई चरण II के तहत उन्नत टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। टीआईएसपीआरआई - चरण II अध्ययन परियोजना के तहत वर्ष 2020-22 के दौरान 11,113 प्रतिभागियों को कवर करते हुए कुल 118 टीओटी आयोजित किए गए थे।

ईआरएस, पीआर पदाधिकारियों और एमआरपी के लिए ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम:

निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित 60 लाख से अधिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें स्थानीय शासन के सभी पहलुओं, बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में लगातार प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। टीआईएसपीआरआई परियोजना के घटकों में से एक ई-लर्निंग सामग्री विकसित करना और वेब-होस्टेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए, पंचायत प्रशासन और सेवा वितरण में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण देने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने एक ई-लर्निंग लैब और ऑडियो-विजुअल स्टूडियो की स्थापना की। ज्ञान के अंतर को पाटने और कहीं भी, कभी भी और किसी भी उपकरण से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने सितंबर 2021 में मूडल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एक एलएमएस 'ईग्रामप्रशिक्षण' (<http://egramprashihan.nirdpr.in/>) डिजाइन और मोबाइल, टैब, लैपटॉप और डेस्कटॉप विकसित किया।

जागरूकता फ़िल्में:

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के अलावा, एनआईआरडीपीआर ने पंचायत स्तर पर कोविड-19 महामारी और स्वामित्व योजना पर 21 जागरूकता वीडियो और फिल्मों भी विकसित की हैं, और सामग्री को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साझा किया है। इन फिल्मों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कैसे पंचायतों विकास योजनाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त कर रही हैं और कैसे बेहतर योजना और सुशासन के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर दूरस्थ मोड कार्यक्रम:

ईआरएस और अन्य पीआर पदाधिकारियों/हितधारकों की सीखने की जरूरतों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, टीआईएसपीआरआई परियोजना के तहत एनआईआरडीपीआर ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से दूरस्थ मोड में 'पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास' पर एक साल का यूजीसी-अनुमोदित डिप्लोमा कार्यक्रम 2019 में शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं सहित इच्छुक अधिकारियों और गैर-अधिकारियों को पंचायत प्रशासन पर नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ताकि वे बेहतर स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण में योगदान दे सकें। एनआईआरडीपीआर ने 72 मानकीकृत मॉड्यूल विकसित किए हैं जिनका उपयोग इस कार्यक्रम में शिक्षण सामग्री के रूप में किया जाता है। 2019 से कुल मिलाकर, 306 छात्रों ने डिप्लोमा कार्यक्रम में दाखिला लिया है। एनआईआरडीपीआर डिप्लोमा कार्यक्रम पीआरआई पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक अन्य चैनल के रूप में कार्य कर रहा है।

सफलता की कहानियों का प्रलेखन:

टीआईएसपीआरआई परियोजना के तहत, मामला अध्ययनों का प्रलेखन किया जा रहा है और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है। टीआईएसपीआरआई चरण II के तहत कुल 10 मामला अध्ययन पूरे किए गए हैं। ये मामला अध्ययन सार्वजनिक सेवा वितरण और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचने में नवीन दृष्टिकोण और सर्वोत्तम पद्धतियों को दर्शाते हैं। सफलता की कहानियाँ अन्य पंचायतों को ऐसी सर्वोत्तम पद्धतियों से सीखने में मदद करती हैं। क्षेत्र की उपयुक्तता और स्थानीय प्रासंगिकता के आधार पर सफलता की कहानियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल का हिस्सा भी बनाया जा रहा है।

शिक्षण सामग्री का विकास/अद्यतन:

टीआईएसपीआरआई चरण II के दौरान, 11 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और विभिन्न एसआईआरडी के साथ साझा किए गए हैं। इसका उपयोग एनआईआरडीपीआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टीओटी प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

जीपीडीपी अभियान में एमओपीआर को समर्थन:

हर साल एमओपीआर पूरे देश में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में जीपीडीपी तैयार करने के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी) का आयोजन करता है। एनआईआरडीपीआर अभियान के दौरान हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभिविन्यास प्रशिक्षण और क्षेत्रीय विषयगत कार्यशालाओं के आयोजन में एमओपीआर का समर्थन कर रहा है। पीपीसी 2021 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने टीआईएसपीआरआई चरण-II अध्ययन परियोजना के तहत हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के अभिविन्यास प्रशिक्षण और पांच क्षेत्रीय विषयगत कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

निष्कर्ष:

पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र ने अध्ययन परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है और आरजीएसए के समग्र उद्देश्यों का समर्थन किया है। इसके अलावा, समय-समय पर पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के अनुरोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व कार्ड के मुद्रीकरण, पंचायतों के इष्टतम आकार, आरजीएसए में सुधार के लिए सुझाव और नीति वकालत पर विभिन्न अवधारणा नोट सीपीआरडीपी और एसएसडी द्वारा तैयार किए गए हैं। टीआईएसपीआरआई चरण-II अध्ययन परियोजना की अंतिम रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज संस्थान, नई दिल्ली के साथ साझा किया गया है।

एसएचजी मार्ग परियोजना

डॉ. एस.के. सत्यप्रभा

परिचय

महिला विकास एवं सशक्तिकरण ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के विकास कार्यक्रमों में इसके महत्व को अच्छी तरह से महसूस किया गया है और पहचाना गया है। हालाँकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम थे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन से तेजी आई है और महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त सुधार ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण जैसे विभिन्न आयाम देखे गए हैं। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को एफएनएचडब्ल्यू के बारे में अधिक जागरूकता देने के लिए एक पहल की, और एसएचजी व्यवहार परिवर्तन मार्गों पर जनसंख्या परिषद के अनुसंधान परियोजना का एक हिस्सा एनआईआरडीपीआर द्वारा शुरू किया गया था। जनसंख्या परिषद के इस व्यापक अध्ययन का उद्देश्य एसएचजी और अन्य महिला समूहों, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और अन्य विकास परिणामों में व्यवहार परिवर्तन को समझना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों तक प्रमुख स्वास्थ्य संदेशों का वितरण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस प्रकार, अध्ययन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए अधिक प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने की उम्मीद है।

उद्देश्य

- एफएनएचडब्ल्यू पर एसआरएलएम के प्रशिक्षण और एसएचजी महिलाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन के बारे में समझना ।
- एनआईआरडीपीआर और एनआरएलएम अपनी प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और शिक्षण को मजबूत करने के लिए इस प्रशिक्षण महत्वपूर्ण अध्ययन का उपयोग करेंगे।

क्रियाविधि

अध्ययन में स्तरीकृत उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति के साथ गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का पालन किया गया। प्राथमिक फ़ील्ड डेटा ऑडियो प्रारूप में एकत्र किया गया था। सभी फ़ील्ड डेटा, साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा और टिप्पणियों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और प्रतिलेखन किया गया। डेटा विश्लेषण ने सामग्री विश्लेषण की पद्धति का पालन किया जहां विश्लेषण के प्रमुख विषयों और विषयों के घटकों को वर्गीकृत किया गया और विश्लेषण और व्याख्या के लिए उपयोग किया गया। इस प्रकार, एनआरएलएम-एफएनएचडब्ल्यू पर अध्ययन में स्तरीकृत उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पद्धति के साथ गुणात्मक पद्धति का पालन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड थे। प्रत्येक राज्य में, फ़ील्ड डेटा संग्रह के लिए दो जिलों की पहचान की गई थी। तदनुसार, छत्तीसगढ़ में कांकेर और बस्तर जिलों और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ जिलों का चयन किया गया। प्रत्येक जिले से, दो ब्लॉकों की पहचान की गई, और प्रत्येक ब्लॉक से, दो गाँव चुने गए। इसलिए, प्रत्येक जिले में आठ गांवों को शामिल किया गया, और इस प्रकार दोनों राज्यों में कुल 16 गांवों की पहचान की गई। ब्लॉक और गांवों का विवरण नीचे दिया गया है।

छत्तीसगढ़ अध्ययन क्षेत्र

1. कांकेर जिला: चारामा ब्लॉक में गीतापहाड़ और खैरखेड़ा गांव, और नरहरपुर ब्लॉक में सरोना और बासनवाही गांव।
2. बस्तर जिला: बस्तर ब्लॉक में मथोटा और सोनारपाल गांव, और बास्तानार ब्लॉक में बड़ेकिलेपाल और कोडेनार गांव।

जाँच - परिणाम:

छत्तीसगढ़ एसआरएलएम (बिहान) एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण के बारे में प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित थे

- i) छत्तीसगढ़ में, बिहान एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम 3-4 दिनों के लिए आयोजित किए गए।
- ii) कहानियाँ, खेल, गीत, चित्र और पोस्टर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपयोग किए जाने वाले कुछ उपकरण थे। रसोई बागवानी, स्वच्छता, हाथ धोना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल, किशोर लड़कियों और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल, और नवविवाहित जोड़ों का रिकॉर्ड रखरखाव, अध्ययन गांवों में बिहान द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के कुछ विषय थे। उत्तरदाताओं द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण-पूर्व मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बाद फीडबैक एकत्र करने की पद्धति पर भी ध्यान दिया गया।
- iii) बिहान ने हिंदी माध्यम में प्रशिक्षण प्रदान किया लेकिन अध्ययनरत ग्रामीणों द्वारा छत्तीसगढ़ी, हल्वी, गोंडी और कुछ आदिवासी भाषाएँ बोली जाती थीं। वीओ सदस्य स्थानीय भाषा में एफएनएचडब्ल्यू संदेश देते हैं।

छत्तीसगढ़ अध्ययन गांवों में व्यवहार परिवर्तन

छत्तीसगढ़ के अध्ययन गांवों में देखे गए व्यवहारिक परिवर्तनों के बारे में प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- i) स्वयं सहायता समूह के लगभग सभी सदस्यों में व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की सफाई, भोजन पकाने और रखरखाव में शुद्धता, आयरन की गोलियों का सेवन, टीकाकरण के लिए नामांकन, अस्पताल में प्रसव और इसके मौद्रिक लाभों के संबंध में आदतों में जागरूकता और व्यवहारिक परिवर्तन देखा गया।
- ii) उपरोक्त कारकों के अलावा, कई एसएचजी महिलाएं तिरंगा भोजन के घटकों, हाथ धोने के चरणों और खुले में शौच के दुष्प्रभावों से अवगत थीं। छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में ताजा पका भोजन खाने और बासी भोजन से परहेज करने के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखा गया। उन्होंने कहा कि वे तिरंगा भोजन खा रहे हैं और नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धो रहे हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालय भी बना रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं।
- iii) आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध प्रावधानों जैसे रेडी-टू-ईट (आरटीई) / टेक-होम राशन (टीएचआर) आपूर्ति का समय, आवृत्ति और लाभार्थियों के बारे में छत्तीसगढ़ के सभी उत्तरदाताओं को पता था। उनमें से कुछ आंगनवाड़ी द्वारा प्रदत्त खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे थे और उसका उपयोग कर रहे थे जबकि कुछ ने न तो प्राप्त किया और न ही उपभोग किया।
- iv) बसन्तवाही को छोड़कर, जहां कुछ एसएचजी सदस्यों को जानकारी थी और कुछ को कम जानकारी थी, छत्तीसगढ़ के अध्ययन गांवों के सभी उत्तरदाताओं को किचन गार्डन के बारे में पर्याप्त जानकारी है।
- v) सभी एसएचजी महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में ज्ञान पाया गया था लेकिन इसका अभ्यास उचित नहीं था।
- vi) स्वास्थ्य उपचार के लिए सिरा या गुनिया जाने की मान्यता और प्रथा अधिकांश स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में पाई गई। वीओ सदस्यों ने अपने विश्वास को

संतुष्ट करने के लिए गुनिया और डॉक्टर दोनों से अस्पताल में मिलने का सुझाव दिया।

- vii) छत्तीसगढ़ में, बड़ेकिलेपाल और कोडेनार के अलावा, अन्य सभी गैर-एसएचजी उत्तरदाताओं का एसएचजी सदस्यों के साथ संपर्क है। बड़ेकिलेपाल पीआरआई सदस्य उत्तरदाताओं को छोड़कर, अन्य सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता या तो एसएचजी के सदस्य थे या एसएचजी सदस्यों के साथ उनके संपर्क थे।

जेएसएलपीएस प्रशिक्षण

- i) जेएसएलपीएस द्वारा आवास के साथ तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया था
- ii) तिरंगा भोजन, रसोई उद्यान, आंगनवाड़ी लाभ, गर्भवती महिलाएं और बच्चे की देखभाल (अस्पताल में प्रसव और उसके लाभ, कुपोषण, टीकाकरण), कम उम्र में शादी और किशोरियों की मासिक धर्म स्वच्छता, हाथ धोना, स्वच्छता (ओडीएफ), व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास की सफाई। जेएसएलपीएस प्रशिक्षण के कुछ विषय थे।
- iii) फ्लिप चार्ट, गेम, कहानियां, नुक्कड़ नाटक/नाटक, प्रदर्शन, रोल प्ले, गाने, मैपिंग और वीडियो प्रशिक्षण सत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण/तरीके थे।
- iv) जेएसएलपीएस के एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी माध्यम में आयोजित किए गए। लेकिन गाँवों में मुंडा, उड़िया, बंगाली, संथाली और अन्य आदिवासी भाषाएँ प्रचलित थीं।

झारखंड अध्ययन गांवों में व्यवहार परिवर्तन

झारखंड अध्ययन गांवों में ग्रामीणों के बीच देखे गए व्यावहारिक परिवर्तन नीचे सूचीबद्ध हैं।

- i) अस्पतालों में प्रसव और इसका लाभ उठाना, टीकाकरण, हाथ धोना और स्वच्छता (व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन और परिवेश) ऐसे विषय थे जिनमें झारखंड स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से पूरी समझ थी और वे नियमित रूप से अपने जीवन में इसका पालन कर रहे थे।
- ii) प्रशिक्षण के बाद, अधिकांश एसएचजी सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं से अवगत थे और वे न केवल आरटीई/टीएचआर प्राप्त कर रहे थे बल्कि उनका उपभोग भी कर रहे थे।
- iii) आंगनवाड़ी के बगल में तिरंगा भोजन की पहुंच थी। हालाँकि उत्तरदाताओं को पता था, व्यवहार में, उनमें से कुछ को विभिन्न सब्जियों और फलों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एसएचजी सदस्यों द्वारा तिरंगा भोजन के दैनिक सेवन में खराब आर्थिक स्थिति भी एक बाधा है। iv) कई एसएचजी सदस्यों को किचन गार्डन के बारे में पता था लेकिन उनमें से कुछ के पास जमीन नहीं थी या पानी की समस्या थी तो वे सब्जियां नहीं उगा रहे थे।
- iv) ज्यादातर महिलाओं ने आयरन और कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई क्योंकि उन्हें उल्टी जैसा अहसास हुआ। उनका यह भी मानना था कि गोलियाँ उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का रंग काला कर देंगी।
- v) झाड़फुक या ओझा में पारंपरिक विश्वास गांव में विद्यमान पाया गया क्योंकि कई महिलाएं स्वास्थ्य उपचार के लिए झाड़फुक के साथ-साथ डॉक्टर के पास भी जाती थीं।

- vi) एसएचजी महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सबसे कम जानकारी थी। हालाँकि उनमें जागरूकता कम है, लेकिन महिलाओं और किशोरियों में व्यवहार में बदलाव आंशिक नहीं पाया गया।
- vii) शौचालयों के उपयोग में सबसे कम प्रथा पाई गई। उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत कारण अनिर्मित शौचालय और गड्डों का शीघ्र भरना था।
- viii) झारखंड में, मोंगलाबांध के अलावा, सभी ग्रामीण गैर-एसएचजी उत्तरदाताओं का एसएचजी सदस्यों के साथ संपर्क है। मोंगलाबांध और बाराघरी की आशा, एएनएम और बाराघरी के पीआरआई को छोड़कर, अन्य सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता या तो एसएचजी के सदस्य थे या एसएचजी सदस्यों के साथ संपर्क रखते थे।

निष्कर्ष

चूँकि गाँव की अधिकांश महिलाएँ एसएचजी सदस्य थीं, जिनमें अग्रणी कार्यकर्ता भी शामिल थीं, जागरूकता और प्रथाओं का उनके परिवारों पर अधिक प्रभाव पड़ा, जो बदले में समुदाय में परिलक्षित हुआ। इसलिए, एनआरएलएम में एफएनएचडब्ल्यू घटकों को शामिल करने को तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ और मजबूत करना होगा।

भौगोलिक रूप से विशिष्ट, विषय-आधारित मात्रात्मक अनुसंधान एनआरएलएम को न केवल व्यापक समस्याओं के समाधान में सहायता करेगा, बल्कि समग्र ग्राम विकास को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

नीति सिफारिशें

उत्तरदाताओं के सुझाव निम्नलिखित थे:

1. संबंधित विभागों के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण देने के लिए सामाजिक कार्य समिति के अलावा एसएचजी सदस्यों की एक अलग समिति होनी चाहिए ।

2. वीओ सदस्यों के अलावा, स्थानीय भाषा जानने वाले एसएचजी सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जो एफएनएचडब्ल्यू संदेशों के सार को कमजोर किए बिना, विशेष रूप से आदिवासी गांवों में विभिन्न भाषा-भाषी ग्रामीणों तक पहुंचने में एसआरएलएम का समर्थन कर सकते हैं।
3. समूह की बैठकों में एफएचएनडब्ल्यू चर्चाओं को सक्षम करने के लिए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को पुस्तिकाएं और फ्लिप चार्ट वितरित किए जा सकते हैं। इसे ग्राम कार्यालय, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्कूलों आदि जैसे सरकारी संस्थानों में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित रैलियों और अभियानों के अलावा अन्य आवधिक गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है।
5. छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों उत्तरदाताओं ने उनके लिए एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण की आवृत्ति और संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि एफएनएचडब्ल्यू संदेशों को उनकी स्मृति में लंबे समय तक बनाए रखा जा सके।
6. इसी तरह, दोनों राज्यों में यह देखा गया कि वे एसएचजी सदस्यों की नियमित बैठकों के दौरान एफएनएचडब्ल्यू विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे थे। इसलिए, सदस्यों को एफएनएचडब्ल्यू संदेशों को याद दिलाने और याद रखने की कुछ पहलों को एसएचजी की नियमित बैठकों के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जा सकता है।
7. दोनों राज्यों में, एसआरएलएम अधिकारियों को अतिरिक्त गतिविधि के रूप में एफएनएचडब्ल्यू दिया गया था, और इसलिए एफएनएचडब्ल्यू के लिए विशेष ध्यान और प्राथमिकता गायब पाई गई। विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त कर्मचारियों की कमी उपरोक्त मामले में योगदान करती है। यद्यपि एफएनएचडब्ल्यू कार्यान्वयन प्रक्रिया में बाहरी भागीदारों को शामिल करने का प्रावधान है, कुछ प्रशासनिक कारणों (छत्तीसगढ़ में

स्वाभिमान के लिए अनुबंध अवधि की समाप्ति) के कारण, वे हमारे क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान नहीं पाए गए। इसलिए, एनआरएलएम में एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण पर बेहतर ध्यान देने के लिए मानव संसाधनों को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है।

8. बिहान और जेएसएलपीएस दोनों द्वारा एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण के नियमित प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रशिक्षण मॉड्यूल को अद्यतन करने से एफएनएचडब्ल्यू संदेशों की पहुंच की तीव्रता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
9. यद्यपि ग्राम पंचायत (जीपी) के लिए एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित भेद्यता न्यूनीकरण योजना (वीआरपी) के लिए निर्धारित एनआरएलएम प्रशिक्षण मॉड्यूल पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ चर्चा की गई थी, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया था। पीआरआई या एसएचजी/वीओ। इसलिए, 100 प्रतिशत (जैसे कुपोषण मुक्त गांव) तक पहुंचने के लिए विषय-आधारित दृष्टिकोण के साथ जीपीडीपी की तैयारी में एसएचजी को शामिल कर पीआरआई-एसएचजी अभिसरण को और मजबूत किया जा सकता है। इस सुझाव से अध्ययन प्रसार कार्यशाला के दौरान एनआरएलएम को अवगत कराया गया।

ग्रामीण सामुदायिक रेडियो की सफलता की कहानी की जानकारी : (आरसीआर) - एक मामला अध्ययन

डॉ. आकांक्षा शुक्ला

यह अध्ययन डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए संघम रेडियो, पास्तापुर की सफलता की कहानी को दर्शाता है और बिना किसी संदेह के साबित करता है कि तकनीकी अभिसरण के कारण, रेडियो को मुफ्त ऐप्स के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है जिन्हें डाउनलोड और सहेजा जा सकता है। डेटा या इंटरनेट कनेक्शन वाले एंड्रॉइड फोन मनोरंजन और सूचना के कैनवास तक पहुंच सकते हैं; फिर भी, सूचना के प्रसार के एजेंडे को पूरा करने के लिए सामुदायिक रेडियो की पर्याप्त गुंजाइश और प्रासंगिकता है।

उद्देश्य:

- डीडीएस के आरसीआर के कार्यक्रमों का अध्ययन करना
- संचालन और रखरखाव, वित्त, मानव संसाधन आदि सहित प्रबंधन के पहलुओं का विश्लेषण करना।
- आरसीआर की स्थिरता में योगदान देने वाले कारकों का अध्ययन करना

कार्यप्रणाली: अध्ययन 10 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया था, जो दो ब्लॉकों-झारसंघम और जहीराबाद में स्थित आरसीआर के 5 किमी के दायरे में आते हैं। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए यादृच्छिक और कोटा नमूनाकरण विधियों का उपयोग किया गया था। प्रत्येक गांव में, 25 उत्तरदाताओं का चयन किया गया और उनकी उम्र, लिंग, व्यवसाय और शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ साक्षात्कार

किया गया। इसके अलावा, नमूना गांवों के विभिन्न हितधारकों से गुणात्मक डेटा एकत्र करने के लिए फोकस समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे पीआरए उपकरण अपनाए गए थे। इसके अलावा, द्वितीयक डेटा डीडीएस के कार्यालय से एकत्र किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र: क्षेत्र सर्वेक्षण में संगारेड्डी जिले और शुरु में दो ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में विभिन्न जीपी के 100 उत्तरदाताओं के साथ जहीराबाद और झारासंघम को शामिल किया गया। श्रोताओं के अलावा, तेलंगाना राज्य में आठ डीडीएस स्टाफ सदस्यों और सात रेडियो स्टेशन प्रबंधन कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के आधार पर ब्लॉक और जीपी का चयन पहुंच योग्यता, 5 किमी तक रेडियो कवरेज और प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब जीपी के आधार पर किया गया था।

जाँच - परिणाम:

डीडीएस संघम रेडियो: डीडीएस का शुरुआती उद्देश्य प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में लोगों की आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरण और व्यावसायिक मापदंडों को जोड़ना था। यह बताया जाना चाहिए कि नरेगा को केवल 2006 में लॉन्च किया गया था, जबकि डीडीएस 1983 से ही चयनित ब्लॉकों में इसे लागू कर रहा है। विचार यह था कि इन रोजगार दिवसों का उपयोग अपनी भूमि पर मेड़बंदी, ट्रैचिंग, ऊपरी मिट्टी जोड़ने आदि के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करने के लिए किया जाए। दूसरे, महिलाओं के समुदायों को बड़े किसानों से भूमि पट्टे पर लेने और उस पर सामूहिक रूप से काम करने और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। एक संबद्ध उद्देश्य जन-उन्मुख प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करना था, जैसे आवास प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा का उपयोग, जैविक खेती का पर्माकल्चर तरीका आदि। इसके लिए, डीडीएस को अभिव्यक्ति के विभिन्न उपकरणों का पता लगाना था जिनकी मदद से लोग बाहरी दुनिया के साथ संवाद कर सकें। इसी उद्देश्य से डीडीएस संघम रेडियो

की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित, यह एक 100-वाट रेडियो है जिसका कवरेज दायरा 30 किमी है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (15 अक्टूबर) 2008 को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया, डीडीएस संघम रेडियो एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन विशेष रूप से ग्रामीण हाशिये पर रहने वाले समुदायों (दलित जाति) की महिलाओं द्वारा किया जाता है। स्टेशन हर दिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 90.4 एफएम पर प्रसारित होता है। इस महिला ने अखिल-दलित संघम (सामुदायिक) रेडियो स्टेशन की शुरुआत की, जिसकी सिग्नेचर धुन, "अक्का चिल्लेलु कुड़ी पोदामे (आओ बहनों, हम संघम रेडियो पर चलते हैं)" को राज्य की पहली 'सुनने योग्य' आवाज के रूप में देखा जाता है। दलित महिला. महिला पत्रकार प्रतिदिन मेदक जिले के विभिन्न गांवों में यात्रा करती हैं। चैनल जानवरों के लिए हर्बल दवाओं, खेती के औजारों पर रिपोर्ट और लोक गीतों और कहानियों के बारे में स्थानीय समाचारों और विचारों का दो घंटे का पैकेज प्रसारित करता है। महिलाएं इस नए मीडिया स्पेस का उपयोग अपनी लुप्त होती भाषा और संस्कृतियों को बचाने, भाईचारे का संदेश फैलाने, पारिस्थितिक कृषि, बीजों पर महिलाओं के नियंत्रण और कई अन्य मुद्दों को फैलाने के लिए करना चाहती हैं। वे शिक्षा और साक्षरता जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की कृषि आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी - औपचारिक और गैर-औपचारिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दों, पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सप्ताह में 6 से 8 घंटे केवल 15000 रुपये पर काम करते हैं। गीत और नाटक की कथा परंपराओं पर जोर देने के साथ जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा, लैंगिक न्याय, स्थानीय/स्वदेशी ज्ञान प्रणाली, स्थानीय संस्कृतियाँ आदि। स्थानीय जड़ी-बूटियों का ज्ञान कभी-कभी संघम के कार्यकर्ताओं की अतिथि उपस्थिति के साथ प्रसारित किया जाता है जो गांव में बुखार, खांसी, सर्दी, सिरदर्द, पेट दर्द और अन्य स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के लिए दवा देते हैं। सदस्य गाँव में एक बीज बैंक रखते हैं जो महिलाओं को खेती के लिए बीज देता है और बदले में वे उत्पादन के बाद दोगुनी मात्रा में बाजरा लेती हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा के तहत, डीडीएस

महिलाओं को मिट्टी के बर्तन बनाना, पर्माकल्चर, सिलाई, बुकबाइंडिंग, हर्बल मेडिसिन, बढईगीरी, चिनाई और पैरा-पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे जीवन कौशल में प्रशिक्षित करता है। डीडीएस के लिए प्रमुख फंडिंग जर्मनी, स्वीडन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों से है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डीडीएस के कृषि विज्ञान केंद्र विंग और उसके कर्मचारियों के वेतन के लिए वित्तपोषकों में से एक है। डीडीएस में भर्ती प्रक्रिया डीडीएस के संस्थापक सदस्यों और निदेशकों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

डीडीएस स्टाफ: डीडीएस में 44 सदस्य हैं जो 10 किलोमीटर के दायरे में 75 गांवों को कवर करते हैं। विभिन्न स्थानों से वे दैनिक गतिविधियों को क्रियान्वित करते हैं। एनजीओ के कार्यालय बेगमपेट हैदराबाद, जहीराबाद जो हैदराबाद से 130 किमी दूर है, और संगारेड्डी जिले के गांवों में हैं। प्रत्येक संघम में पर्यवेक्षक होते हैं और वे केवल उसी गाँव का हिस्सा होंगे। उन्हें संघों के सदस्यों के साथ गांवों में साप्ताहिक बैठकें आयोजित करनी होती हैं। एक पर्यवेक्षक को चार गांवों (चार संघम) की निगरानी करनी होती है।

वेबसाइटों से एकत्र की गई जानकारी और जहीराबाद और बेगमपेट में डीडीएस के कार्यालयों की भौतिक यात्राओं के आधार पर, सर्वेक्षण अनुसूची को तीन प्रकार के उत्तरदाताओं- डीडीएस कार्यालय कर्मचारी, रेडियो कर्मचारी और श्रोताओं द्वारा भरा और विश्लेषण किया गया था।

रेडियो कर्मचारी: आरसीआर में छह महिलाओं सहित आठ सदस्य हैं, जो नियमित आधार पर काम करते हैं। दो प्रबंधक हैं - नरसम्मा, महाप्रबंधक और अल्गोले नरसम्मा, सह-प्रबंधक रु. क्रमशः रु. 18,000 और रुपये 15,000. के पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं। उनके अलावा इस रेडियो स्टेशन में तीन और कर्मचारी समन्वयक, रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्यरत हैं। वे आसपास के गांवों से कहानियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें संपादित करते हैं और प्रसारित करते हैं। इन कहानियों में कृषि पद्धतियाँ, स्वास्थ्य मुद्दे, बीज संरक्षण, भूमि मुद्दे, महिलाओं के

लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, मौसमी बीमारियाँ, शैक्षिक कार्यक्रम, स्थानीय भोजन की आदतें, बच्चों के मुद्दे और गीत शामिल हैं। प्रसारित मुख्य कार्यक्रम हैं:

मन वूरी पन्टलु- हमारे गाँव की फसलें

मन भाषा - हमारी भाषा

मन रुचुलु- हमारी रेसिपी

उरि वार्तलु-ग्राम समाचाररोग्यम-स्वास्थ्य

उन्होंने सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया:

अनिताम्मा-पास्तापुर स्क्रीन मुक्त कहानी

बीटी कॉटन कार्यक्रम

लोक गीत, कहानियाँ, स्वास्थ्य और कृषि

बाजरा, स्वास्थ्य और पारिवारिक चिंताएँ

गाने, कहानियाँ और कृषि पर बातचीत।

ये कार्यक्रम स्वैच्छिक हैं और इसमें आसपास के सभी गांवों के विशेषज्ञों द्वारा

योगदान और भागीदारी की जाती है।

अधिकतर सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के थे और उनकी आयु 35-45 वर्ष (छह व्यक्ति) के बीच थी, और एक को छोड़कर सभी विवाहित थे। उनका शिक्षा स्तर प्राथमिक (तीन व्यक्तियों) से लेकर स्नातक (एक) तक भिन्न था। परिवार प्रति माह 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक कमा रहे थे। केवल एक आरसीआर हर दिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच 90.4 हर्ट्ज पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। कवरेज की सीमा पर भ्रम है क्योंकि छह सदस्यों ने सही कहा कि सीमा 5 किमी तक है जबकि दो अन्य इसे अधिक मानते हैं।

आरसीआर कर्मचारी आश्वस्त हैं कि रेडियो सुना जा रहा है और उन्होंने एक श्रोता रजिस्टर बनाए रखा है। इन कार्यक्रमों से किसानों (50 प्रतिशत) और डीडीएस संघम के सदस्य-किसानों को लाभ होता है, जो झारसंगम और जहीराबाद के दो ब्लॉकों में 20,000 की आबादी को कवर करते हैं। एक सर्वेक्षण आम तौर पर ट्रांसमीटर की क्षमता की जांच करने और फीडबैक और सुझाव एकत्र करने के लिए किया जाता है, और फीडबैक के आधार पर, वे कार्यक्रमों में सुधार करते हैं। धन की कमी के कारण कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रमों में साझा की गई जानकारी के संबंध में पहुंच का आकलन करने और संदेह को दूर करने के लिए फोन के माध्यम से संचार को अपनाया जाता है। आरसीआर 2008 से कार्यात्मक है और पिछले वर्षों में प्रसारित लगभग 5000 या अधिक कार्यक्रम कर्मचारियों द्वारा संग्रहीत किए गए हैं। आरसीआर के अक्सर दोहराए जाने वाले कार्यक्रमों में ज्यादातर कृषि वार्ता, कहानियां, लोक गीत और ग्रामीण विकास के मुद्दे हावी रहते हैं। राजनीति, धर्म और जाति से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को दूर करने पर सख्त ध्यान दिया जाता है। आरसीआर के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को पूरा करने के लिए रेडियो बिना किसी प्रबंधन समिति के कार्य करता है, लेकिन कार्यक्रम की टाइपोलॉजी, अवधि थीम आदि को आरसीआर कर्मचारियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। सलाहकार समिति, जो छह महीने में एक बार मिलती है, मुख्य रूप से वित्तीय आउटलेर्स, यदि कोई हो, को देखती है। आरसीआर स्टाफ को रेडियो के दिन-प्रतिदिन के संचालन और कार्यक्रमों के सामान्य वित्तीय, प्रशासनिक और विषय विनिर्देश में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। डीडीएस यह सुनिश्चित करता है कि प्रसारित सभी कार्यक्रमों में धर्म, जाति और राजनीति शामिल न हो। उन्होंने पास्तापुर क्षेत्र को चुना क्योंकि यह पिछड़ा था, कम खर्चीला था और इसके आसपास कोई मीडिया आउटलेट नहीं था। सामान्य कार्यक्रम की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होती है। अधिकांश कार्यक्रम प्राथमिकता के क्रम में कृषि, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और लोक, शिक्षा और ग्रामीण विकास के इर्द-गिर्द घूमते हैं। सामाजिक विषयों को जोड़ते हुए नाटक भी नियमित रूप से

खेले जाते हैं। आरसीआर, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है, के पास विशेष महिला-केंद्रित कार्यक्रम नहीं हैं। तर्क यह है कि चूंकि आरसीआर महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, इसलिए महिलाओं पर किसी विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। चूंकि राजनीति में शामिल न होने का स्पष्ट दिशानिर्देश है, रेडियो पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों का साक्षात्कार नहीं लेता है। हालाँकि कुछ सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सूचना के उद्देश्य से होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों जैसे स्रोत व्यक्तियों को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। यह इंगित करना उचित है कि हालांकि पीआरआई को कार्यान्वयन एजेंसियां माना जाता है, लेकिन इन योजनाओं पर उन्हें न तो आमंत्रित किया जाता है और न ही उनसे पूछताछ की जाती है क्योंकि वे सामुदायिक रेडियो के दिशानिर्देशों का खंडन करते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन साबित करता है कि सामुदायिक रेडियो का उपयोग ग्रामीण विकास से संबंधित सभी 29 विषयों के लिए प्रामाणिक जानकारी के प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। आरसीआर एक ऐसा मंच है जिसने समुदाय के लिए कृषि, स्वास्थ्य और घरेलू उपचार, दवाओं और जैविक खेती के मुद्दों पर व्यापक जानकारी दी है। यह स्थानीय भाषा में किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और अन्य स्थानीय विकास योजनाओं की विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वास्तव में, 2017 और 2020 में जारी किए गए सार-संग्रह उनकी सफलता की कहानियों के अलावा हस्तक्षेप के उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करते हैं जहां सीआर पहले से ही काम कर रहे हैं। चिन्हित किये गये क्षेत्र हैं

- आपदा और संघर्ष की स्थिति पर प्रतिक्रिया
- सीमान्तीकृत समुदाय के लिए न्याय

- आजीविका एवं कृषि
- महिलाओं का सशक्तिकरण और जुड़ाव
- सामुदायिक रेडियो के माध्यम से नवाचार

नीति सिफारिशें

सामुदायिक रेडियो के इस मंच पर काम करने वाले हितधारकों के साथ अध्ययन, माध्यमिक डेटा और व्यापक परामर्श के आधार पर, एसडीजी प्राप्त करने के लिए एम आई एंड बी के साथ समन्वय में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस लेने के लिए सीबीओ/एनजीओ को सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

- सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए 14,55,000 रुपये के द्वितीयक डेटा से एक लागत बेंचमार्क की पहचान की गई है। दो फंडिंग निकाय हैं- कृषि मंत्रालय एटीएमए (एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (+3 साल की कृषि सामग्री की स्थापना) के तहत 65 लाख रुपये की दर से सामुदायिक रेडियो का समर्थन करता है। विवरण नीचे दिए गए लिंक में हैं। (<https://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf>)
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकतम 7.5 लाख रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 लाख) के लिए सेटिंग लागत का 50 प्रतिशत भी वहन करता है। यह एक संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। (https://mib.gov.in/sites/default/files/dishanirdesh_pratishat_20_pratishat_20_pratishat_20_yojana_pratishat_20_samrthan_pratishat_20_samuday_pratishat_20_reديو_pratishat_20_andolan_pratishat_20_ichh_pratishat_20_bharat_30.11.2021_signed.pdf)

- सबसे पहले, ग्राम पंचायतों को युवा सभा/एनजीओ/एसएचजी आदि के माध्यम से सीआर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करने का प्रस्ताव है। सामुदायिक रेडियो के लिए मध्यम लागत 15 लाख रुपये है। चूंकि प्रत्येक एनजीओ/सीबीओ का कार्य का विषयगत क्षेत्र अलग-अलग है, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी प्रासंगिक मुद्दों को समायोजित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।
- सामग्री की लागत नैरोकास्टिंग के समय पर निर्भर करती है। जैसा कि उम्मीद थी, एफएम की रेंज 10 किमी है। इसलिए, कम से कम दो घंटे का कार्यक्रम सीमित किया जाना चाहिए और मौजूदा आरसीआर के माध्यम से सीआर का प्रबंधन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम की सामग्री की निगरानी के लिए दिशानिर्देश हैं; इसलिए, यदि सामग्री स्थानीय भाषा में बनाई जा सकती है और एंड्रॉइड फोन और विशिष्ट बिंदुओं (मंदिरों) पर स्थापित लाउडस्पीकरों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, तो निष्क्रिय/सक्रिय श्रवण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- चूंकि सीआर राज्यों/केंद्र में राज्य-वित्त पोषित मीडिया के विपरीत, पीआरआई का मुखपत्र नहीं हो सकता है, इस व्यवस्था को सीआर के माध्यम से समुदाय और पीआरआई के बीच नियमित साक्षात्कार और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें पीआरआई द्वारा वित्त पोषित तारीखों की सामाजिक लेखापरीक्षा घोषणाएं, ग्राम सभा की घोषणाएं और विज्ञापन शामिल हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसमें कई चरण होते हैं जिनकी इस डिजिटल युग में आवश्यकता नहीं है। इस लंबी प्रक्रिया को एक ही विंडो में निम्नलिखित में संक्षिप्त किया जाना चाहिए:

o पहला चरण: आवेदन, एलओआई, जीओपीए, भारत-कोष में भुगतान (1 माह)

o दूसरा चरण: एसएसीएफए क्लीयरेंस (एक महीना)

o तीसरा चरण: लाइसेंस का आवंटन (1 माह)

- इसी प्रकार, सीआरएस के लिए आवेदन प्रक्रिया में, यदि जिला प्रशासन आवंटित समय सीमा के भीतर अपनी प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रहता है, तो इसे सहमति माना जाना चाहिए।
- डीएवीपी दरों के अनुसार, मीडिया के रूप में सीआर को आईईसी अभियानों में शामिल किया जाना चाहिए। इसे मीडिया के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण/जनजातीय विकास/संस्कृति मामलों के मंत्रालय के पास प्रसारण कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रतिदिन कम से कम दो घंटे की समय सीमा के लिए सहायता योजना होनी चाहिए। प्रसारण प्रमाण पत्र जमा करने के एक माह के भीतर अनुदान राशि वितरित की जानी चाहिए।
- सरकार के जोर के अनुसार "एक जिला पांच सीआरएस" प्रदान किया जा सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और महामारी के बाद के परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, उन राज्यों को अतिरिक्त बारंबारिता आवंटित की जानी चाहिए, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं।

झारखंड में ई-पंचायत- चुनौतियाँ और प्रस्तावित समाधान

श्री अनिल कुमार यादव
सुश्री मिनी रानी शर्मा

परिचय

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और एक न्यूनतम सामान्य ढांचा निर्धारित किया। अधिनियम ने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी शामिल की, जिसमें उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, इसे सही मायने में तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ग्राम पंचायतों को जीपी स्तर पर अपर्याप्त मानव संसाधनों के बावजूद पारदर्शी और जवाबदेह वास्तुकला में पंचायत-संबंधित सभी विकास गतिविधियों को निष्पादित करने का अधिकार नहीं दिया जाता। जीपी स्तर पर अपर्याप्त मानव संसाधनों की चुनौती को दूर करने के लिए, झारखंड सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालय (जीपी सचिवालय) के गठन के लिए वर्ष 2016 में एक अधिसूचना जारी की। ई-पंचायत अनुप्रयोगों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है, जबकि सभी जिलों में जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की गई है। इसी प्रकार, वित्त आयोग के कार्यों के लिए जियोटैगिंग और कार्य-आधारित भुगतान सुनिश्चित करने और ई-पंचायत अनुप्रयोगों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 3-4 जीपी के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखाकार नियुक्त किया गया है और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए दो जूनियर इंजीनियरों को नियुक्त किया गया है। सभी 4351 ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत अनुप्रयोगों में शामिल होना और वित्त आयोग के तहत सभी विकास गतिविधियों को ऑनलाइन करना आवश्यक है। झारखंड में ई-पंचायत की स्थिति का दस्तावेजीकरण करने और ऐसी पहल की

चुनौतियों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अध्ययन में सभी 4351 ग्राम पंचायतों में प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ई-पंचायत अनुप्रयोगों को तैनात करने के लिए झारखंड सरकार की पहल का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सामाजिक-आर्थिक सुधारों को बढ़ाने के लिए ई-पंचायत अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना था।

उद्देश्य:

जहां तक ई-पंचायत के कार्यान्वयन का सवाल है, झारखंड देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। ई-पंचायत की स्थिति और ई-पंचायत के कार्यान्वयन के दौरान चुनौतियों को समझने के लिए अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे।

- (i) झारखंड में ई-पंचायत की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- (ii) ई-पंचायत के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का पता लगाना।
- (iii) ई-पंचायत के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सुझाना।

क्रियाविधि

डेटा संग्रहण:

वर्तमान अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए गए मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक डेटा पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों से डेटा/जानकारी एकत्र करने के लिए, झारखंड में ई-पंचायत की स्थिति पर मौजूदा साहित्य/माध्यमिक स्रोतों जैसे दिशानिर्देश, प्रारूप, कार्यकारी निर्देश, ऑनलाइन रिपोर्ट इत्यादि की समीक्षा की गई। इसके अलावा, जीपी, ई-पंचायत जीपी/ब्लॉक/जिला कार्यालयों और संबंधित प्रशासन के रिकॉर्ड से डेटा प्राप्त किया गया था। प्राथमिक डेटा के लिए, प्रमुख हितधारकों, यानी राज्य ई-पंचायत अधिकारियों, जिला पंचायती

राज अधिकारियों, जिला परियोजना प्रबंधकों (डीआरपी), ब्लॉक समन्वयकों, ग्राम संसाधन व्यक्तियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जीपी के सचिवों और ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सहायता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, पहचाने गए प्रश्नों की सूची की मदद से पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई। नमूना जीपी के क्षेत्र दौरे के दौरान, कार्यस्थलों के दौरे के साथ-साथ डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था। ई-पंचायत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ई-पंचायत एप्लीकेशन में इसकी प्रविष्टि के साथ-साथ चल रहे कार्यों का अवलोकन किया गया।

डेटा संग्रह के तरीके:

मामला अध्ययन ने झारखंड राज्य में ई-पंचायत आवेदन की प्रक्रिया का प्रलेखन किया और ई-पंचायत अनुप्रयोगों के प्रदर्शन का अध्ययन किया। माध्यमिक और प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों का उपयोग किया गया था। प्राथमिक डेटा दो प्रश्नावली की मदद से एकत्र किया गया था: पहला सीएससी के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए और दूसरा भारतनेट के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए। सार्वजनिक सेवाओं और लाभों तक पहुँचने में ऑनलाइन अनुप्रयोगों के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता में ई-पंचायत आवेदन की वर्तमान स्थिति का भी ग्रामीणों के साथ फोकस समूह चर्चा के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था।

अध्ययन क्षेत्र:

मामला अध्ययन का उद्देश्य झारखंड में ई-पंचायत की स्थिति का विश्लेषण करना, ई-पंचायत के कार्यान्वयन में राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और प्रस्तावित समाधानों के साथ आना था, डेटा संग्रह का एक बड़ा कैनवास तैयार किया गया है। झारखंड के सभी जिलों में ई-पंचायत की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए ईग्रामस्वराज पोर्टल के

डेटा का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के पंचायती राज अधिकारियों से व्यापक साक्षात्कार लिया गया और सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित आधार पर एक-एक करके चर्चा भी की गई। जीपी में ई-पंचायत कार्यालयों की स्थिति का विश्लेषण जीपी में फील्ड टीम के साथ-साथ राज्य टीम द्वारा वेबेक्स बैठकों के माध्यम से तीन सप्ताह के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक जिले से तीन जीपी का यादृच्छिक रूप से चयन करके किया गया, इस प्रकार 24 जिलों में से प्रत्येक 45 जीपी को कवर किया गया।

नमूना जीपी की सूची नीचे दी गई है:

ई-पंचायत के कार्यान्वयन के लिए जीपी कार्यालयों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को इकट्ठा करने के लिए, बोकारो (08), चतरा (09), देवघर (11), धनबाद (62), दुमका (02), पूर्वी सिंहभूम (42) के जीपी , गढ़वा (40), गुमला (13), हज़ारीबाग (151), जामताड़ा (02), खूंटी (16) कोडरमा (100), लातेहार (18), लोहरदगा (04), पाकुड़ (42), पलामू (23), प्रश्नावली के उत्तरों के रूप में डेटा संग्रह के लिए साहेबगंज (03), सिमडेगा (01) और पश्चिमी सिंहभूम का चयन किया गया था।

इन डेटा स्रोतों के अलावा, राज्य और जिला स्तर पर झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएनएल) और झारखंड सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) के अधिकारियों से डेटा एकत्र किया गया था।

जाँच - परिणाम:

- जिला पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने में सक्रिय रहे हैं।
- जामताड़ा, पाकुड़ और दुमका जैसे सुदूर जिले पथ प्रदर्शक रहे हैं।
- पंचायतों द्वारा एक अधिक समावेशी पंचायत विकास योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

- 2015-16 से धन का आवंटन लगभग चार गुना बढ़ गया है; तदनुसार, परिणाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- झारखंड को चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह और हज़ारीबाग, गुमला, रामगढ़ और पलामू जिलों में संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण की निगरानी की जानी चाहिए।
- पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में अच्छा ऑनलाइन खर्च देखा गया है
- दुमका, गुमला और कोडरमा में खराब व्यय दर्ज किया गया
- झारखंड के कुल 32,712 गांवों में से 757 गांवों में स्वामित्व योजना अधिसूचित की गई है और 204 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
- पंचायत सिटीजन चार्टर में झारखंड के प्रदर्शन की भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने सराहना की.
- झारखंड के अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतनेट काम नहीं कर रहा है
- कार्यात्मक भारतनेट कनेक्शन वीएलई के पास थे और जीपी कार्यालय के लिए उपलब्ध नहीं थे।

निष्कर्ष

राज्य में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाएं भी सफलतापूर्वक चल रही हैं। इन योजनाओं से लगभग 24.9 लाख पंजीकृत लाभार्थी नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाओं में प्रगति काफी संतोषजनक रही है। 14वें वित्त आयोग के तहत कुल अनुदान का लगभग 92 प्रतिशत प्राप्त हो चुका है और 15वें वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायतों को लगभग 583.1 करोड़ रुपये का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के तहत

प्रगति भी उत्साहजनक है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में प्रगति काफी हद तक कोविड -19 महामारी से प्रभावित हुई थी लेकिन अब इसका प्रभाव कम हो रहा है और आने वाले वित्तीय वर्ष राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की वृद्धिशील गति लाएंगे। देश की ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में है । यह राज्य में अच्छे परियोजना प्रबंधन का द्योतक है। प्रगति की सीढ़ी को हमेशा प्रगतिशील बनाए रखने के लिए, झारखंड को राज्य भर में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता होगी। ई-पंचायत की सफलता काफी हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी पर निर्भर करेगी। राज्य में पंचायत चुनाव लगभग एक साल से लंबित होने के कारण अस्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार में ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं को ग्रामीण समुदाय से ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। पंचायती राज विभाग को जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहिए । राज्य को भी यथाशीघ्र संभावित समयावधि में पेसा दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। जब ये बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी हम ई-पंचायत की सफलता का स्वाद चख सकेंगे।

नीति सिफारिशें:

उपरोक्त के आधार पर, निम्नलिखित नीति अनुशंसाएँ सुझाई जा रही हैं:

1. हितधारकों की सक्रिय भागीदारी, अर्थात नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, आदि।
2. पंचायतों में नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती और निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों को इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
3. ग्रामीण हितधारकों और पंचायतों के अधिकारियों को इन प्रौद्योगिकियों पर शिक्षित और प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।

4. ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए।
5. निष्कर्ष से पता चलता है कि ग्राम पंचायत की दूरस्थ प्रकृति या सुविधाओं की कमी बाधाएं नहीं हैं। यदि जामताड़ा और पाकुड़ जैसे सुदूर जिले गुमला और रामगढ़ जैसे जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो यह दर्शाता है कि ई-पंचायत की सफलता के लिए ग्रामीण समुदाय के बीच इच्छा और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदाय को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि ई-पंचायत एप्लिकेशन का सफल कार्यान्वयन उनकी ग्राम पंचायतों का चेहरा कैसे निखार सकता है।
6. समय के साथ, ई-पंचायती के एप्लिकेशन स्टैंडअलोन से वेब पोर्टल से मोबाइल एप्लिकेशन में स्थानांतरित हो गए हैं। प्रारंभ में, सभी भुगतान चेक का उपयोग करके किए गए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बाद से, भुगतान पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के अनुरूप हो गए हैं, जिसके माध्यम से धनराशि सीधे राज्य से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा रही है। यहां तक कि योजनाओं के तहत किए गए भुगतान भी पीएफएमएस का उपयोग करके ऑनलाइन किए जाते हैं, राशि सीधे विक्रेताओं के खातों में डेबिट हो जाती है। इन सभी तकनीकी प्रगति को ग्रामीण जनता द्वारा आत्मसात करने की आवश्यकता है। हमारे पास पिघलने के लिए एक बड़ा हिमखंड है ताकि प्रौद्योगिकी उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है।
7. पंचायती राज अधिकारियों को ई-पंचायत के नए तकनीकी हस्तक्षेपों पर नियमित रूप से अपडेट रहने की आवश्यकता है।
8. साहेबगंज और खूंटी जिलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन उन्होंने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया है बल्कि मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी हासिल किया है। ग्रामीण समुदाय को नवीनतम विकास से अवगत कराने और सभी विकास गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है।

9. राज्य को तीनों स्तरों पर पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देने के लिए एक तंत्र भी तैयार करना चाहिए।
10. जिलों के ई-पंचायत प्रदर्शन के अच्छे प्रदर्शन का प्रमुख कारक पूरी प्रक्रिया में शामिल पंचायती राज अधिकारियों की गुणवत्ता रही है। हमें ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हों और सिस्टम के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हों। सरकार को वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्रिय होने की आवश्यकता है।
11. जो जिले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, वहां पंचायत सचिवों के पद रिक्त थे या एक पंचायत सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था, और इससे ई-पंचायत की कार्यप्रणाली कम हो गई। पंचायतों के पास पर्याप्त मानव संसाधन होना चाहिए।
12. जीपी भवन प्रशासन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाएँ, विशेषकर स्थानीय महिला एसएचजी के सदस्यों की भागीदारी के माध्यम से।
13. प्रशिक्षण सामग्री को राज्य की स्थानीय भाषाओं में विकसित करने की आवश्यकता है।
14. ई-पंचायत पर ऑडियो-वीडियो क्लिप स्थानीय भाषाओं में विकसित की जा सकती हैं ताकि ग्रामीण समुदाय अपनी ग्राम पंचायतों से संबंधित धनराशि और योजनाओं का विवरण ऑनलाइन जांचने के तरीके सीख सकें।
15. जमीनी स्तर पर संपत्तियों की नियमित निगरानी।
16. जामताड़ा जिले की तर्ज पर पुस्तकालयों और वृद्धाश्रमों के निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए वित्त आयोग के धन का उपयोग झारखंड के अन्य जिलों में भी दोहराया जा सकता है।

17. राज्य को पेसा दिशानिर्देश भी लाने चाहिए।
18. ई-पंचायत के सफल कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण समुदाय और पंचायती राज अधिकारियों के लिए साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किए जाने चाहिए।



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030

www.nirdpr.org